Tuesday, 26 July, 1977

लोक-सभा वाद विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र / Second Session]

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. 50(5)
Date 12-1-78

[खंड 5 में अंक 31 से 40 तक हैं / Vol. V contains Nos. 31 to 40]

Preservation Unit
Fumigated
On 1-9-92
Parliament Library

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपए

Price : Four Rupees

विषय-सूची/CONTNETS

अंक 38, मंगलवार, 26 जुलाई, 1977/4 श्रावण, 1899 (शक)
No. 38 Tuesday July 26, 1977/Sravanna 4, (1899 Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ	PAGES
निधन सम्बन्धी उल्लेख :	**Obituary Reference :**		1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
*तारांकित प्रश्न संख्या 625 से 627	Starred question Nos. 625 to 627	.	1-12
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 24	Short Notice question No. 24	. .	12-18
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
तारांकित प्रश्न संख्या 628 से 630 और 632 से 644	Starred question Nos. 628 to 630 and 632 to 644	. . . . .	18-30
अतारांकित प्रश्न संख्या 4782, 4784 से 4883, 4885 से 4891, 4893 से 4920 और 4922 से 4943	Unstarred question nos. 4782, 4784 to 4883, 4885 to 4891, 4893 to 4920 and 4922 to 4943	. . . . .	30-114
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers laid on the Table	. . .	115
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	. . . .	115-118
विदेश मंत्री की नेपाल यात्रा	Visit of the Minister of External Affairs to Nepal.	. . . . .	116
श्री उग्रसेन	Shri Ugrasen	. . . .	116
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	. .	116
गृह मंत्री द्वारा जांच आयोग से न्यायाधीश डी० एस० माथुर के त्याग-पत्र के बारे में 20 जुलाई, 1977 को दी गई कतिपय जानकारी के स्पष्टीकरण सम्बन्धी वक्तव्य	Statement re. Clarification of Certain Information given by the Minister of Home Affairs on 20th July, 1977, re. Resignation of Justice D.S. Mathur from Commission of Enquiry	.	118
श्री चरण सिंह	Shri Charan Singh	. . .	118
नियम 377 के अधीन मामला—	Matters under Rule 377—		
(एक) राष्ट्रपति के शपथग्रहण समारोह के समय विपक्ष के नेता को स्थान का आवंटन	(i) Allotment of seat to the leader of the Opposition in the Swearing in Ceremony of the President	. . .	118
(दो) 'वीर अर्जुन' के छंटनी किए गए कर्मचारियों की बहाली	(ii) Reinstatement of retrenched employees of 'Vir Arjun'	. . . . .	119
कीटनाशी (संशोधन) विधेयक	Insecticides (Amendment) Bill	. .	119-128

किसी नाम पर अंकित यह †इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign †marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

		पृष्ठ PAGES
विचार करने का प्रस्ताव, राज्यसभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider, as Passed by Rajya Sabha	119
श्री सुरजीत सिंह बरनाला	Shri Surjit Singh Barnala	119
श्री पी० राजगोपाल नायडू	Shri P. Rajagopal Naidu	120—121
श्री दुर्गा चन्द	Shri Durga Chand	121
श्री बेदब्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua	122
श्री मुकुन्द मंडल	Shri Mukunda Mandal	122
श्री पी० के० कोडियन	Shri P. K. Kodiyan	123
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव	Shri Jagdambi Prasad Yadav	124
श्री सौगत राय	Shri Saugata Roy	124
श्री चित्त बसु	Shri Chitta Basu	125
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	125
श्रीमती चन्द्रावती	Shrimati Chandramati	126
खण्ड 2 से 9 तथा 1	Clauses 2 to 9 and 1	
पास्ति करने का परस्ताव—	Motion to pass—	
श्री सुरजीत सिंह बरनाला	Shri Surjit Singh Barnala	126
पेट्रोलियम (संशोधन) विधेयक	Petroleum (Amendment) Bill	128
श्री जार्ज फर्नेन्डीज	Shri George Fernandes	128
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	129
श्री विनायक प्रसाद यादव	Shri Vinayak Prasad Yadav	130
श्री सौगत राय	Shri Saugata Roy	130
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	130
खण्ड 2 से 5 तथा 1	Clauses 2 to 5 and 1	131
पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to pass—	132
श्री जार्ज फर्नेन्डीज	Shri George Fernandes	132
चाय (संशोधन) विधेयक—	Tea (Amendment) Bill—	
श्री मोहन धारिया	Shri Mohan Dharia	132
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	133
श्री सौगत राय	Shri Saugata Roy	134
श्री दुर्गा चन्द	Shri Durga Chand	135
श्री अमर राय प्रधान	Shri Amar Roy Pradhan	135
श्री के० बी० चेतरी	Shri K. B. Chettri	136
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan	137
श्री तरुण गोगोई	Shri Tarun Gogoi	137
श्री बी० के० नायर	Shri B. K. Nair	138
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	138

		पृष्ठ Pages
श्री वेदब्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua . .	139
आधे घण्टे की चर्चा—	Half-an-Hour Discussion . . .	
कोरबा में स्थापित किए जाने वाला प्रस्तावित उर्वरक कारखाना	Fertilizer Factory proposed to be set up in Korba	139
डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय	Dr. Laxmi Narayan Pandeya	139
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan . . .	140
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai . .	140
श्री समरेन्द्र कुन्डु	Shri S. Kundu	140
श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा	Shri H. N Bahuguna . .	140

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 26 जुलाई, 1977/4 श्रावण, 1899 (शक)
Tuesday, July 26, 1977/Sravana 4, 1899 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

**[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]**

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे अपने एक भूतपूर्व सहयोगी श्री रामेश्वर टांटिया की मृत्यु का दुःखद समाचार सभा को देना है जिनकी 22 जुलाई, 1977 को 67 वर्ष की आयु में लम्बी बीमारी के बाद देहावसान हो गया ।

श्री टांटिया 1957--67 वर्ष तक दूसरी तथा तीसरी लोक सभा के सदस्य रहे । वह राजस्थान के सीकर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे ।

एक प्रमुख उद्योगपति होने के नाते वह देश के कई उद्योगों से सम्बन्धित थे । वह कई सामाजिक संगठनों से भी संबंधित थे । हिन्दी के मूर्धन्य लेखक थे और विभिन्न विषयों पर उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी हैं । सीधे-सादे, अभिमान से दूर श्री टांटिया से जो भी मिला वही उन्हें चाहने लगता था ।

हम इस मित्र के खो जाने पर गहरा दुःख प्रकट करते हैं । मुझे विश्वास है कि संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने में सभा मेरे साथ है । अब सभा दुःख प्रकट करने के लिए थोड़ी देर के लिए मौन खड़ी हो ।

उसके बाद माननीय सदस्य कुछ देर के लिए मौन खड़े हुए ।

The Hon. Members then stood in silence for a short while.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Scheduled Caste and Scheduled Tribe persons in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs

***625. Shri Ram Vilas Paswan :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes appointed in different categories of posts in his Ministry; and

(b) the steps being taken by Government to fill the posts reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Shri Ram Vilas Paswan : Sir, whenever a question is asked about the Scheduled Castes and Scheduled Tribes the reply is the same that there is no suitable candidate or that the information is being collected. The Ministry of Law, Justice and Company Affairs is the smallest one and you can see from the Commissioner's report that the number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes is almost negligible. We give notice of a question 21 days before and yet the Minister has not been able to collect information in such a long period. I think his Department is not efficient.

(*Interruption*)

Shri Hukam Chand Kachwai : This question is being side tracked deliberately. The reply can easily be given within 21 days and the Government has all the sources.

Shri Ram Vilas Paswan : When he has all the sources at his command why this information is not being given ? A question is asked only when it gets priority in the ballot. So it must be replied fully. What is the hitch in collecting the information. The hon. Minister should tell us the period by which he will be able to reply this question ?

Shri Shanti Bhushan : The hon. Member has said that 21 days notice is given but so far as this question is concerned, the Department was given only 18 days notice. Because I wanted to give satisfactory and complete reply so I was waiting for the full information. Even then I instructed my Department to give me what ever information they have collected.

We have not received information from our Legislative Department within a week's time. Secondly our income-tax Appellate Tribunal, having head office in Bombay has also not been able to supply information. But I may tell you that the number is not negligible as stated by him. The number of Scheduled Castes is 255 and the number of Scheduled tribes is 56.

Shri Suraj Bhan : In which Category ?

Shri Shanti Bhushan : The number of Scheduled Castes is 5 in Class I Service in the Department of Legal Affairs.

Shri Suraj Bhan : Out of.

Shri Shanti Bhushan : It will take some time to collect full information. We could have collected enough information had the notice been of 21 days but there was only a week's time so full information could not be collected.

I agree with the Member that the Department is very small so the number 255 is not negligible in such a small Department.

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री जी एक तिथि निश्चित कर दें । इस बारे में वह एक आश्वासन दें कि वह उत्तर देंगे ।

(व्यवधान)

श्री के० लकप्पा : मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि वह पूरी जानकारी नहीं दे सकते । इसलिए आज हम चर्चा न करें । उन्हें पूरी जानकारी प्रस्तुत करने दें ।

(व्यवधान)

Shri Shanti Bhushan : The number of Scheduled Castes is 17 in Class II Service. I am telling you about the Department of Legal Affairs.

अध्यक्ष महोदय : क्या आप को उत्तर देने के लिए और समय चाहिये ।

श्री शान्ति भूषण : मुझे दो सप्ताह का समय चाहिये ।

श्री शान्ति भूषण : क्या मैं इस सत्र के अन्तिम दिन उत्तर दे सकता हूं ।

श्री वसन्त साठे : वह अगले मंगलवार को उत्तर देने के लिए तैयार रहें ।

अध्यक्ष महोदय : यह अगले मंगलवार को पहला प्रश्न रहेगा ।

श्री पी० जी० मावलंकर: मंत्री जी ने कहा है कि इस प्रश्न के लिए उन्हें 18 दिन की सूचना मिली । हम उन्हें 21 दिन की सूचना दें ताकि वह जानकारी एकत्र कर सकें । यदि यह प्रश्न 18 जुलाई को विभाग को मिला तो बाकी के 11 दिनों का क्या हुआ । ऐसे तो और भी मंत्रालय जानकारी एकत्र न कर पायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में देखूंगा ।

Quota for Harijans in Class I to Class IV posts

***626. Shri Ram Sagar** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the quota reserved for Harijans for appointment to the Class I, Class II, Class III and Class IV posts in the Railways has not been filled in accordance with the rules; if so, the action taken by Government to complete this quota; and

(b) whether Government propose to set up a separate cell to ensure that the reserved quota for appointments and promotions is filled and if so, when ?

The Minister for Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) and (b) A statement is laid on the Table of the Sabha.

मैंने पहले ही लम्बा विवरण दे दिया है किन्तु दुर्भाग्यवश मुख्य उत्तर में थोड़ी सी गलती हो गई है । अतः उत्तर केवल यह है : (क) और (ख) सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है

Statement

The quota reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes is calculated on the number of vacancies filled in a particular year and not related to the total strength of staff in a category.

2. Recruitment to Class I services on Railways is made through the Union Public Service Commission.

3. There is generally no direct recruitment to Class II services, vacancies in Class II being filled by promotion of suitable Class III staff. However, recruitment to the posts of Assistant Security Officer in Railway Protection Force and in some minor cadres viz. Asstt. Chemist and Metallurgists, Asstt. Cashier and Pay Masters, Asstt. Superintendent Printing & Stationery etc. is made through the Union Public Service Commission.

4. So far as Class III posts are concerned, except in N.F. Railway, recruitment is generally made by the Railway Service Commissions. In the case of shortfalls in recruitment of Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates, the General Managers are authorised to resort to direct recruitment.

5. Recruitment against Class IV posts is made by Railway Administrations.

6. There is a shortfall in the filling up of quotas reserved for Scheduled Castes/Scheduled Tribes due to the non-availability of adequate number of suitable candidates.

7. In order to ensure that there is no avoidable shortage in the intake of Scheduled Castes and Scheduled Tribes on the Railways, the following measures are taken :—

(a) Availability of reserved vacancies is given the widest possible publicity.

(b) To the extent the number of vacancies reserved for Scheduled Castes and Schedu led Tribes cannot be filled on the basis of general standard, the U.P.S.C. and the Rly. Service Commissions recruit candidates belonging to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes with the relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of those candidates for appointment to post/ posts in question.

(c) when Railway Service Commissions are not in a position to supply an adequate number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, General Managers are allowed to recruit Scheduled Castes/Scheduled Tribes from the open market.

(d) Appointment to Class IV posts is normally made by screening casual labourers/ substitutes already working on the Railways. If adequate number of Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates are not available through this process to fill reserved vacancies, recruitment from open market is resorted to.

(e) If Scheduled Castes/Scheduled Tribe candidates do not become available to fill the quota in non-technical and quasi-technical Class III and Class IV categories, recruitment to which is made otherwise than through a written examination, the best amongst the failures are appointed provided they have the minimum prescribed educational/technical qualifications.

(f) Concessions in height and chest measurement in the case of recruitment to posts of Sub-Inspector and Rakshaks in the Security Deptt., are allowed as follows :

	Height (cm)	Chest (cm)
Scheduled Castes	160	78
Scheduled Tribes	150	78
Others	167.6	81.3

(g) In respect of posts filled by promotion where safety aspect is not involved, a relaxation 10% in the minimum qualifying marks is granted to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe candidates.

(h) If despite the above concessions, the requisite number of Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates is not available for filling up selection posts, the best amongst them i.e. those who secure the highest marks. are provisionally earmarked for being placed on the selection panel to the extent vacancies have been reserved in their favour. The candidates so earmarked are promoted for 6 months on ad-hoc basis and during this period they are given facilities for improving their knowledge and coming up to the requisite standard. at the end of the six month period, a special report is obtained by the General Manager on the working of these candidates and their names are finally included in the selection panel provided he is satisfied in regard to their performance.

(i) Instructions have also been given to the Railways to organise pre-selection coaching classes for Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates so as to reduce the number of failures in promotional tests.

8. To make good the shortfall of Scheduled Castes and Scheduled Tribes both in recruitment and promotional categories to the extent possible, a special drive was launched on Railways in November, 1975. The drive lasted up to 31-3-76. During this period, Railways could recruit 1612 Scheduled Castes and 1114 Scheduled Tribe in Class III and 2703 Scheduled Castes and 2836 Scheduled Tribes in Class IV. 3513 Scheduled Castes and 2827 Scheduled

Tribes in Class III and 1174 Scheduled Castes and 1477 Scheduled Tribes in Class IV got promotions. At the end of the special drive, following was the balance shortfall on 1-4-76 :

	Class III		Class IV	
	S.C.	S.T.	S.C.	S.T.
Recruitment categories	519	721	308	1101
Promotional categories	2239	3472	440	1086

9. Efforts are being made to clear the shortfall at the earliest opportunity.

10. Separate Cells are already functioning at the Railway Board's level as also at the headquarters on the railways to watch the progress in regard to making good shortfalls in the recruitment of Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates.

Shri Chhabiram Argal : Whenever any question is asked, an evasive reply is given Complete answer should be given.

Prof. Madhu Dandavate : I have already given a detailed statement containing four pages. If the hon. Minister wants any further information that will be furnished.

Shri Ram Sagar : The hon. Minister has stated that the difficulty in completing the quota is that suitable candidates are not available, whereas the fact is, which is known to the hon. Members also, that lakhs of Scheduled Caste and Scheduled Tribe graduates and post-graduates are unemployed. So it does not appeal to the reason that suitable candidates are not available. I want to tell the hon. Minister that the officers of the Railway Department do not want to fill the quota reserved for Scheduled Castes and they are interested in recruiting their own relations. The same excuse is being repeated for the last thirty years. If he wants to fill the reserved he should have sympathy for Harijans.

Prof. Madhu Dandavate : Mr. Speaker, Sir, with your permission, I want to give ar detail reply to this question. Firstly I have already submitted a statement running into foue pages. The quota of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes is reserved with the sam sentiments expressed by the hon. Member. But there are certain special posts requiring special qualifications and candidates possessing those qualifications are not found in those castes. Even then we also issued clear instructions that it is essential to fill the quota. The question cannot be solved only by giving equal opportunities to the Scheduled Castes. They should be given special opportunities. So I have given written instruction that leaving aside safety post, in case of Clerical posts and class III and Class IV posts, persons belonging to Scheduled Castes should be appointed even if they do not come up to the required standard.

I have also issued instructions that attempts should be made to fill the shortfalls. A special campaign was also launched in this regard. There was a shortfall of 2175 vacancies. out of which 1656 vacancies have been filled after waiving the qualifications. It comes to 76 per cent. Similarly vacancies have been filledthe in case of Scheduled Tribes. The shortfall was 1,805 vacancies, out of which 1804 vacancies have been filled. We have filled 94 per cent vacancies in Class IV.

So far as Public Service Commission is concerned, I can't say with authority, but so far as my knowledge goes leniency is shown to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. So far as Class IV posts are concerned, all Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates are selected by the Screening Committee.

Shri Ram Sagar : I want to know from the hon. Minister whether the reservation quota is being filled in case of promotion also. I want to know whether he proposes to appoint a Parliamentary Enquiry Committee to go into the matter.

Prof. Madhu Dandavate : Our experience is that appointment of Committee generally results in delay. So we do no want to appoint a Committee for this matter. I will personally supervise whether the work is being done according to the instructions or not. Shortfall in

Scheduled Tribes 5136, vacancies filled-up 1664 and completion 32 per cent. Short fall in Class IV 3923, vacancies filled up 3483 and completion 88 per cent. Similarly, shortfall in Scheduled Tribes 2182, vacancies filled up 1096 and completion 50 percent.

I assure you that I am not happy with 90 per cent. My endeavour will be to bring it to 100 per cent.

श्री बी० रचैया : अनुसूचित जातियों और जनजतियों के लिये आरक्षण शुरू मे होता आया है । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों सम्बन्धी संसदीय समिति ने सभी श्रेणियों में आरक्षण का पालन सुनिश्चित करने हेतु एक विशेष सेल स्थापित करने की सिफारिश की थी । क्या यह विशेष सेल बना दिया गया है और क्या उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति का एक सदस्य शामिल कर लिया गया है ?

प्रो० मधु दण्डवते : यदि हम अनुसूचित जातियों और जनजातियों सम्बन्धी नीति पर अमल नहीं कर सके हैं तो इसके लिये अधिकारियों को दोष नहीं देना चाहिये । नीतियों को सफलता और असफलता के लिये मंत्री ही जिम्मेदार है । अतः मैं स्वयं सुनिश्चित करूंगा कि इस नीति पर कारगर ढंग से अमल हो ।

हमने विशेष सेल बना दिया है और उसमें अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को शामिल कर लिया है । प्रभारी मंत्री होने के नाते मैं सरकार की नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करूंगा ।

Shri Shiv Narain : What qualifications have been laid down for the Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates ? They are appointed as temporary or casual labourers and are not promoted for years together. I hope the present Government will not follow the wrong policies of the previous Government. Things will not improve unless you abolish the Railway Board.

Prof. Madhu Dandavate : Qualifications have been laid down for all categories of staff. We are liberalising these qualifications for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. However, we have not waived the qualifications for posts concerning the safety, nor as safety of the material of a bridge and the research work.

Shri Ram Kanwar Berwa : Will the Hon'ble Minister arrange to notify the vacancies, as and when they arise to the Members of Parliament belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes so that they may inform the concerned candidates accordingly ?

Prof. Madhu Dandavate : We shall try to give wide publicity to the vacancies in all cadres. We shall also consider the suggestion made by the Hon'ble Member.

श्री हितेन्द्र देसाई : श्रेणी एक, दो, तीन और चार में भर्ती की प्रतिशतता क्या है ?

प्रो० मधु दण्डवते : आरक्षण कुल सीटों की संख्या के आधार पर नहीं बल्कि उन रिक्त स्थानों की कुल संख्या के आधार पर होता है जिन्हें बनाया जाता है और जो हर वर्ष भरे जाते हैं । मैंने श्रेणी एक और श्रेणी दो के सम्बन्ध में प्रतिशतता नहीं बताई । वह इस प्रकार है :

	वर्ष	आरक्षित कोटा	भर्ती किये गये लोगों की संख्या
श्रेणी एक (अ० जा०)	1974	17	14
	1975	90	78
	1976	31	18
श्रेणी दो (अ० ज०)	1974	17	2
	1975	69	16
	1976	22	—
जहां तक श्रेणी दो का सम्बन्ध है, यह 1974 और 1975 में शून्य है ।			
श्रेणी दो (अ० जा०)	1976	36	36
श्रेणी दो (अ० ज०)	1976	7	7

अध्यक्ष महोदय : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतीत होता है । मैं इस पर विचार करूंगा कि कुछ और समय इस प्रश्न को दिया जा सकता है । अब मैं इस प्रश्न के और अनुपूरक प्रश्नों के पूछने को अनुमति नहीं दूंगा ।

इण्डिया टोबेको कम्पनी का चेयरमैन

*627. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि इण्डिया टोबेको कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता (पहले इम्पीरियल टोबेको कम्पनी लि०) के चैयरमैन, श्री ए० एन० हक्सर ने कम्पनी के चैयरमैन के पद से सेवा निवृत्ति मांगी और बाद में अपने आपको पांच वर्ष की अवधि के लिए पुनः नियुक्त करा लिया ;

(ख) यदि हां, तो क्या कम्पनी अधिनियम की शर्तों के अनुसार चैयरमैन के रूप में उनकी पुनः नियुक्ति के लिए सरकार की स्वीकृति प्राप्त की गई थी ;

(ग) सरकार ने कितना वेतन तथा अन्य परिलब्धियां मंजूर की और उन्होंने कम्पनी से सेवा-निवृत्ति के रूप में कितना धन प्राप्त किया ; और

(घ) कम्पनी के यदि किसी अन्य निदेशकों को इसी प्रकार पुनः नियुक्त किया गया है तो उन के नाम क्या हैं तथा उनका वेतन क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ख) हां, श्रीमान जी ।

(ग) सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन और परिलब्धियां संलग्न विवरण पत्र में दिये जाते हैं । श्री हक्सर उपदान और भविष्य निधि के हकदार नहीं थे किन्तु उन्होंने सेवा निवृत्ति अनुदान लाभ जो उनकी सेवा निवृत्ति के परिवर्तन के रूप में 3,82,831 रु० और सेवा निवृत्ति के परिवर्तन के पश्चात् सेवानिवृत्ति अनुदान 4,493 रु० प्रति माह प्राप्त किया ।

(घ) कम्पनी का कोई अन्य निदेशक समरूपी परिस्थितियों में पुनः नियुक्त नहीं किया गया ।

विवरण

मैसर्स आई० टी० सी० लिमिटेड के पूर्ण कालिक अध्यक्ष/निदेशक श्री ए० एन० हक्सर को दिया गया वेतन, कमीशन और परिलब्धियां ।

(क) 7,500 रु० (सात हजार और पांच सौ रुपये मात्र) मासिक वेतन ।

(ख) अधिनियम की धारा 309(5) में उल्लिखित पद्धति में गणित कम्पनी के शुद्ध लाभ पर एक प्रतिशत कमीशन, इस शर्त पर कि वार्षिक वेतन अर्थात् 45,000 रु० (पैंतालीस हजार रु० केवल) का 50 प्रतिशत अधिकतम ।

(ग) परिलब्धियां :

(1) भविष्य निधि में कम्पनी का अंशदान :

कम्पनी के नियमों के अनुसार किन्तु आयकर नियम, 1962 के अन्तर्गत यथाउल्लिखित वेतन का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

(2) सेवा निवृत्ति/अधिवार्षिकी निधि में कम्पनी का अंशदान :

कम्पनी के नियमों के अनुसार किन्तु वह भविष्य निधि में कम्पनी के अंशदान के साथ आयकर नियम, 1962 के अन्तर्गत यथा उल्लिखित वेतन का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

(3) उपदान :

सेवा के पूर्ण प्रत्येक वर्ष के आधे माह के वेतन से अधिक नहीं इस शर्त पर कि 30,000 रु० या 20 माह का वेतन जो भी कम हो अधिकतम ।

(4) स्वयं और परिवार के लिए चिकित्सा लाभ :

किये गये वास्तविक व्यय को प्रतिपूर्ति, सेवा के प्रत्येक तीन माह की अवधि के लिये 15,000 रु० अधिकतम के आधार पर कुल लागत जो कम्पनी के तीन माह के वेतन से अधिक नहीं होगा ।

(5) अवकाश यात्रा छूट :

उस शर्त पर कि केवल वास्तविक किराया जिसमें होटल खर्च आदि सम्मिलित नहीं होगा के आधार पर भारत में किसी स्थान से वर्ष में एक बार स्वयं और आश्रित बच्चों के लिए ।

(6) अवकाश

आगे इस शर्त पर कि अवकाश संचित किया गया किन्तु लिया नहीं गया हो का भुगतान नहीं किया जाएगा के आधार पर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 1 माह के वेतन से अधिक नहीं होगा ।

श्री ए० एन० हक्सर पूर्णकालिक अध्यक्ष, निदेशक उस शर्त पर कि उन प्रत्येक के सम्मुख उल्लिखित सीमाओं के बाद पूर्वोक्त परिलब्धियों पर किसी अधिक व्यय के आधार पर निम्नलिखित परिलब्धियों के हकदार होंगे, इसके साथ निम्न सूचीबद्ध परिलब्धियों पर व्यय के साथ 30,000 प्रत्येक वर्ष के वेतन/कुल वेतन का एक तिहाई से अधिक नहीं होगा ।

(7) पूर्ण सुविधाओं और सेवाओं के साथ सज्जित रहने का स्थान जिसका मुद्रा मूल्य आयकर नियम, 1962 के नियम 3 के अनुसार लागया जाएगा ।

(8) चालक सहित निःशुल्क कार का प्रयोग :

जिसका मुद्रा मूल्य आयकर नियम, 1962 के अनुसार तय किया जाएगा ।

(9) व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा :

प्रामियम की राशि जो 1,000 रु० से अधिक नहीं होगी ।

(10) निवास पर निशुल्क टेलीफ़ोन सुविधा ।

(11) अधिकतम दो क्लब के आधार पर क्लब शुल्क ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इण्डिया टोबेको कम्पनी का सिगरेट के तम्बाकू और तम्बाकू पर आधारित उद्योग पर पूर्ण एकाधिकार है । इस कम्पनी ने बहुत से भारतीय उद्यमियों को खत्म कर दिया है । यह कम्पनी बीजक बनाने में काफ़ी हेराफ़ेरी करती है और इसने काफ़ी काला धन कमाया है । मेरे पास 65 व्यापारियों की सूची है जिन्होंने गौहाटी में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की स्मारिका निकालने के लिये 34.96 लाख रुपये दिये । मैं यह सूची आपको दे दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : हमारे देश में राष्ट्रपति की पेंशन 1500 रुपये प्रति मास है । लेकिन इस कम्पनी के चैयरमैन की पेंशन 4000 रुपये है । उन्हें 7500 रुपये प्रति मास पर पुनः नियुक्त किया गया। इस व्यक्ति को 3,82,831 रुपये पेंशन के रूप में इकट्ठे मिले और इसके बाद भी पेंशन दी जा रही है । सेवा-निवृत्ति की सामान्य आयु क्या है और श्री हक्सर किस आयु पर सेवानिवृत्त हुए और जब वह सेवानिवृत्त हुए तो उन्हें कितनी पेंशन दी गई ? क्या कम्पनी ने महारानी बाग में श्री हक्सर से मकान भारी किराये पर लिया है ।

श्री शान्ति भूषण : 50 वर्ष की आयु के बाद श्री हक्सर ने कम्पनी के नियमों के अनुसार कम्पनी से सेवानिवृत्त होने की इच्छा प्रकट की । वह 1975 में सेवानिवृत्त हुए । सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग संराशित करा लिया । फिर निदेशक के अनुरोध पर वह नये सिरे से नियुक्त होने के लिये राजी हो गये ।

महारानी बाग में मकान के बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सरकार ने 1975 में श्री हक्सर की अधिकतम वेतन और परिलब्धियों पर चैयरमैन-डायरेक्टर के रूप में नियुक्ति को किस प्रकार मंजूरी दी ? क्या सरकार इस मंजूरी को अब वापस लेगी ?

श्री शान्ति भूषण : यह मंजूरी धारा 269(दो) के अन्तर्गत दी जाती है जिसमें कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार उप-धारा 1 के अधीन उस समय तक मंजूरी नहीं देगी जब तक वह सन्तुष्ट न हो जाये कि एक प्रबन्धक अथवा पूर्णकालिक निदेशक रखना कम्पनी के हित में है, कि प्रस्तावित प्रबन्धक अथवा पूर्णकालिक निदेशक, उसकी राय में इस पद के लिये एक उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति है नियुक्ति सार्वजनिक हित के प्रतिकूल नहीं है और उसकी नियुक्ति की शर्तें न्यायोचित हैं । वर्तमान सरकार इस प्रश्न पर समग्र रूप से विचार कर रही है और नये मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित करने की सोच रही है । इन, सिद्धांतों को निर्धारित करने के बाद इन्हें लागू कर दिया जायेगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस गैर कानूनी मंजूरी के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है ।

श्री शान्ति भूषण : अधिनियम के अधीन, किसी निश्चित अवधि के लिये नियुक्ति और वेतन एक बार मंजूर किये जाने के बाद, सरकार द्वारा नामंजूर नहीं किये जा सकते ।

इस प्रश्न के बारे में कि क्या ऐसा अधिकार लिया जाए या नहीं, कम्पनी अधिनियम और एकाधिकार अधिनियम का संशोधन करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई है और इस प्रश्न की जांच की जाएगी कि क्या यह अधिकार दिया जाए अथवा नहीं ।

श्री के० सूर्यनारायण : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सज्जन ने नई नियुक्ति से पूर्व कोई राशि निकाली थी, और यदि हों, तो कितनी राशि निकाली थी और किस खाते से और कितना आय-कर दिया ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उसकी विशेष अर्हताएं या तकनीकी अर्हताएं कार्य अनुभव आदि क्या हैं

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं इसे सभा-पटल पर रख रहा हूं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं **(व्यवधान)**

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियमों के अन्तर्गत, मैंने पहले ही लिख दिया था और अग्रिम कापी भी दे दी थी ।

अध्यक्ष महोदय : फिर ठीक है ।

श्री के० सूर्यनारायण : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या नियुक्त किए जाने वाले इस सज्जन को कोई कार्य अनुभव है या कोई तकनीकी अर्हता है या कितनी राशि सेवानिवृत्त होने पर निकलवाई है और नियुक्ति की शर्तें क्या हैं, क्या यह नियुक्ति 5 वर्ष के लिए है या तीन वर्ष के लिये ?

श्री शान्ति भूषण : जहां तक श्री हक्सर की अर्हता का प्रश्न है, उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से व्यापार प्रशासन में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की और जे० वाल्टर थाम्पसन कम्पनी, न्यूयार्क में प्रशिक्षण प्राप्त किया । इसके बाद उन्होंने भारत की इण्डियन टोबाको कम्पनी लिमिटेड, जिसे पहले इम्पीरियल टोबाको कम्पनी लिमिटेड कहा जाता था, में सहायक (विपणन) के रूप में नौकरी शुरू की । उन्हें इस कम्पनी के बोर्ड में विपणन निदेशक बनाया गया और 1969 में चेयरमैन बनाया गया ।

मैं प्रश्न के दूसरे भाग को नहीं समझ सका . .

श्री के० सूर्यनारायण : पद-नियुक्ति से पूर्व उन्होंने कितनी राशि निकलवाई ?

श्री शान्ति भूषण : मैंने पहले ही बता दिया है कि उनकी पेंशन के एक भाग को संराशित किया गया था और यह राशि 3,82,831 रुपये थी । शेष पेंशन 4,493 रुपये प्रतिमाह थी ।

श्री के० सूर्यनारायण : आय-कर ?

अध्यक्ष महोदय : अब आप यह नहीं पूछ सकते कि उसने कितना आय कर दिया ?

Shri H. C. Kachhwai : Through you Sir, I would like to know from the hon. Minister whether Government will make such a provision that the salary and pension of a director or a Chairman of a Company should not exceed the salary and pension of the President of India ? Would the Government make such legislation ?

Secondly, how much amount will be spent on chowkidars, servants, cooks, sweepers and doorkeepers and on furniture and air-conditioning annually ? How much they spent in clubs annually ?

Shri Shanti Bhushan : As I have already stated, Government is considering as to what should be the salary of Directors, what amenities should be provided to them and what should be the guidelines. It is also being considered as to how these guidelines could be revised and what should be the policy in this regard. Government will take a decision after thorough consideration.

श्री श्याम नन्दन मिश्र : सदन में रखे गए वक्तव्य से स्पष्ट है कि हम नए महाराजा बनाने में सफल हुए हैं, जो पुराने महाराजाओं की अपेक्षा अधिक समृद्ध और ऐश्वर्यशाली हैं । प्रश्न यह उठता है कि क्या जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र के अनुसरण में, कि वह विषमता का स्तर 1 : 10 लाएगी, गैर-सरकारी क्षेत्र के अधिकारियों के वेतन, कमीशन तथा सुविधाओं के ढांचे में व्यापक परिवर्तन करेगी ? दूसरे, क्या यही सज्जन गत सत्तारूढ़ दल के लिए चंदा एकत्र करने वाले थे और यदि हां तो इसके द्वारा विज्ञापन के स्वीकृत स्तर को पार करने के मामले में क्या कोई कार्यवाही की जा रही है ? इसके अतिरिक्त वह अभी तक निदेशक बोर्ड में क्यों है ? सरकार ने इनको बोर्ड से निकालने के बाद रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के निदेशक बोर्ड का पुनर्गठन क्यों नहीं किया ?

श्री शान्ति भूषण : जहां तक विभिन्न वर्गों की विषमता कम करने का प्रश्न है, कुछ वर्ष पूर्व कम्पनी अधिनियम में ऐसे प्रावधान बनाए गये थे और मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि सरकार समस्या से अवगत है और निदेशकों के वेतनों के मामले में मार्गदर्शी सिद्धांतों में संशोधन करने के प्रश्न पर भी विचार कर रही है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : क्या यह सब सरकार के घोषणा-पत्र के अनुरूप है ?

श्री शान्ति भूषण : अभी तक यह निर्णय नहीं किया गया है कि संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत कौनसे होंगे परन्तु ज्योंही इस बारे में निर्णय ले लिया जाएगा इसे लागू कर दिया जाएगा ।

जहां तक रिजर्व बैंक का सम्बन्ध है, मुझे खेद है कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है ।

जहां तक विभिन्न दलों को कम्पनियों द्वारा दिए गए विज्ञापनों के प्रश्न का सम्बन्ध है, काफी जानकारी एकत्र कर ली गई है और सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि इस बारे में क्या नीति अपनाई जाए ? शीघ्र ही कोई निर्णय ले लिया जाएगा ।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : प्रसन्नता की बात है कि मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया है कि मार्गदर्शी सिद्धांतों में संशोधन किया जाएगा । यह बहुत आवश्यक है क्योंकि ऐसी धारणा जोर पकड़ती जा रही है कि जिन लोगों ने आपात स्थिति का समर्थन किया था और अपेक्षा से अधिक काम किया और किसी ऊंची स्थिति पर पहुंच गए थे, वे लोग पिछले दरवाजे से फिर उसी स्थिति में आना चाहते हैं । अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय ने पूर्व कर के आधार पर दी गई सभी सुविधाओं का पता लगाने के बाद उनके वास्तविक वेतन का अनुमान लगाया है ? हर महीने श्री हक्सर को कितना वेतन मिलता है ? 7500 रुपये के आंकड़े गुमराह करने वाले हैं और मेरा अपना अनुमान है कि उनका वेतन एक लाख रुपये से ऊपर है । मंत्री महोदय यह स्पष्ट करें कि क्या श्री हक्सर का वेतन 1,40,000 रु० है ताकि सदन को यह पता चल सके कि श्री हक्सर को कितना वेतन मिलता है ।

श्री शान्ति भूषण : मैं यह बताने की स्थिति में नहीं हूं कि उन्हें विभिन्न कितनी सुविधाएं प्राप्त हैं और इन पर कितना व्यय होता है ।

श्री के० लकप्पा : कुछ ऐसे पदाधिकारी भी हैं जो बोर्ड के सदस्य नहीं हैं परन्तु, उन्हें ऊंचे वेतन एवं सुविधाएं प्राप्त हैं । कम्पनी नियम के साथ सम्बन्धित विधि बोर्ड तथा अन्य कई प्रक्रियाओं की उपेक्षा की गई है । कुछ लोगों को 35,000 रुपये से भी अधिक वेतन मिलता है क्योंकि तम्बाकू कम्पनी बहुत बड़ी कम्पनी है । जहां तक पदाधिकारियों का सम्बन्ध है, सरकार कम्पनी के मामलों को सुचारु बनाने के लिए क्या मार्गदर्शी सिद्धांत अपनाएगी ?

श्री शान्ति भूषण : माननीय सदस्य ने ठीक कहा है कि कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत प्रबन्धकीय स्तर के पदाधिकारियों के वेतनों को नियमित किया जा सकता है। जहां तक दूसरे कर्मचारियों का सम्बन्ध है, सरकार को उनके वेतन नियमित करने का कोई अधिकार नहीं है ।

श्री पी० जी० मावलंकर : मंत्री महोदय का उत्तर अस्पष्ट एवं खेदजनक है । उनका कहना है कि सरकार कुछ नहीं कर सकती और उसके पास कोई अधिकार नहीं है । मैं उन्हें जानना चाहता हूं कि क्या वह बड़ी निजी कम्पनियों में उच्च-स्तर के प्रबन्धकीय मुख्य पदाधिकारियों के सामान्य रवैये के बारे में मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करेंगे ताकि उनके वेतन तथा सुविधाएं देश की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं के प्रतिकूल न होकर उनके अनुरूप बनें ? जनता सरकार कब तक नए मार्गदर्शी सिद्धांत बनाएगी और कम्पनी अधिनियम में संशोधन करेगी ताकि सरकार इस तर्क का सहारा न ले सके कि वह इस मामले में कुछ नहीं कर सकती ।

श्री शान्ति भूषण : जहां तक मार्गदर्शी सिद्धांत बनाने का प्रश्न है, कम्पनी अधिनियम के अनुरूप निदेशकों आदि के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए गए हैं। जहां तक अन्य कर्मचारियों को इसके प्रावधानों के अन्तर्गत लाने का प्रश्न है, हाल में अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में गठित की गई समिति इस पर विचार करेगी । अब चूंकि आप अध्यक्ष के रूप में चुन लिए गए हैं, किसी और को समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा । यह समिति इस वर्ष के अंत तक अपना प्रतिवेदन दे देगी। यह समिति कम्पनी अधिनियम में संशोधन करने पर भी विचार करेगी ।

श्री एस० ननजेश गौड़ा : तम्बाकू कम्पनी किसानों से कम दरों पर तम्बाकू खरीदती है ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इसका उत्तर नहीं दे सकते ।

श्री एस० ननजेश गौड़ा: किसान खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन उन्हें प्रतिवर्ष 1,000 या 2,000 प्रतिवर्ष से अधिक नहीं मिलता । क्या सरकार उनके हितों के प्रश्न पर विचार करेंगी ?

श्री शान्ति भूषण : कम्पनी अधिनियम द्वारा किसानों की रक्षा करने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि कम्पनी अधिनियम कच्चे माल के खरीददारों से संबंधित नहीं है ?

काशीपुर गोदाम, पश्चिमी बंगाल में गेहूं और चावल की दशा

24. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :**

श्री कंवर लाल गुप्त :

श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल राज्य में काशीपुर गोदाम में रखा हुआ गेहूं और चावल मानवीय उपभोग के लिए ठीक नहीं है ;

(ख) उस गोदाम में ऐसा अनाज कितनी मात्रा में है और उसकी उपेक्षा के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या देश में ऐसे अनाज का भण्डारण करने के कोई गोदाम हैं; और

(घ) यदि हां, तो वे कहां-कहां हैं और उनमें कितनी मात्रा में अनाज भरा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा भेजी गई सूचनानुसार क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों की मामूली मात्रा को छोड़कर, काशीपुर गोदाम में रखा गेहूं और चावल का सभी स्टाक मानव उपभोग के योग्य है । इस मामूली मात्रा को मानव उपभोग के लिए पहले ही अयोग्य घोषित कर दिया गया है और इसका पशु चारे-मुर्गी दाने के रूप में निपटारा करने की प्रतीक्षा की जा रही है । काशीपुर में रखे गए गेहूं और चावल के कुल लगभग 38051 मीटरी टन के स्टाक में से, लगभग 250 मीटरी टन स्टाक को मानव उपभोग के अयोग्य बताया जाता है ।

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में रखे गए मानव उपभोग के अयोग्य स्टाक के बारे में राज्यवार सूचना बताने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(मात्रा मी० टन में)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	1-7-1977 को भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में रखे गए मानव उपभोग के अयोग्य घोषित किए गए खाद्यानों की मात्रा
1	2
1. आन्ध्र प्रदेश	5961
2. बिहार	777
3. गुजरात	5034

1	2
4 हरियाणा	156
5. जम्मू तथा कश्मीर	364
6. कर्नाटक	66
7. केरल	26
8. मध्य प्रदेश	743
9. महाराष्ट्र	2663
10. उड़ीसा	34
11. पंजाब	36
12. राजस्थान	2323
13. तमिल नाडु	20133
14. उत्तर प्रदेश	1414
15. पश्चिमी बंगाल	468
16. दिल्ली	20
जोड़	40218

श्री पी० राजगोपाल नायडू : खाद्यान्न को खराब क्यों होने दिया गया ? तमिलनाडु में 20,133 टन खाद्यान्न मानवीय उपभोग के लिए नहीं था । इसके क्या कारण हैं ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : तमिलनाडु में चक्रवात के कारण खाद्यान्न खराब हो गया । यह खाद्यान्न पोलीथीन की चादरों के नीचे ढका पड़ा था और खराब हो गया ।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : पश्चिम बंगाल में कितना खाद्यान्न खराब हुआ ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : 468 टन ।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : इसके क्या कारण थे ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : कुछ गोदाम चू रहे थे । चक्रवात के कारण भी खाद्यान्न खराब हुआ ।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : गेहूं के बड़े भंडार को देखते हुए क्या सरकार का विचार इसका निर्यात करने का है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : सरकार का विचार किसी भी देश को गेहूं का निर्यात करने का नहीं है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : The Managing Director of F.C.I. has admitted that F.C.I. has suffered loss to the tune of 210 crores of rupees in the last eight years in storage and transit. So far as the question of sending damaged rice to West Bengal is concerned, General Manager of F.C.I. has stated that truck operators have manipulated and the rice and grain supplied to ration shops of Calcutta was not that which was actually supplied to them. Truck operators had replaced the actual foodgrain. On the other hand, the Food Minister of West Bengal has stated that it has purchased the damaged wheat under political pressure and has not sent back the damaged foodgrain. Food Minister of West Bengal met the hon. Minister and asked for the replacement of damaged foodgrain and consequently F.C.I. replaced the damaged foodgrain.

Versions of Food Corporation of India and the State Food Minister are damaging. The Food Minister of West Bengal had stated that damaged foodgrain was purchased under political pressure. It is very serious. It is also a very serious thing if the foodgrain was replaced by damaged foodgrain. Would the hon. Minister conduct an enquiry to find out the facts of this case and place the enquiry report on the Table of the House?

Shri Surjeet Singh Barnala : It is true that the State Food Minister came to me and complained that the foodgrain, particularly the foodgrain lying in Cossipore is not good. He had also brought with him a sample of that. I immediately ordered for sending a team there and the team reached there on the 19th morning. They were accompanied by the officers and some Government officials and they checked the storage fully. The report submitted by them says :

"स्टाकों के स्तर में सुधार करने के लिए प्रस्तावित प्रबन्धों से पश्चिम बंगाल के खाद्य तथा पूर्ति मंत्री संतुष्ट थे। इन प्रबन्धों के बारे में सभी का एकमत था। कुछ प्रबन्ध ये हैं :--

(1) खाद्यान्न के प्रत्येक स्टाक का संयुक्त निरीक्षण होना चाहिये। यह निरीक्षण राज्य सरकार तथा भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

(2) खाद्यान्न को जारी करने से पूर्व भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी प्रत्येक बोरी का अच्छी तरह निरीक्षण करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार के साथ हमारे सम्बन्ध अच्छे होने के कारण वे संयुक्त निरीक्षण के लिए राजी हो गए हैं ताकि मोटा चावल न चाहने वाले उपभोक्ताओं को कोई शिकायत का मौका न मिले।".

शिकायतें तभी की जाती हैं जब कभी मोटा चावल जारी किया जाता है, क्योंकि वह अपेक्षित स्तर का नहीं होता और उसमें मिलावट होती है जिससे चावल देखने में अच्छा नहीं लगता। उसे साफ किया जाता है या पालिश की जाती है हम इस बारे में पर्याप्त प्रबन्ध कर रहे हैं।

प्रतिवेदन में आगे कहा गया है :

"राज्य सरकार राशन की दुकानों पर सरकारी कर्मचारियों द्वारा कड़ा निरीक्षण करवाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बेईमान लाइसेंसधारियों द्वारा घटिया किस्म के माल से मिलावट न की जाए।

राशन दुकानदारों को यह सलाह दी जाएगी कि वे स्वयं माल लेने के लिए भारतीय खाद्य निगम के डिपो पर जाएं और ट्रक चालकों की जिम्मेदारी पर सब काम छोड़ने की बजाय स्वयं यह तसल्ली कर लें कि माल ठीक किस्म का है अथवा नहीं।"

कलकत्ता में राशन डिपो मालिकों के पास ठेकेदार होते हैं और वे ही सभी दुकानदारों के लिए माल लाते हैं। इस बीच गड़बड़ी कर दी जाती है। खाद्यान जारी करने के स्थान तथा राशन की सभी दुकानों पर प्रति माह भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा।

ये कुछ उपाय किए गए हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमान्, कांग्रेस सरकार के शासनकाल में भारतीय खाद्य निगम ने लूट मचा रखी थी। भूतपूर्व कांग्रेसी मंत्री, श्री इकबाल सिंह का मामला हमारे सामने है। उन्होंने कांग्रेसी शासन के दौरान बहुत पैसा बनाया। पश्चिम बंगाल कमी वाला राज्य है और ऐसे ही कई अन्य राज्य भी हैं। हम पटसन का उत्पादन करते हैं तथा केन्द्रीय राजकोष के लिए पैसा कमाते हैं। कांग्रेस सरकार ने हमें ऐसा भिखारी बनाए रखा जो अपनी इच्छा के मुताबिक चीज नहीं ले सकता वहां हमें उतना चावल खरीदना पड़ा किन्तु खाद्य मंत्री कह रहे थे कि वह कच्चा चावल था। खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि उस चावल में धूल, पाऊडर था तथा वह निम्न स्तर का चावल था।

अब चावल की सप्लाई के लिए उचित औसत कोटि का फ़ार्मूला निर्धारित किया गया है। सरकार तथा भारतीय खाद्य निगम को ऐसा करना आवश्यक है। 14 जुलाई को पश्चिम बंगाल के खाद्य मंत्री, खाद्य आयुक्त तथा भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय प्रबन्धक ने एक यादृच्छिक संयुक्त प्रतिचयन किया और श्री बरनाला ने उन नमूनों को देख लिया है। वह बहुत ही निम्न श्रेणी का चावल था। 19 जुलाई को भारतीय खाद्य निगम के किस्म नियंत्रण प्रबन्धक तथा खाद्य मंत्रालय के डा० अग्रवाल ने निरीक्षण करने के पश्चात् यह स्वीकार किया कि कलकत्ता में निम्न कोटि का चावल था और यह अधिक उपज देने वाली किस्म है। बड़े-बड़े जमींदारों, सट्टेबाजों तथा जमाखोरों, जो दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर भी हैं, के कारण ऐसा होता है। प्रश्न यह है कि भारतीय खाद्य निगम हमें बड़ी मात्रा में घटिया किस्म का चावल लेने के लिए बाध्य क्यों कर रहा है? भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित स्तर बहुत ही निम्न स्तर का है।

मेरा प्रश्न यह है कि क्या माननीय मंत्री जी हमें बताएंगे कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित स्तर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा निर्धारित किए गए स्तर की तुलना में नीचे क्यों हैं? वह चावलों में नमी विदेशी तत्व विशिष्टीकरण आदि की सहन करने योग्य सीमा निर्धारित करने के लिए क्या व्यव स्था कर रहे हैं। अतीत में जो कुछ हुआ है उसे भूल जाइए। अब तो हम भविष्य की ओर देख रहे हैं।

श्रीमान सफाई किए बिना कच्चा चावल सप्लाई किया जा रहा है यह मोटा चावल है। सफाई करने से पूर्व चावल निम्न कोटि का होता है। मैं चाहता हूं कि वह इसका उत्तर दें। मैं एक ओर प्रश्न पूछना चाहता हूं आप हमें उपयुक्त उत्तर दें कि भारतीय खाद्य निगम पश्चिम बंगाल सरकार को चावलों की बजाय धान लेने से क्यों रोक रहा है? हमें चावल नहीं बल्कि धान चाहिए और वह भी अच्छी किस्म का।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : जहां तक उसना चावल का सम्बन्ध है, यह चावल इतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है कि समूचे पश्चिम बंगाल की जरूरत के मुताबिक इसकी सप्लाई की जा सके। केरल में उसना चावल की मांग की जा रही है। इसी कारण हम अपेक्षित मात्रा में इस चावल की सप्लाई नहीं कर सके। किन्तु अब हम चावल मिलों को उसना चावल तैयार करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं। हरियाणा तथा पंजाब की मिलों को इस चावल के लिए 5 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि दी जाती है। कई मिलों ने उसना धान से चावल बनाने का काम आरम्भ कर दिया है। इस फसल से इन राज्यों के लिए कुछ अधिक मात्रा में उसना चावल उपलब्ध हो जायेगा। जहां तक किस्म का सम्बन्ध है, इनके मूल्यों के चार वर्ग हैं। ये क, ख, ग, तथा घ वर्ग हैं जहां तक 'क' किस्म का संम्बन्ध है, इसके बारे में कई बातें हैं। क 'ख' और 'ग' किस्म इन बातों के अनुसार सप्लाई की जाती है। चावल की "घ" सीधे सप्लाई नहीं की जाती इसे सफाई करने के बाद ही सप्लाई किया जाता है क्योंकि इसमें कई तत्व मिश्रित होते हैं। इसमें कुछ रेत भी होता है, इसलिए इसे पहले साफ किया जाता है और तभी इसकी सप्लाई की जाती है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं एक विशेष प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या माननीय मंत्री पश्चिम बंगाल सरकार को चावल की बजाय धान की वसूली या आयात की अनुमति देंगे।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : इसमें एक कठिनाई है क्योंकि चावल की वसूली उन राज्यों में की जाती है जहां अतिरिक्त चावल पैदा होता है। वे धान का छिलका भी उतारना चाहते हैं। उनके पास छिलके निकालने की मशीनें हैं। यदि वे धान का निर्यात करने लग जायें तो उनकी मशीनें बेकार हो जाएंगी। अतः इसमें यह कठिनाई है। किन्तु हम इस प्रश्न पर पुनः विचार करेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमान यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमें कई वर्षों से चावलों के अभाव का सामना करना पड़ रहा है । माननीय मंत्री हमें यह कह दें कि वह हमें यथा संभव अधिकाधिक धान देंगे क्या वह पश्चिम बंगाल सरकार को कुछ धान आयात करने या उसकी वसूली करने की अनुमति देंगे ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : पश्चिम बंगाल सरकार अपने उपयोग के लिए पहले ही कुछ चावल की वसूली कर रही है। उन्होंने लगभग 1 लाख 60 हजार टन चावलों की वसूली पहले ही तैयार कर ली है।

श्री आर० के० अमीन : अब भारत सरकार के पास स्टाक में 200 लाख टन से अधिक अनाज है और जो कुछ पश्चिम बंगाल में हो रहा है, वह अन्यत्र भी हो रहा है। स्टाक का बड़ा भाग खुले में रखा हुआ है जिससे अनाज खराब हो रहा है। दूसरे खराब अनाज का बाजार मूल्य इतना अधिक है और सरकार भी उसी मूल्य पर जोर दे रही है। इससे वे उसे बेच नहीं पा रहे हैं। क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि जब सरकार के पास इतना अधिक स्टाक है तो क्या वे उतना अनाज स्टाक में रखेंगे जितना कि सामान्य तौर पर रखा जा सकता है और बाकी को किसी भी कीमत पर बेच देंगे ताकि वह और अधिक खराब न हो।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मेरे माननीय मित्र का यह कहना भी गलत है कि स्टाक का अधिकांश भाग खुले में रखा हुआ है। लगभग 50 से 60 लाख टन तक ही गोदामों से बाहर ढककर रखा हुआ है ।

श्री आर. के० अमीन : 80 लाख टन ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : हमारा पहला प्रयास यह था कि खाद्यान्नों को गोदामों में रखा जाय । जब वह पूरा हो गया तो फिर हमने उन्हें तिरपालों आदि से ढकने का तरीका अपनाया । यह कहना गलत है कि तिरपाल आदि से ढका अनाज खराब हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ स्थानों पर तिरपाल आदि से ढके अनाज पर गर्मी पहुंचाने से वह अच्छी स्थिति में है। कहीं-कहीं से हम अधिकाधिक स्टाक उठा रहे हैं। इसलिए हमने राज्य सरकारों से कहा है कि हम उनकी जरूरत के अनुसार गेहूं की सप्लाई कर लेंग। हम उनकी चावलों की जरूरतों को भी पूरा कर रहें हैं। उनकी अधिकांश जरूरत पूरी की जा रही है।

Shri Jagdish Prasad Mathur : I want to inform the Hon. Minister that the polythene bags containing foodgrains of F.C.I. have been torn and now the foodgrains are deteriorating due to rainy season at many places in Rajasthan. Nothing has been done to save the foodgrains. The foodgrains there has started sprouting. I want to know whether the hon. Minister would take steps to sell that stock in market ten rupees cheaper than its actual price. Very soon a conference of state Chief Ministers is going to be held. Will you raise this issue in that conference also so that this stock may be disposed of and it may be saved from being deteriorated ? At the same time you will be able to check raising prices too.

Shri Surjeet Singh Barnala : I am thankful to the hon. member that he has given me this information. I will take appropriate steps in this regard today itself. So for as the sale of these commodities at cheaper rates is concerned, the procurement price is Rs. 110/ and the issue price is rupees 125. These rates have been going on for the last three years. Therefore, I have no proposal to reduce the price of that stock.

Shri Jagdish Prasad Mathur : It is better to sell that stock at cheaper rates, otherwise that will go waste.

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी: माननीय मंत्री जी ने बताया है कि गोदाम में तिरपालों के फट जाने के कारण ही खाद्यान्नों को नुक्सान पहुंचा है। आज भी आन्ध्र प्रदेश में हजारों टन अनाज तिरपालों से ढका हुआ है, वे तिरपाल गत वर्ष आयात किए गए थे। एक बरसात तो समाप्त हो गई है जिससे कि अनाज को हानि पहुंची है। अब पुनः बरसात शुरू हो गई है। इन तिरपालों से ढका हुआ गेहूं और अधिक खराब हो गया है। माननीय सदस्य ने जो अनुरोध किया है उससे मैं सहमत हूं। मंत्री जी को इसके मूल्य में कमी करके इसे बेच देना चाहिए। अन्यथा यह गेहूं आपको कूड़े में फेंकना पड़ेगा। इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला: जहां कहीं तिरपाल खराब होते हैं, उन्हें बदल दिया जाता है। यह काम समय-समय पर किया जाता है।

Shri Tej Pratap Singh: There are no proper arrangements for storing foodgrain in Jhansi. Recently I visited Jhansi and found that a large quantity of foodgrain has become rotten and the same is being supplied to cosumers. It will definitely affect their health. I want to know whether the hon. Minister will enquire into it and stop the distribution of such foodgrains?

Shri Surjeet Singh Barnala: I have not received any such information about Jhansi, but I will look into it. It is not true that rotten foodgrain is being distributed. The rotten foodgrain is taken out and used as fodder and not for human consumption.

Shri Ishwar Chaudhary: The Food Corporation of India has become a den of corruption. The hon. Minister is well aware of it. The officials and godown-keepers sell wheat in black market and to keep it a secret thousands of quintals of wheat and rice are kept in the open which is rotting due to rain and insects. The hon. Minister must be aware of it. Recently, I visited Gaya (Bihar) and found that not 200 quintals but 2,000 quintals of foodgrain is deteriorating and rotting there. Not only this, the wheat has started sprouting. I want to know whether the hon. Minister will institute a proper enquiry into it and punish those officers with whose connivance foodgrain has been stolen from the godowns?

Shri Surjeet Singh Barnala: So far as theft is concerned, whenever it takes place, the case is registered and in some cases the persons found responsible are convicted. So far as damage to foodgrains in Bihar is concerned, it is much less than the hon. member has pointed out. My hon. friend does not have a correct information in this regard, because some times he says 200 quintals and sometimes 2,000 quintals. We have not received any such information that a large quantity of foodgrains in Bihar has become rotten.

Shri Ishwar Chaudhary: A large quantity of foodgrain has been damaged there. I have been there. You may enquire into it.

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठिये। मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। अब आपको और समय नहीं दिया जायेगा।

श्री डी० डी० देसाई: समय पर वर्षा हो जाने के कारण आने वाले दो महीने में अच्छी फसल हो जायगी। किन्तु हमारे भंडारण की समस्या भी है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय खुले स्थानों पर ढककर रखे हुए अनाज को "कार्य के बदले खाद्यान्न कार्यक्रम" के लिए उपयोग में लाने पर विचार करेंगे। इससे ग्रामीण बेरोजगारी काफी हद तक दूर होगी तथा ग्रामीण क्षत्रों में विकास की गतिविधियां बढ़ेंगी?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला: श्रीमान हमने "कार्य के बदले खाद्यान्न" नामक योजना तैयार की है। इस योजना के अन्तर्गत हम राज सहायता प्राप्त दरों पर कुछ राज्यों को खाद्यान्नों की सप्लाई कर रहे हैं, जहां सार्वजनिक कार्य या उसके रखरखाव का कार्य चल रहा हो।

ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि जब सार्वजनिक कार्यों में श्रमिक लगे हुए हों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में तो उन्हें उसके बदले खाद्यान्न दिये जा सकें।

Shri Bhanu Kumar Shastri : I do not know why complaints do not come to hon. Minister. A large quanity of foodgrain is lying in the open which is rotting there. I would like to tell you about what is happening in Udaypur, Rajasthan. These people do not purchase wheat which is supplied through fair price shops. Because that wheat is rotten and is not fit for human consumption. I want to know whether that wheat will be thrown out or sold at cheaper price ?

Shri Surjeet Singh Barnala : I have already stated that the foodgrain which is not fit for human consumption, is not supplied through fair price shops. The foodgrain which is partly damaged is given to mills and that is used as Cattle feed. The rotten foodgrain is not sold in the market.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में नाइट्रोजन तथा फास्फेट उर्वरकों के उत्पादन में कमी

*628. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास फर्टिलाईजर्स लिमिटेड में 1976-77 के दौरान नाइट्रोजन तथा फास्फेट उर्वरकों के उत्पादन में कमी होने के क्या कारण हैं: और

(ख) इस उपक्रम की क्षमता का कहां तक उपयोग किया गया था तथा क्षमता का पूरी तरह से उपयोग न करने के लिए क्या बाधाएं आई हैं?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) 1976-77 के दौरान मद्रास फर्टिलाईजर लिमिटेड में नाइट्रोजन और पी० $_2$ ओ० $_5$ का उत्पादन 1975-76 के उत्पादन की तुलना में क्रमशः 15,000 मी० टन और 4,000 मी० टन कम था। 1976-77 के दौरान संयंत्र में क्षमता का उपयोग नाइट्रोजन के लिये 78.53% और पी०$_2$ ओ० $_5$ के लिए 63.6% था जबकि वर्ष 1975-76 के दौरान यह क्षमता उपयोग क्रमश : 88% और 70.6% था :

2. उत्पादन में कमी की मुख्य वजह संयंत्र का सम्पूर्ण अनुरक्षण और अन्य यांत्रिक समस्याओं के कारण 36 दिन तक बन्द रहना था ।

पेट्रोलियम उत्पादों की खपत घटाने की कार्यवाही

*629 **श्री एस० आर० दामाणी** : : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पैट्रोलियम उत्पादों की खपत घटाने के लिए गत वर्ष क्या विशेष प्रयास किये गये ;

(ख) उन प्रयासों के क्या परिणाम निकले और कितनी बचत हुई ; और

(ग) और अधिक बचत करने के उद्देश्य से चालू वर्ष के दौरान क्या कदम उठाने का विचार हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) :(क) से(ग) अपेक्षित सूचना दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) वर्ष 1976-77 के दौरान पैट्रोलियम उत्पादों की खपत में कमी करने के लिय जो विशेष कदम उठाये गये हैं, वे निम्नलिखित हैं :—

(i) मिट्टी के तेल से जलने वाले एक ऐसे सुधरे हुए बत्ती वाले स्टोव की खोज करना जिसकी उष्म-सह दक्षता इसी प्रकार के मिट्टी के तेल वाले स्टोवों में लगभग 40% से 45% तक की सामान्य ऊष्म-सह दक्षता की तुलना में लगभग 60 प्रतिशत है।

(ii) शहरों तथा नगरों के अन्दर चलने वाली यात्री परिवहन गाड़ियों और राज्य मार्ग परि व हन की गाड़ियों पर संवैधानिक रुप से गति सीमाएं निर्धारित करने और डीजल की खपत में दक्षता प्राप्त करने के लिए अधिक धुआं छोड़ने वाली मालवाहक और यात्री गाड़ियों पर नियन्त्रण करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह देना ।

(iii) परिवहन के क्षेत्र में हाई स्पीड डीजल की उपयोगिता में अधिक निपुणता के लिए अध्ययन आरम्भ करना ।

(iv) जहां कहीं भी प्रौद्योगिकीय रुप से संभव हो, मट्टी के तेल के स्थान पर कोयले का प्रयोग करना ।

(v) विभिन्न एककों द्वारा मिट्टी के तेल के प्रयोग में दक्षता के सुधार हेतु उपायों को अपनाना ;

(vi) ऊर्जा संरक्षण हेतु विस्तुत मार्ग दर्शी रुप रेखाओं का जारी करना ;

(ख) उपलब्ध परिणामों और इससे हुई बचतों का उल्लेख निम्नलिखित है :—

उपरोक्त (क) (i) (ii) (iii) और (iv) के परिणाम स्वरूप जो बचत होगी, उनकी मात्रा निर्धारित करना कठिन है ; यद्यपि इस प्रकार की बचत निश्चित रूप से होगी। फिर भी जहां तक मिट्टी के तेल का सम्बन्ध है, ऐसा अनुमान है कि लगभग 2,90,000 मी० टन की बचत हुई थी, जिसके ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

ईंधन निपुणता उपायों से . . .	50,00 मी० टन०
कोयले के प्रयोग को आरम्भ करने से . .	2,40,000 मी० टन०
कुल	2,90,000 मी०टन

(ग) और अधिक बचत करने के लिए चालू वर्ष में उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदम

वर्ष 1977-78 के दौरान निम्नलिखित कदम उठायें जाने का प्रस्ताव है:—

मिट्टी के तेल का संरक्षण :

(i) ईंधन दक्षता सेवा का विस्तार ;

(ii) अन्य औद्योगिक एककों में कोयले का प्रयोग करने वाले कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना;

डीजल तेल का संरक्षण :

(i) डीजल मितव्ययी योजनाओं का कार्यान्वयन ;

(ii) रेलवे में एक डीजल लोकोशैड में डीजल संरक्षण अध्ययन आरम्भ करना ;

तकनीकी सूचना सेवा :

(i) औद्योगिक और परिवहन उपक्रमों में व्यापक प्रसार एवं प्रचार करने हेतु मासिक तकनीकी सूचना सेवा बुलेटिन जारी करना।

(ii) आम जनता में प्रदर्शन करने के लिए डीजल संरक्षण पर एक डाक्यूमेन्टरी चलचित्र और मिट्टी के तेल तथा डीजल संरक्षण उपायों पर तकनीकी प्रशिक्षण सम्बन्धी चल-चित्रों का निर्माण करना।

Shortage of Wagons for Coal due to wrong distribution

†*630. **Shri S. S. Somani :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the non-availability of the required number of wagons for transportation of coal is standing in the way of production and distribution system and is creating artificial scarcity;

(b) whether the reason is the shortage of wagons or the wrong policy of their distribution; and

(c) the steps taken by Government in this regard ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) and (b) No, Sir.

(c) Does not arise.

रेलवे का कार्यकरण सामान्य करने के लिए कार्यवाही

*632. **श्रीमती मृणाल गोरे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि रेलवे कर्मचारियों के अनुशासन संबंधी कतिपय नियमों में ढील दिये जाने के परिणामस्वरूप रेलवे के कार्यकरण में अनुशासनहीनता आ गई है :

(ख) यदि हां, तो सरकार ने रेलवे के कार्यकरण को सामान्य बनाने के लिये कोई कार्यवाही की है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) जी नहीं। रेल सेवा (आचरण) नियमों अथवा रेल कर्मचारी (अनुशासन और अपील) नियमों में से किसी में ढील भी नहीं दी गयी है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

महानगर परिवहन परियोजना (रेलवे) कलकत्ता द्वारा टेंडर दिया जाना

633. **श्री रामानन्द तिवारी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर परिवहन परियोजना (रेलवे) कलकत्ता के सेक्शन '10' के लिए टेंडर मंजूर किये जाने से पहले सभी टेंडर देने वालों को उचित अवसर दिया गया था :

(ख) क्या टेंडर समिति के निर्णय पर अनेक आपत्तियां उठाई गई थीं और उनकी उपेक्षा कर दी गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और इस मामले में अन्याय दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधुदण्डवते) : (क) से (ग) कलकत्ता में आर० टी० एस० लाइन के खंण्ड 10 के लिए खुले टेंडर मांगें गये थे । जिस समय टेंडरों की जांच की जा रही थी, उस समय यह विनिश्चय किया गया कि खुदाई आदि की गहराई को कम करने के लिए डिज़ाइन में कुछ परिवर्तन कर दिये जायें। इसके फ़लस्वरुप अनुमानित लागत में लगभग 8 प्रतिशत की कमी हो गयी । पहले के उन सभी टेंडर-दाताओं से, जो अभी भी अपने प्रस्ताव कायम रखे हुए थे कहा गया वे संशोधित अभिकल्प के लिए दरें भरें। इस प्रकार उन सभी टेंडर-दाताओं को संशोधित अभिकल्प के लिए लिए दरें भरने का अवसर प्रदान कर दिया गया था, जिन्होंने काम में दिलचस्पी दिखायी थी।

संशोधित अभिकल्प के लिए दरें प्राप्त हो जाने के बाद केवल उन्हीं टेंडर-दाताओं से स्पष्टीकरण मांगें गये थे जिन्हें कार्य-निष्पादन के योग्य समझा गया और बात-चीत के पश्चात् यह काम भारत सरकार के एक उद्यम मैसर्स नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन को सौंप दिया गया क्योंकि उनकी दरें सबसे कम थीं ।

टेंडर-दाताओं में से एक की ओर से, जिसके प्रस्ताव पर कार्य-निष्पादन की क्षमता के अभाव के आधार पर विचार नहीं किया गया था कुछ अभ्यावेदन मिले थे और इन पर यथोचित विचार किया गया था ।

विदेशी स्वामित्व वाली औषध कम्पनियां

*634.**श्री पी० के० कोड़ियन:** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशी स्वामित्व वाली ऐसी कौन सी औषध कम्पनियां हैं जिन्होंने अपनी पूंजी कम नहीं की है; और

(ख) उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) विदेशी औषध निर्माता फ़र्मों की विदेशी साम्यपूंजी में निम्नलिखित दो प्रावधानों के अन्तर्गत कटौती की जाती हैं:--

(क) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 29 के द्वारा इस धारा के अन्तर्गत जो कम्पनियां फ़रवरी, 1973 की औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति के परिशिष्ट-1 में निर्दिष्ट मदों के निर्माण में लगी हुई, उनके लिये यह आवश्यक है कि वे विदेशी साम्यपूंजी में 74 % से अधिक कटौती न करें। चूंकि औषध और भेषज परिशिष्ट-1 पर निर्दिष्ट किये गये हैं अत: विदेशी औषध निर्माता कम्पनियों के लिये यह अपेक्षित है कि वे अपनी विदेशी साम्यपूंजी में 74 % से अधिक की कमी न करें । उनकी वास्तविक पूंजी का स्तर उनके कुल कार्याकलापों पर निर्भर करेगा तथापि 100 % निर्यात-उन्मुख एककों के मामले में 74 % से अधिक विदेशी साम्यपूंजी धारण करने के लिये प्रत्येक के गुणों को ध्यान में रखते हुए अनुमति दी जा सकती है।

(ख) विदेशी साम्य पूंजी को समाप्त करने के बारे में फ़रवरी, 1972 में सरकार द्वारा घोषित योजना द्वारा यह योजना 51 % से अधिक विदेशी शेयरधारी कम्पनियों पर लागू होती है जो अतिरिक्त पूंजी निवेश के आधार पर विस्तार के लिये आवेदन देते हैं, साम्यपूंजी को समाप्त करने का सूत्र निम्न प्रकार है:--

75% से अधिक विदेशी साम्यपूंजी वाली कम्पनियां केवल भारतीय कम्पनियों को अतिरिक्त साम्यपूंजी देकर (प्रीमियम सहित) विस्तार की अनुमानित लागत को 40% तक बढ़ायेगी, 60 प्रतिशत से अधिक परन्तु 75 प्रतिशत से कम विदेशी शेयर धारी कम्पनियों और 51% से अधिक परंतु 60 प्रतिशत से कम विदेशी शेयर धारी कम्पनियां लागत में क्रमश: 33 प्रतिशत और 25 प्रतिशत तक वृद्धि करेंगी।.

सरकार इस प्रश्न पर अलग से जांच कर रही है कि क्या सामान्य विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम को औषध उद्योग पर लागू किया जाए अथवा नहीं, और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत आने वाले सभी मामलों को सरकार द्वारा हाथी समिति की सिफ़ारिशों पर निर्णय लिए जाने तक रोका गया है।

जिन कम्पनियों में विदेशी शेयर अधिक हैं उन कम्पनियों को अपने निर्माण कार्य में विस्तार के लिए, जिसमें भूमि, भवन और प्लांट तथा मशीनरी में अतिरिक्त निवेश शामिल है, जब औद्योगिक लाइसेंस दिये जाते हैं तो उन पर पैरा (ख) में निर्दिष्ट साम्यपूंजी को समाप्त करने के सूत्र के अनुसार विदेशी साम्यपूंजी को समाप्त करने की शर्तें निरन्तर लगाई जा रही है। औषध निर्माता फ़र्मों के नाम लाइसेंस सं० और तिथि और विदेशी साम्यपूंजी को समाप्त करने के लिए लगाई गई शर्त तथा उसकी वर्तमान स्थिति को दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है।

क्रम सं०	पार्टी का नाम	औद्योगिक लाइसेंस तथा तिथि	लगाई गई विदेशी साम्य पूंजी को समाप्त करने की शर्तें और वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	मैसर्स ग्लैक्सो लैब० बम्बई	एल/22/447/72-रसायन-III दिनांक 5-8-72	औद्योगिक लाइसेंस देने से पहले अन्य बातों के साथ-साथ यह शर्तें लगाई गई थी कि कम्पनी को 25 प्रतिशत तक भारतीय होना चाहिए। इस समय इस कम्पनी में विदेशी साम्य पूंजी की साझेदारी 75 प्रतिशत है।
2.	मैसर्स बूट्स कम्पनी (इंण्डिया) लि० , बम्बई	एल/22/483/73-रसायन-III दिनांक 21-9-73	दिए गए औद्योगिक लाइसेंस में यह शर्त लगाई गई थी कि यदि प्रायोजना के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता पड़ेगी तो समाप्ति सूत्र के अनुसार पार्टी अपनी विदेशी साम्य पुंजी समाप्त करेगी। पार्टी को निम्न लिखित मदों के उत्पादन के लिए यह लाइसेंस दिया गया था:— 1, बुफेन गोलियां (इब्रोप्रोफेन प्रपुंज औषध पर आधारित) संख्या 30 मिलियन 2. इबु प्रोफ़ेन 6 मी० टन पार्टी को दो वर्षों के लिए आयातित प्रपुंज औषध पर आधारित बुफ़ेन गोलियों के निर्माण के

1	2	3	4
			लिए स्वीकृति दी गई थी और बाद में उन्हें इस मद को अपने इबुप्रोफ़ेन के उत्पादन पर आधारित करना था । पार्टी ने 1975 में प्रतिवर्ष 6 मी० टन से प्रतिवर्ष 15 मी० टन तक इबूप्रोफेन की अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन दिया था जो विचाराधीन है ।
3. मैसर्स स्मिथ क्लाईन, एण्ड फैन्च .	एल०/22/484/73-रसायन-II दिनांक 21-9-73 (सी० ओ० बी०)		सी० ओ० बी० लाइसेन्स में यह शर्त लगाई गई थी कि प्रपुंज औषधों के उत्पादन के लिए विस्तार के प्रस्तावों के बारे में कम्पनी को वित्त मंत्रालय (डी०ई०ए०) के प्रेस नोट दिनांक 19-2-72 के अनुसार अपनी विदेशी शेयर अधिकारों को समाप्त करना चाहिए । हर हालत में इस लाइसेन्स की तारीख से 2 वर्ष की अवधि में विदेशी शेयर अधिकारों को 60 प्रतिशत तक समाप्त हो जाना चाहिए पार्टी ने कुछ प्रपुंज औषधों के लिए औद्योगिक लाइसेंस हेतु 1974 में आवेदन पत्र दिया था । लाइसेंस अभी दिया जाना है । विदेशी प्रपुंज औषधों के लिए लाइसेंस मिलने के बाद साम्य पूंजी समाप्त की जाएगी ।
4. मैसर्स ग्रीआल्ट लैब.	एल/24/74(सी०ओ० बी० दिनांक 24-1-74		कम्पनी को दो वर्ष की अवधि के अंन्तर्गत अपनी साम्य पूंजी को 60% तक कम करना चाहिए । कम्पनी ने हाल ही में अपनी विदेशी पूंजी को 40 प्रतिशत तक कम किया है । रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया ने भी पार्टी को जून, 1977 में अपेक्षित अनुमति दी है।
5. मैसर्स अल्की एण्ड कैमिकल कारपोरेशन	सी० आई० एल० 373(74) दिनांक 4-12-74		यह शर्त लगाई गई थी कि प्रत्यक्ष रूप में शेयर धारण 51 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए और दोनों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी साम्य पूंजी 60 से अधिक नहीं होनी चाहिए । यह लागू किया गया है।
6. मैसर्स फ़ाइजर लि०.	सी०आई० एल169 (76) दिनांक 24-4-76		पार्टी को दिए गए लाइसेंस में अन्य बातों के साथ-साथ यह शर्त लगाई गई थी कि कम्पनी समाप्ति सूत्र के अनुसार अपनी विदेशी

1	2	3	4
			साम्य पूंजी समाप्त करेगी । मैसर्स फ़ाइजर लि०, बम्बई अपनी विदेशी साम्य पूंजी साझेदारी को वर्तमान 75,25 प्रतिशत से 60% के स्तर तक लाने के लिए बचनबद्ध है। पार्टी को अपनी विदेशी साम्य पूंजी को 60 प्रतिशत तक समाप्त करने के लिए दिसम्बर 1977 तक अनुमति इस शर्त पर दी गई थी कि भारतीय साझेदारी में वृद्धि अतिरिक्त पुंजीगत निवेश से होनी चाहिए और न कि विदेशी शेयर धारियों द्वारा निवेशों में लगाई हुई पूंजी की वसूली या प्राप्ति के मध्यम से। क्योंकि इससे विदेशी मुद्रा में एक करोड़ रुपये से अधिक राशि बाहर चली जाएगी ।
7	मैसर्स अबोट लैब० इण्डिया ब्रा० लि०	सी० आई० एल० 179(76) दि०7-5-76	यह शर्त लगाई गई दी कि कम्पनी इस औद्योगिक लाईसेंस के जारी होने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के अन्तर्गत अपनी विदेशी साम्य पूंजी को 60 प्रतिशत तक समाप्त करेगी । तथापि पार्टी ने लाइसेंस लौटा दिया है।

विजयवाड़ा-मद्रास-अरकोनम् के बीच रेल लाइन का विद्युतीकरण

*635. **श्री पी० राजगोपाल नायडू:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाड़ा तथा मद्रास-अरकोणम् के बीच रेल लाइन का विद्युतीकरण करने का काम आरम्भ किया गया है ; और

(ख) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते): (क) और (ख) जी हां। केवल मद्रास-विजयवाड़ा और मद्रास तिरुवेल्लूर खण्डों के विद्युतीकरण का काम शुरू किया गया है और यह काम प्रगति पर है। आशा है कि यह काम 1979-80 में पूरा हो जायेगा। तिरुवेल्लूर-अरकोणम खण्ड के विद्युतीकरण का इस समय कोई विचार नहीं है।

जोगीघोपा होकर बोंगाईगांव से गोहाटी तक नई रेल लाइन

*636. **श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी किनारे पर जोगीघोपा-ग्वालपाड़ा होकर बोंगाईगांव से गौहाटी तक रेल लाइन बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में कब तक निर्णय करने का विचार है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) और (ख) (i) जोगीघोपा/पंचरत्ना-दुधनी-दारंगिरि और (ii) गुवाहाटी-दुधनी रेल सम्पर्क जिससे जोगीघोपा के रास्ते बोंगाइगांव और गुवाहटी के बीच रेल सम्पर्क की व्यवस्था हो जाती है, के निर्माण के लिए सर्वेक्षण पहले ही पूरा किया जा चुका है और सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच की जा रही है । सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच पूरी हो जाने के बाद ही इस रेल सम्पर्क के निर्माण के सम्बन्ध में विनिश्चय किया जायेगा ।

किसानों को मोबिल आयल की कम कीमत पर सप्लाई

*637. **श्री हरिकेश बहादुर**: क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सिंचाई के लिए प्रयुक्त होने वाली मशीनों में प्रयोग होने वाले मोबिल आयल का मूल्य, जो बहुत बढ़ गया है कम करके किसानों को राहत देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Taking Delivery of consignments fraudulently during last two years

†638. **Shri Ishwar Choudhary** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there have been incidents of taking delivery of consignments fraudulently from the Railways by showing forged railway receipts during the last two years;

(b) if so, the number thereof and whether Railway employees were also involved in these incidents; and

(c) the steps taken by Government to prevent the recurrence of such incidents ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) Yes Sir.

(b) The number of cases reported during 1975-76 and 1976-77 were 36 and 18 respectively. In these cases 28 railway employees are reported to have been involved.

(c) A statement is placed on the table of the Sabha.

Statement

To prevent such frauds instructions exist to ensure that :

(1) Arrangements for storage of R.R. Books should be the same as for cash and other money value books and the issue of R.R. books to the staff preparing Railway Receipts should be rigidly controlled.

(2) Security arrangements in the Printing Presses and Main storage depots should be specially looked after.

(3) R.R. Books should be kept in the custody of a nominated responsible official in each Goods Shed or Parcel Office and any loss of R.R. book or foil from R.R. Books in his custody should be treated as a serious offence meriting severe punishment.

(4) The month and year of printing of the Invoice Book should invariably be shown on each foil of each book.

(5) The existing rules regarding sending of through Invoices by post should be rigidly enforced.

(6) When delivery of a valuable consignment (i.e. a consignment exceeding approximately Rs. 1,000 in value) is demanded by a person not known to the station staff, delivery should not be given until the Railway Receipt is compared with the through Invoice. If the through Invoice is not available, the station staff should request the party to get himself identified by someone known to the station staff. If he refuses to do this, delivery should be given only after the Station Master is satisfied of the bonafides of the person asking for the delivery. If necessary, an urgent telegram may be sent to the sending station to get the booking particulars confirmed before delivery is effected.

(7) The Station Master should be careful in delivering consignments which are not of a nature normally received at his station.

(8) Supervisory Inspectors are required to visit the stations frequently, make surprise checks, educate the staff and ensure the observance of correct procedure.

(9) Serious notice should be taken of the negligence on the part of the staff in not observing the instructions issued from time to time and in cases of wrong delivery, responsibility of the staff involved in the delivery of consignments to spurious parties should be fixed immediately and suitable action initiated against them.

अगरोटा बागवन और पालमपुर के बीच सड़क-रेल दुर्घटना

*639. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगरोटा, बागवन और पालमपुर के बीच परोर-धीरा-नौरा सड़क पर रेल फाटक के समीप 9 जून, 1977 को सड़क-रेल दुर्घटना हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को क्या मुआवजा दिया गया है ; और

(घ) क्या भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की रोक-थाम के लिये सरकार का वहां फाटक लगाने का विचार है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) से (ग) 8-6-1977 का एक बस नगरोटा तथा पालमपुर स्टेशन बीच बिना चौकीदार वाले समपार के खम्भे से टकरा गयी थी, जिसके कारण रेल पथ अवरुद्ध हो गया था तथा आती हुई 1 पी बी जे सवारी गाड़ी से टक्कर हो गयी । बस के 6 यात्रियों को मामूली चोटें आई थीं । ऐसे मामलों में कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती है ।

(घ) जी नहीं ।

घाट-भाड़ा और विलम्ब शुल्क की अदायगी से छूट दिया जाना

*640. **श्री बटेश्वर हेमरम :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे की सतर्कता ब्रांच ने गत पांच वर्षों में इलाहाबाद डिवीजन के वाणिज्य अधिकारियों द्वारा घाट-भाड़े और विलम्ब शुल्क की अदायगी से अंधाधुंध छूट दिये जाने के मामलों की रिपोर्ट दी थी तथा इनकी जांच की थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) क्या विलम्ब शुल्क और घाट-भाड़े की अदायगी से छूट दिये जाने के मामलों में रेल प्रशासन ने कोई मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किये हैं तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) :(क) जी हां ।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(ख) शिकायतों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

1. श्री जे० पी० यादव, संसद सदस्य ने श्री देव शर्मा, ए० सी० एस०, इलाहाबाद के विरुद्ध शिकायत की थी । किन्तु इस मामले में कोई कदाशय साबित नहीं हुआ । अतः मामला रेलवे बोर्ड द्वारा 15-1-73 को केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से बन्द कर दिया गया ।

2. केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने श्री एस० एन० मुखर्जी, ए० सी० एस०/इलाहाबाद के विरुद्ध शिकायत की थी । इस मामले के आरोप साबित नहीं हो सके। अतः मामला रेलवे बोर्ड द्वारा 3-1-77 को केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से बन्द कर दिया गया ।

3. भारत सेवक समाज, इलाहाबाद के श्री बी०सी० मोहिले ने रेलवे बोर्ड के माध्यम से श्री एस० एन० बनर्जी, ए०सी०एस०, इलाहाबाद के विरुद्ध शिकायत की । इस मामले में आरोप साबित नहीं हुए । अतः यह मामला रेलवे बोर्ड द्वारा 23-3-77 को केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से बन्द कर दिया गया ।

(ग) स्थान शुल्क और विलम्ब शुल्क में छूट दिये जाने के लिये रेल अधिकारियों द्वारा कड़ाई से अनुपालन किये जाने हेतु रेलवे बोर्ड कार्यालय द्वारा निम्नलिखित विस्तृत अनुदेश जारी किये गये हैं :—

(1) विलम्ब शुल्क/स्थान शुल्क के प्रभारों में प्रत्येक मामले के गुणावगुणों व परिस्थितियों के आधार पर पूर्णतः या आंशिक छूट करा दिया जाना सर्वथा आवश्यक है ।

(2) विलम्ब शुल्क/स्थान शुल्क रेलों के लिए राजस्व का स्रोत नहीं समझा जाता बल्कि यह एक दण्ड के रूप में लिया जाता है ताकि रेल उपयोगकर्ताओं को अनुमत मुक्त समय के भीतर माल डिब्बों से माल उतारने और उसे रेलवे परिसरों से हटाने के सम्बन्ध में उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए तत्पर किया जा सके ।

(3) इस सम्बन्ध में कोई मात्रा सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारित नहीं किया जा सकता और ऐसे मामलों में विवेक का तत्व सदा बना रहेगा । छूट सम्बन्धी इन विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कोई पक्का नियम या कड़े मार्ग-दर्शक सिद्धांत निर्धारित नहीं किये जा सकते । फिर भी, इन प्रभारों में छूट देते समय निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलुओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए :—

(क) रेलों का यातायात बनाये रखने और उसके लिए और यातायात आकर्षित करने और विपणन प्रयत्नों में सहायता पहुंचाने की आवश्यकता ;

(ख) देय मालभाड़ा तथा स्थान शुल्क/विलम्ब शुल्क के अनुपात से माल की किस्म और उसका मूल्य ;

(ग) यदि माल की सुपुर्दगी न ली जाये जिसके फलस्वरूप उसे नियमानुसार सरकारी नीलामी करके बेचने पड़े तो उससे वसूल होने वाली सम्भावित राशि ;

(घ) माल की हुई क्षति या खराबी की मात्रा ;

(ङ) मार्ग में विलम्ब का समय ;

(च) माल उतारने या माल की सुपुर्दगी लेने में विलम्ब का कारण तथा लघुकारक परिस्थितियां, यदि कोई हों ;

(छ) स्टेशन विशेष पर स्थानीय हालत ;

(ज) वह परिस्थितियां जिनके कारण स्थान शुल्क या विलम्ब शुल्क उपचित हुआ क्या वह परेषक या परेषिती के नियंत्रण से बाहर थीं ;

(झ) माल गोदाम का आकार और माल न हटाये जाने पर इसमें स्थान की तंगी होने की सम्भावना जिसके फलस्वरूप इस आधार परिचालन सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाने की जरूरत पड़े और ;

(ञ) गन्तव्य स्टेशन पर बीजक के न प्राप्त होने या माल डिब्बा लेबल के अभाव में क्षतिपूर्ण नोट के आधार पर सुपुर्दगी देने में रेलवे की असमर्थता" ;

उपरोक्त पहलू पूर्ण नहीं है तथा ऐसे अन्य वाणिज्यिक कारण भी हो सकते हैं जिन्हें स्थान शुल्क/विलम्ब शुल्क में छूट देते समय ध्यान में रखना पड़ेगा ।

ऐसे मामलों में जहां छोड़ी गयी राशि प्राधिकारी को दी गयी विवेकाधीन शक्तियों से 50% अधिक हो वहां छूट दिये जाने के कारण को संक्षेप में दर्ज किया जाये ।

इन अनुदेशों के सम्बन्ध में क्षेत्रीय रेलों का पुनः ध्यान दिलाते हुए स्पष्ट कर दिया गया है ताकि रेलवे अधिकारियों द्वारा इनका पालन किया जा सके ।

Doubling of Itarsi-Nagpur Railway Line

†*641. **Shri Subhash Ahuja :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) The position of doubling of Itarsi-Nagpur railway line, which has already been approved by Government; and

(b) whether work thereon would be started in the next three years ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate): (a) and (b) Out of a total length 298 km. of Itarsi-Nagpur Section, a length of 55 km. has already been doubled. In the remaining portion, alternative facilities have been approved to meet the immediate requirements of traffic.

उर्वरकों के उत्पादन के लिये गैस का उपयोग

*642. **श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के निकट विशेष रूप से बेसिन क्षेत्र में विशाल गैस भंडारों के पता लगने को देखते हुए और बम्बई और हाई से गैस की उपलब्धता के कारण सरकार ने उर्वरकों के उत्पादन के लिये इस गैस का उपयोग करने और उनके आयात पर व्यय होने वाली विदेशी मुद्रा की पर्याप्त राशि बचाने के लिये नीति बनाई है –

(ख) क्या सरकार ने इस गैस के उपयोग के विभिन्न विकल्पों और आर्थिक लागत की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस समिति के निष्कर्ष क्या हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

बम्बई हाई और उत्तर बेसिन अपतट क्षेत्रों से एसोशिएटिड गैस प्रतिदिन लगभग 3.8 से 4.0 मि० घन मीटर तक की मात्रा तक उपलब्ध होने की सम्भावना है । फरवरी, 1975 में, बम्बई हाई तेल

और एसोशिएटिड गैस की अनुकूलतम उपयोगिता के लिए उपायों की सिफारिश करने हेतु सरकार ने एक कार्यकारी दल का गठन किया था । कार्यकारी दल ने एसोशिएटिड गैस के प्रभाजन का और उर्वरकों के निर्माण हेतु मीथेन विखंडन और पैट्रो-रसायनों के निर्माण हेतु ईंधन/प्रोपेन विखंडनों के प्रयोग जैसे समुचित प्रयोगों के लिए विभिन्न गैस-विखंडनों को प्रयोग में लाने का सुझाव दिया । दल ने घरेलू उपभोक्ताओं को खाना पकाने की गैस आदि के रूप में प्रोपेन/बूटेन विखंडनों की सप्लाई का भी सुझाव दिया । उपयुक्त विखंडनों पर आधारित नये पैट्रो-रसायन एककों की स्थापना की सम्भावना और वांछनीयता तथा वर्तमान पैट्रो-रसायन एककों द्वारा इन गैस विखंडनों की उपयोगिता की सम्भावना का अध्ययन करने के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्त की गयी है । परामर्शदाताओं की अन्तिम सिफारिशों के प्राप्त हो जाने पर ही इन पर कोई निर्णय और इनका अध्ययन किया जायेगा । तथापि इस आशय के तथ्य पर कि गैस कि अत्यन्त लाभकारी उपयोगिता नाईट्रोजनी उर्वरकों के निर्माण-कार्य में है, विचार करते हुए भारतीय उर्वरक निगम के वर्तमान उन ट्राम्बे-I और ट्राम्बे-II की इकाइयों को जो कि इस समय नेफ्था के प्रयोग पर आधारित हैं, गैस का प्रयोग करने वाली इकाइयों में परिवर्तित करने के लिए निर्णय लिये गये हैं । इसी प्रकार से भारतीय उर्वरक निगम की ट्राम्बे-V इकाई भी जिसे कार्यान्वित किया जा रहा है, गैस का प्रयोग करेगी ।

परिगणनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि ट्राम्बे-I, II और V इकाइयों की आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात् कुछ और अधिक गैस उपलब्ध हो सकती है जिसे नये उर्वरक एककों की स्थापना के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है । साथ ही तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने दक्षिणी बेसिन संरचना में मुक्त अथवा गैर-असोशिएटिड गैस की खोज की है । यद्यपि इस खोज का अभी कुछ और अधिक निर्धारण कुओं को खोदने से पूरी तरह से मूल्यांकन किया जाना है फिर भी, प्रारम्भिक संकेत हैं कि इस संरचना से पर्याप्त मात्रा में मुक्त गैस उपलब्ध होगी ।

संशोधित पांचवीं योजना में, चार नयी उर्वरक परियोजनाओं अर्थात् 1977-78 में दो और 1978-79 में दो की व्यवस्था की जा चुकी है । इन चार परियोजनाओं में से एक को उत्तर-पूर्वी प्रदेश में स्थापित करने का प्रस्ताव है, जहां पर ओ० एन० जी० सी० के क्षेत्रों के उत्पादन में अपने अनुकूलतम स्तरों के प्राप्त कर लेने पर एसोशिएटिड गैस अपेक्षित परिमात्रा में उपलब्ध होगी । इन बकाया तीन परियोजनाओं में से दो को उरान के दक्षिण में किसी भी स्थान पर स्थापित किया जायेगा और इसकी एक परियोजना को गुजरात में स्थापित किया जायेगा ।

कार्यकारी दल ने घरेलू उपभोक्ताओं को पाइपलाइनों के जाल के माध्यम से प्राकृतिक गैस के वितरण की सम्भावना का भी हवाला दिया । क्योंकि नये उर्वरक और पैट्रो-रसायन एककों की स्थापना और उनके कार्य आरम्भ करने में कुछ समय लगेगा, कार्यकारी दल ने विद्युत उत्पादन के लिए गैस को अन्तरिम और सन्तुलित व्यवस्था के रूप में सप्लाई करने की सम्भावना का भी उल्लेख किया ।

Merger of Mechanical and Electrical Departments into Diesel Group

†*643. **Dr. Laxminarayan Pandeya :**
Shri Bhagirath Bhanwar :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Mechanical and Electrieal Departments are being merged into the Diesel Group functioning in the Mechanical Department of the Indian Railways;

(b) if so, whether the affected employees of the Western Railway have opposed this move;

(c) whether in view of the difficulties arising out of this merger, the aspects of seniority and technical work have been examined;

(d) whether the concurrence of the concerned Trade Union has been obtained; and

(e) if not, the purport of the Railway Board's letter Nos. E(HG)I 74 P.M. 1/61 dated 12th April, 1974 and (HG) I 76 P.M. I 14 dated 17th July, 1976; and whether Government propose to cancel it ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) to (c) The orders issued in April, 1974 and July, 1976 envisage effective control and administration of Loco Wing in the Diesel Sheds and Mechanical Wing in the Electric Loco and Electrical Multiple Units Car Sheds both at the Headquarters and the Divisional levels of the Railways. Except the Western Railway no reports have been received against the decision as referred to above.

The Railway Administrations have been allowed to continue the existing channel of promotion. The maintenance staff seconded from the Electrical Department for maintenance of Electric Transmission and Electrical Equipment of a Diesel Electric Locomotive have been given an option to stay in the Diesel Organisation or to revert back to Electrical Department and for those opting out, arrangements have been made to release them at graduated intervals. There has been no occasion to revise the orders as it is considered that these orders safeguard the interests of the Administration and of all the staff.

उर्वरक संयंत्रों के निर्माण के लिये विदेशी फर्मों के साथ करार

*644. **श्री एन० श्रीकान्तन् नायर :**

श्री वयालार रवि :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम ने भारत में उर्वरक संयंत्रों के निर्माण के लिए विदेशी फर्मों के साथ कोई करार किया है : और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) जी, हां । एफ० सी० आई० द्वारा विदेशी फर्मों के साथ करार मुख्यत: प्रक्रिया जानकारी इंजीनियरिंग आंकड़े उपकरण तथा सेवाएं, जो भारत में उपलब्ध नहीं हैं, के लिए किया गया था ।

फार्मास्युटिकल उद्योग, बम्बई के समक्ष समस्याएं

4782. **श्री पुण्डलीक हरि दानवे** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1977 के प्रथम सप्ताह में सरकार को बम्बई के औषधि निर्माण उद्योग के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार द्वारा औषध उद्योग के दो संघ अर्थात् फार्मास्यूटिकल्स प्रोड्यूसर्ज आफ इण्डिया संघ तथा फार्मास्यूटिकल्स एण्ड इलाईड मैन्युफैक्चर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्ज एसोसियेशन लि० को एक संयुक्त पत्र दिनांक 7-6-77 प्राप्त हुआ है । औषध इत्यादि की मूल्य नीति के बारे में उन्होंने हाथी समिति की सिफारिशों पर नए विचार व्यक्त किए हैं । इस सम्बन्ध में उन्होंने मन्त्री तथा सचिव से भी भेंट की। उनके विचार नोट कर लिए गए हैं ।

दिल्ली-झांसी रेलवे लाइन का विद्युतीकरण

4784. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान रेल लाइनों के विद्युतीकरण पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या दिल्ली-झांसी सेक्शन का विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क)

वर्ष	विद्युतीकरण पर खर्च की गयी राशि
1975-76	20.10 करोड़
1976-77	17.00 करोड़ (बजट अनुमान के अनुसार)

(ख) और (ग) जी हां। दिल्ली-झांसी खण्ड के विद्युतीकरण का काम 1977-78 के बजट में अस्थाई रूप से शामिल कर लिया गया है । इस परियोजना के निष्पादन के लिए अन्तिम स्वीकृति प्राप्त करने के लिए योजना आयोग से लिखा-पढ़ी की गई है । दिल्ली-झांसी खण्ड के विद्युतीकरण पर 39 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और धन उपलब्ध होने पर आशा है कि यह काम 1980 के प्रारम्भ में पूरा हो जायेगा ।

Railway Line from Supaul to Forbesganj

†4785. **Shri Mahendra Narayan Sardar :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether he is aware of the difficulties faced by people in the absence of the railway line from Supaul to Forbesganj, and if so, whether he would consider the question of laying a railway line from Supaul to Forbesganj and if so, by what time ;

(b) the area of the entire Purnea district and the area in miles, out of them in which railway line has been laid; and

(c) whether network of railway in Purnea district is not a clear example of regional imbalance ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) The metre gauge link from Supaul to Forbesganj has already been completed and opened for traffic.

(b) and (c) The Planning of Railway net work is not done district wise. However, the total area of Purnea district is 7990 Sq. Kms. and the total length of railway line in the district is 190.0 kms. (Approx.).

कोयले की ढुलाई के लिये अधिक वैगन

4786. **श्री के० प्रधानी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कोयले की ढुलाई के लिए रेलवे द्वारा सप्लाई किये गये वैगनों की संख्या का वर्षवार ब्यौरा क्या है ,

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कोयला ले जाने के लिए वगनों को कम संख्या में सप्लाई करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) विभिन्न स्थानों के लिए कोयले की ढुलाई सुनिश्चित करने के लिये भविष्य में अधिक संख्या में वैगन प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सप्लाई किये गये माल-डिब्बों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	बड़ी लाइन पर सप्लाई किए गए चौपहिया माल डिब्बों की कुल संख्या	बड़ी लाइन पर चौपहियों के लदान का दैनिक औसत
1	2	3
1974-75 . .	30,59,065	8381
1975-76 . .	33,92,820	9270
1976-77 . . .	34,43,410	9434

(ख) मई 1974 की रेल हड़ताल के पश्चात् कोयले की ढुलाई के लिए माल डिब्बों की सप्लाई में कोई कमी नहीं आयी ।

(ग) कोयले तथा अन्य वस्तुओं की ढुलाई के लिए माल डिब्बे प्राप्त करने के लिए प्रबंध यातायात की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किये जाते हैं ।

Railway Line between Radhanpur and Harij

†**4787. Shri Chaudhary Motibhai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the progress made in the construction of Railway line between Radhanpur and Harij ; and

(b) whether it is the policy of the Government to lay new railway lines mostly in the backward areas and if so, when the construction work on such new lines is likely to be started ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) and (b) Government are aware of the need for the construction of new railway lines in backward areas of the country and the construction and survey work for a number of such lines is already in hand. A survey for Radhanpur-Harij metre gauge line was carried out in the year 1969 but the project was not taken up as it was not found to be viable.

विजयानगरम् से तीतलागढ़ तक दुहरी लाइन

4788. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने विजयानगरम् (आन्ध्रप्रदेश) से तीतलागढ़ (उड़ीसा) तक की रेल लाइन को दुहरा करने का निर्णय किया है जिससे क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके ;

(ख) यदि हां, तो उक्त लाइन को दुहरा बनाने के लिए उक्त सर्वेक्षण कब तक पूरा हो जायेगा ; और

(ग) इस वित्तीय वर्ष में सर्वेक्षण के लिए कितना परिव्यय रखा गया है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते): (क) और (ख) विजयानगरम्-तीतलागढ़ को लाइन दोहरी करने के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण का काम चल रहा है और आशा है कि यह काम चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पूरा हो जायेगा। सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने के बाद इस परियोजना के सम्बन्ध में विनिश्चय किया जायेगा।

(ग) 79,000 रुपये।

डाक्टरों को इन्टर्नशिप के दौरान अदायगी और हाऊस सर्जनों के रूप में नियुक्ति के लिये प्राथमिकता

4789. श्री शिव नारायण: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय रेलवे अस्पताल, नई दिल्ली में एक वर्ष के लिये इंटर्नशिप कर रहे डाक्टरों को न तो कोई वजीफा ही दिया जाता है और न ही कोई वाहन-भत्ता अथवा भोजन-भत्ता दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या हाऊस सर्जनों की नियुक्ति के मामले में उन डाक्टरों को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती जो एक वर्ष की अवैतनिक इंटर्नशिप कर चुके हैं ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस संबंध में स्थिति को ठीक करने के लिये उनका विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते): (क) जी हां।

(ख) रेलवे चिकित्सालय शिक्षण चिकित्सालय नहीं है। वे केवल डाक्टरों की बढ़ती हुई संख्या की मांग को पूरा करने के लिए हैं, इन रेलवे चिकित्सालयों को भारतीय चिकित्सा कौंसिल द्वारा मान्यता दी गई है और ये संस्थान उनके प्रशिक्षण के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करते हैं।

(ग) और (घ) ये अंतरंग डाक्टर जो अपना अध्ययन काल पूरा कर लेते हैं और डिग्री प्राप्त कर लेते हैं के बारे में भी अन्य पूर्ण रूपेण डिग्रीधारी डाक्टरों के साथ रेलवे चिकित्सालयों में हाउस सर्जन के रूप में नियोजित करने के लिए विचार किया जाता है।

इलाहाबाद डिवीजन में मारे गये आकस्मिक छापे

4790. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1975 से मई, 1977 तक इलाहाबाद डिवीजन में बिना-टिकट यात्रा का पता लगाने के लिए सीनियर डिविजनल कर्मशियल सुपरिन्टेंडेंट/असिस्टेंट कर्मशियल सुपरिन्टेंडेंट, उत्तर रेलवे, इलाहाबाद के निरीक्षणाधीन मारे गये आकस्मिक छापों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) बिना-टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से वसूल की गई धनराशि और इन छापों पर डिवीजन द्वारा किये गये खर्च का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इलाहाबाद डिविजन में आय के आंकड़े बनाये रखने हेतु बिना टिकट यात्रियों को पकड़ने के लिए ऐसे आकस्मिक छापे जारी रखने का विचार है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते): (क) उत्तर रेलवे के इलाहाबाद मण्डल में 1-1-1975 से 31-5-1977 की अवधि के दौरान वरिष्ठ मण्डल वाणिज्यिक अधीक्षक तथा सहायक वाणिज्य अधीक्षकों की व्यक्तिगत देखरेख में 2219 बार छापे मारे गये।

(ख) प्रत्येक टिकट जांच अभियान के परिणामों तथा उन पर हुए खर्च के अलग से आंकड़े नहीं रखे गये हैं। फिर भी, 1-1-1975 से 31-5-1977 तक की अवधि के दौरान अनियमित यात्रा के 68,821 मामले पकड़े गये और रेलवे प्रभार के रूप में 14.52 लाख रुपये की राशि वसूल की गयी थी। बिना रिकट यात्रा की रोकथाम के लिए व्यापक अभियान के परिणामस्वरूप टिकटों की बिक्री का मासिक औसत जो कि 1975 में एक महीने में 26.35 था, 1977 के दौरान वह बढ़कर प्रति माह 38.08 लाख टिकट हो गया।

हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड के प्रबन्ध-निदेशक के पद पर श्री ए० स्वामीनाथन् की नियुक्ति

4791. **श्री आर० के० म्हालगी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री ए० स्वामीनाथन को 2 जून, 1975 से तीन वर्ष की अवधि के लिए हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड का प्रबंध-निदेशक नियुक्त किया था;

(ख) क्या श्री स्वामीनाथन के प्रबंध-निदेशक नियुक्त होने के बाद फैक्ट्री मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सचिव, प्रशासन प्रबंधक तथा अन्य अधिकारियों सहित बहुत से वरिष्ठ अधिकारियों ने हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स आफ इंडिया लिमिटेड को छोड़ देना बेहतर समझा था : और

(ग) क्या सरकार का विचार इसका पता लगाने का है कि इतने सारे वरिष्ठ अधिकारियों को किन कारणों से इस संगठन को छोड़ना पड़ा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) श्री स्वामीनाथन के कार्यभार संभालने के बाद, जो अधिकारीगण इनके कार्य ग्रहण करने से पूर्व कार्य करते थे, और फिर एच० ओ० सी० छोड़ कर गए थे, उनके विवरण नीचे दिये गये हैं :—

(1) श्री पी० एल० केकरे, उत्पादन प्रबन्धक। इन्होंने 10-1-77 को कार्यभार छोड़ा। इस बारे में उनके द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया था। फिर भी यह समझा गया है कि उन्होंने कारोबार शुरू करने के लिए अपनी इच्छानुसार कार्यभार छोड़ा।

(2) डा० पी० एन पंडित, फैक्ट्री प्रबन्धक ने 10-1-77 को कार्यभार छोडा। यह समझा गया है कि उन्होंने संयुक्त सैक्टर परियोजना में एक अच्छी नौकरी मिलने के कारण इस पद से त्याग पत्र दिया।

(3) श्री पी० जे० किशनचन्दानी, सचिव तथा प्रशासन के प्रबंधक ने भारत रिफाइनरीज़ लि० में अच्छा पद पाने के कारण 14-4-77 को कार्यभार छोड़ा।

(4) श्री एस० के० घोष, संयंत्र प्रबन्धक ने अपनी इच्छानुसार 31-8-75 को कार्यभार छोड़ा यह समझा गया है कि उन्होंने दुर्गापुर कैमिकल्स लि० दुर्गापुर में उत्पादन प्रबन्धक का पद ग्रहण कर लिया है।

(ग) जी नहीं।

महाद्वीपीय मग्नतट के बेसिनों का भू-कम्पीय सर्वेक्षण

4792. **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय महाद्वीपीय मग्नतट के बेसिनों का भू-कम्पीय सर्वेक्षण हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जिनसे इस सम्बन्ध में सहायता मांगी गई हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना निम्नलिखित है :—

(i) बम्बई अपतट, कच्छ, बंगाल-उड़ीसा, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह और कोरोमंडल समुद्र तट पर भू-कम्पीय सर्वेक्षण किये जा चुके हैं ।

(ii) भारतीय महाद्वीपीय मग्नतट के वाले भाग में सीमित मात्रा में प्रादेशिक भू-कम्पीय पार्श्वक सर्वेक्षण किये जा चुके हैं ;

(iii) उपरोक्त सर्वेक्षण तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अपने "अन्वेषक" नामक भूकम्पीय सर्वेक्षण पोत और सोवियत संघ, अमेरिका तथा फ्रांस से ठेके पर लिये गये सर्वेक्षण पोतों द्वारा किये गये हैं ;

(iv) पश्चिमी समुद्र तट से दूर भू-कम्पीय तिर्मकछेदी सर्वेक्षण नीदरलैंड के शैल इण्टर-नेशनल पेट्रोलियम माल्स्वाफीज एन वी नामक सर्वेक्षण पोत द्वारा ही आयोजित किये गये थे ; इस कार्य के लिए किसी प्रकार का भुगतान शामिल नहीं है ।

(v) मग्नतट के बकाया अपतटीय क्षेत्रों का "अन्वेषक" का प्रयोग करके और यदि जरूरी हुआ तो ठेके पर सर्वेक्षण पोत (पोतों) लेकर भू-कम्पीय सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है ।

Dacoities, Snatching, Murders and Pickpocketing at Stations in Bihar

†**4793. Dr. Ramji Singh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the names of railway stations in Bihar where number of incidents of dacoities snatching, murder, pickpocketing and swindling have increased during the last 3 years;

(b) the measures taken so far and proposed to be taken further by Government to put an end to the serious situation of insecurity; and

(c) whether Government are aware that there is collusion of railway police with professional pickpockets and swindlers at railway stations ?

The Minister for Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Watermen appointed for supply of Drinking Water

†**4794. Shri Raghavji** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of watermen appointed for supply of drinking water on the railway platforms in the summer season during 1975-76 and 1976-77 and the monthly salary paid to them;

(b) whether the number of watermen appointed for the purpose is adequate for all the railway stations in the country; and

(c) whether Government propose to provide permanent jobs on priority basis to those who were appointed thrice consquetively and whose work was found satisfactory ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

इलाहाबाद में पार्सल चढ़ाने-उतारने का ठेका

4795. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलाहाबाद स्टेशन का पार्सल चढ़ाने-उतारने का ठेका 1960 में रेलवे स्टेशन पोर्टर्स कोग्रोपरेटिव लेबर कोंट्रेक्ट सोसाइटी लि० को दिया गया था ;

(ख) क्या यह ठेका प्रतिमाह एक मुश्त पूरी राशि की शर्त पर दिया गया था जिसका पालन रेलवे और सोसाइटी दोनों के लिए अनिवार्य था ;

(ग) क्या रेलवे ने सितम्बर, 1975 और अप्रैल, 1977 के बीच की अवधि में सोसाइटी को दी गई प्रतिमाह एक मुश्त राशि में से जमानत जमा के रूप में 25,000 रुपयों की राशि अपने पास रख ली हैं ;

(घ) क्या सोसाइटी को प्रतिमास दी जाने वाली राशि में श्रमिकों की मजदूरी, सुपरवीजन शुल्क और अन्य कानूनी दायित्व सम्मिलित हैं जो सोसाइटी को नियमानुसार देने होते हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इसका विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

(घ) मासिक सहायता देने के लिए केवल 110 व्यक्तियों तथा उनके 1/6 विश्रामदाताओं के 5.50 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की दर से मजदूरी देने का हिसाब लगाया गया है।

(ङ) मासिक आर्थिक सहायता के ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

(i)	110 व्यक्तियों की मजदूरी	18,150.00 रु०
(ii)	उपर्युक्त (i) में दिखाये गये व्यक्तियों के 1/6 की दर से विश्राम-दाताओं पर खर्च	3,025.00 रु०
	जोड़	21,175.00 रु०

दिल्ली से सीकर तक सीधी रेलगाड़ी

4796. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि इस समय 91 अप और 18 अप गाड़ियों में दिल्ली से सीकर तक सीधा जाने वाला केवल एक कोच लगाया जाता है जो दिल्ली सीकर के यात्रियों की संख्या के हिसाब से अपर्याप्त है ;

(ख) क्या उन्हें यह भी पता है कि पिलानी और खेतड़ी जैसे महत्वपूर्ण स्थान चिरवा स्टेशन के समीप हैं जो सवाई माधोपुर-लोहारू सैक्शन पर है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार 91 अप और 93 अप गाड़ियों की भांति दिल्ली और सीकर के बीच एक सीधी गाड़ी चलाने का है और यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) दिल्ली और सीकर के बीच दो थ्रू सवारी डिब्बे अर्थात् एक पहले और दूसरे दर्जे का मिला जुला सवारी डिब्बा और दूसरा 3-टियर एवं 2-टियर शयन यान चल रहे हैं।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों की सेवा निवृत्ति के पश्चात् पास जारी करने के मामले में समानता

4797. **श्री लखन लाल कपूर**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है, कि श्रेणी एक के रेलवे अधिकारियों को 15 वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात् सेवानिवृत्ति पश्चात् मानार्थ पासों का एक सैट दिया जाता है ;

(ख) क्या श्रेणी दो, तीन और चार के रेलवे अधिकारियों के मामले में ऐसे पासों का एक सैट प्राप्त करने का पात्र बनने के लिये एक कर्मचारी को 20 वर्ष की सेवा पूरी करनी होती है ;

(ग) क्या श्रेणी दो, तीन, और चार के अधिकारियों को इस मामलों में श्रेणी एक के अधिकारियों के बराबर लाने के लिये रेलवे बोर्ड को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो समाजवादी समाज बनाने की सरकार की कटिबद्धता को देखते हुये दोनों प्रकार के रेल कर्मचारियों के बारे में विद्यमान विषमता को कम करने के लिये क्या निर्णय किया गया है अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) और (ख) श्रेणी I, II तथा III के कर्मचारियों को 20 वर्ष की सेवा पूरी करनी होती है जिसके बाद ही वे सेवा-निवृति के पश्चात् पास पाने के पात्र होते हैं। श्रणी IV के कर्मचारियों को 25 वर्ष की सेवा पूरी करनी होती है तभी वे इसे पाने के पात्र होते हैं।

(ग) और (घ) श्रेणी I के सेवा-निवृत्त रेल कर्मचारियों तथा श्रमिक संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि उन्हें भी श्रेणी III के सेवा-निवृत्त कर्मचारियों के समान मापदंड के सेवा-निवृत्ति के पश्चात् मानार्थ पास दिये जायें। इस मामले पर विचार किया गया है, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि श्रेणी IV के कर्मचारियों को पश्च सेवा निवृत्ति मानार्थ पासों के मापदंड को हाल ही में उदार बनाया गया है, और साथ ही इससे यात्री जनता पर प्रभाव पड़ेगा। अतएव इसे और अधिक उदार बनाये जाने का औचित्य नहीं समझा जाता।

Super Express Train from Jaipur to Udaipur

†**4798. Shri Bhanu Kumar Shastri :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether a Super Express train is proposed to be introduced from Jaipur to Udaipur keeping in view the historical and tourism importance of Udaipur (Rajasthan); and

(b) if so, the broad details thereof ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) Not at present.

(b) Does not arise.

आरक्षण एककों में भ्रष्टाचार

4799. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि समूचे देश में अधिक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर उचित कुशल, ईमानदार तथा सेवा-योग्य आरक्षण विभागों के अभाव में लम्बी दूरी की तेज रफ्तार वाली एवं एक्सप्रैस गाड़ियों से यात्रा करने के इच्छुक वास्तविक और सही यात्रियों को भारी असुविधा और परेशानी होती है ;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि इस कारण से विभिन्न आरक्षण एककों में बहुत अधिक भ्रष्टाचार होता है ;

(ग) क्या ऐसी गाड़ियों में बहुत से बर्थ खाली रहते हैं जबकि यात्रा करने के इच्छुक यात्रियों को उचित आरक्षण सुविधाएं नहीं दी जाती हैं ; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति को ठीक करने तथा उसमें सुधार करने के लिये तत्काल क्या सुधारात्मक कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) और (ख) तेज़ तथा लम्बी दूरी की एक्सप्रेस गाड़ियों में यात्रा करने के लिए इच्छुक सदाशयी यात्रियों को असुविधा और परेशानी होने की कुछ शिकायतें मिली हैं । समाज-विरोधी तत्वों और रेल कर्मचारियों द्वारा आरक्षण में किये गये कदाचार के मामले भी रेल प्रशासन के नोटिस में आये हैं ।

(ग) अंतिम क्षणों में आरक्षण रद्द करवा लेने, आरक्षित स्थान रखने वाले यात्रियों द्वारा यात्रा न करने, मार्गवर्ती स्टेशनों से चढ़ने वाले यात्रियों के लिए शायिकाएं निर्धारित/बुक करने के कारण कुछ शायिकाएं खाली पायी जाती हैं । ऐन मौके पर आरक्षण रद्द करवा लेने के कारण खाली हुई शायिकाओं में यात्रियों की बुकिंग केवल गाड़ी के समय पर ही की जा सकती है, पहले से नहीं। तथापि, जो आरक्षित स्थान इस प्रकार खाली हो जाते हैं, उनमें उन यात्रियों को प्राथमिकता के आधार पर स्थान दे दिया जाता है जिनका नाम प्रतीक्षा-सूची में दर्ज होता है ।

(घ) यात्रियों को आरक्षण की बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित सुधारात्मक कार्रवाई की गयी है :

(i) यातायात की निकासी के लिए महत्वपूर्ण मार्गों पर नयी गाड़ियां चलाकर, वर्तमान गाड़ियों में डिब्बों की संख्या बढ़ाकर, उनके चालन-क्षेत्र बढ़ाकर, सप्ताह में एक बार/सप्ताह में दो बार चलने वाली गाड़ियों के फेरों में वृद्धि करके और हालिडे स्पेशल गाड़ियां चलाकर मांग और सप्लाई के बीच के अन्तर को कम करने के लिए प्रयास किये जाते हैं ।

(ii) सभी स्टेशनों पर और सभी गाड़ियों में अग्रिम आरक्षण की समय-सीमा छः माह कर दी गयी है ताकि समाज-विरोधी तत्व उपलब्ध स्थान को न रोक लें और वास्तविक यात्रियों को अपनी मन-पसन्द की यात्रा की पहले से योजना बनाने के लिए पर्याप्त अवसर मिल सके ।

(iii) यात्रियों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए, महत्वपूर्ण स्टेशनों पर अतिरिक्त टिकट खिड़कियां, आरक्षण काउंटर, आदि खोलकर आरक्षण की प्रक्रिया और प्रबंधों को सुचारु बनाया गया है ।

(iv) धोखाधड़ी-विरोधी दस्तों, सतर्कता संगठनों, सरकारी रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा दल की सहायता से जांच संबंधी गतिविधियों को तेज़ किया गया है ताकि आरक्षण के मामले में कदाचार में भाग लेने वाले समाज-विरोधी तत्वों और रेल कर्मचारियों का पता लगाया जा सके। स्थिति में सुधार लाने के लिए दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाती है ।

10 लाख व्यक्तियों को रोज़गार देने सम्बन्धी प्लास्टिक उद्योग की योजना

4800. श्री निहार लास्कर :
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्लास्टिक उद्योग ने 10 लाख व्यक्तियों को रोजगार देने की योजना बनाई है बशर्ते सरकार अपेक्षित कच्चा माल दिलाने में उनकी सहायता करे ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने उनसे इस बारे में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा है ; और

(ग) क्या सरकार ने प्लास्टिक उत्पादकों को कच्चा माल देना स्वीकार कर लिया है जिससे वे अपनी योजना को क्रियान्वित कर सकें ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता।

Construction of Railway Underbridge at Shahdara (Delhi)

†4801. **Shri Ramji Lal Suman** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state

(a) whether a railway underbridge has been constructed opposite the Shyamlal Degree College in Shahdara Delhi; and

(b) if so, when construction work on this bridge was started, when it was completed and the expenditure incurred on its construction ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) Yes, a road underbridge has been constructed at this location by the Railway for Delhi Administration. The approaches for the under-bridge to be constructed by the Delhi Administration are yet to be completed by them.

(b) For the Railway's portion of work, the construction was commenced in June 1972 and completed in May 1976. Expenditure incurred by Railway on its construction is Rs. 2.90 lakhs.

Recruitment of SC/ST in Class III and IV posts by former Railway Minister

4802. **Shri Ram Nihar Rakesh** :

Shri Sushil Kumar Dhara :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of persons appointed to Class III and IV posts by direct recruitment during the period 1975-77 when Shri Kamlapati Tripathi was the Minister of Railways;

(b) the number of persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes among them classwise.

(c) the number of persons appointed as T.I.S. during the said period and the number of persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes among them; and

(d) in case the posts reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes have not been filled, the time by which these are likely to be filled by the present Government ?

The Minister for Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) to (d) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को सुविधाएं देने के लिए निर्धारित धनराशि

4803. **श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे के विभिन्न जोनों में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को सुविधायें देने के लिए प्रतिवर्ष कितनी धनराशी निर्धारित की गई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस उद्देश्य के लिये वस्तुतः कितनी धनराशी व्यय की गई तथा कितनी राशि व्यय बिना किये पड़ी रही ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) और ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं के लिए निश्चित की गयी राशि

(हजार रुपयों में)

रेल	1973-74			1974-75			1975-76		
	बजट अनुमान (स्वीकृत)	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान (स्वीकृत)	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान (स्वीकृत)	संशोधित अनुमान	वास्तविक
मध्य	43,73	39,60	38,72	31,29	92,13	25,61	23,10	18,11	21,11
पूर्व	35,00	37,04	36,37	41,87	36,86	36,80	13,48	8,43	9,37
उत्तर	55,00	50,77	45,10	42,61	34,53	36,62	54,24	73,99	1,03,52
पूर्वोत्तर	12,00	34,93	21,38	21,16	14,22	17,06	51,57	95,18	98,50
पूर्वोत्तर सीमा	14,03	13,25	11,80	6,72	3,67	5,00	5,41	5,40	5,48
दक्षिण	47,00	39,38	27,59	42,84	29,03	30,31	23,23	20,24	25,27
दक्षिण-मध्य	25,00	18,66	19,99	24,68	19,97	17,71	14,34	13,00	11,83
दक्षिण पूर्व	23,00	18,77	16,69	18,51	12,70	18,86	13,12	9,11	11,07
पश्चिम	44,60	1,22,02	83,26	29,09	22,27	32,53	16,22	37,73	63,11
रेलवे बोर्ड	1,00,73*			70,54*			66,03*		
जोड़ :	4,00,09	3,74,42	3,00,90	3,29,31	2,65,38	2,20,50	2,80,74	2,81,24	3,49,26

* विभिन्न क्षेत्रीय रेलों के संशोधित अनुमान और वास्तविक में ये आंकड़े शामिल हैं।

Trains cancelled on Western Railway

4804. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of trains which were cancelled on the Western Railway due to shortage of coal or due to other reasons;

(b) the number of trains out of them which have since been restored; and

(c) the steps being taken by Government to restore the remaining trains ?

The Minister for Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) 343 unimportant branch line trains were cancelled in different stages on the Western Railway from November 1973 due to shortage of coal.

(b) 274.

(c) There is no traffic justification for the restoration of the remaining cancelled trains.

Fertilizer Production by Factories in Gujarat

4805. **Shri Dharamsinhbhai Patel :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) the names of factories in Gujarat which produced fertilizers during the last three years and the varieties of fertilizers produced by them and the quantity of fertilizers proposed to be produced during 1977-78 indicating the varieties thereof;

(b) the extent to which requirement of the country is met by these factories in Gujarat;

(c) the names of the companies which are setting up factories for manufacturing fertilizers; where these are being set up and when these factories will start production indicating the quantity and variety of fertilizers to be produced by them; and

(d) the amount of grants and loans given and decided to be given by the Central Government to the factories/companies set up or being set up in Gujarat to produce fertilizers ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) : (a) A statement is laid on the Table of the House.

(b) The production by the units in Gujarat in terms of nutrients during 1977-78 is estimated to be 3.53 lakh tonnes of nitrogen and 1.76 lakh tonnes of P_2O_5 as against the total estimated production of 22 lakh tonnes of nitrogen and 7.2 lakh tonnes of P_2O_5 and a total estimated requirement of 31.30 lakh tonnes of nitrogen and 8.71 lakh tonnes of P_2O_5.

(c) One fertilizer project is being set up by M/s. Gujarat Narbada Valley Fertilizer Company in Broach Distt. This project with a capacity of 243,000 tonnes of nitrogen in the form of urea is expected to be completed in 1979-80.

(d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Statement

Showing product-wise production by fertilizer companies in Gujarat State

(Production in '000 tonnes)

Company/Fertilizers	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78 (Estimated)
1	2	3	4	5
1. *Adarsh Chemicals & Fertilizers, Udhana*				
Single super phosphate	35.5	18.7	43.0	45.0
2. *Paushak Ltd., Baroda*				
Single super phosphate . . .	20.6	4.0	14.0	20.0

1	2	3	4	5
3. *Anil Starch Products, Bhavnagar*				
Single super phosphate .	13.4	4.8	16.0	20.0
4. *Gujarat State Fertilizer Co., Baroda*				
Urea	267.0	263.0	272.0	270.0
DAP	58.0	53.0	66.0	65.0
Ammonium Sulphate . .	129.0	111.0	164.0	163.0
Ammonium Sulphate Phosphate		20.0	12.0	15.0
5. *Indian Farmers Fertilizers Co-operative, Kandla/Kalol*				
Urea	19.0	203.0	267.0	285.0
NPK 24 : 24 : 0 . . .	..	46.0	..	..
NPK 22 : 22 : 11 . . .	..	9.0	..	..
NPK 10 : 26 : 26 . . .	14.0	3.0	55.0	100.0
NPK 12 : 32 : 16 . . .	16.0	72.0	248.0	325.0

बड़ौदा से तथा बड़ौदा तक आरक्षण के कोटे में वृद्धि

4806. **श्री पी० जो० मावलंकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गुजरात के माननीय संसद सदस्यों सहित बहुत-से व्यक्ति, जो राजधानी एक्सप्रेस तथा दिल्ली और बम्बई के बीच रोजाना चलने वाली डीलक्स एवं तेज रफ्तार वाली गाड़ियों से यात्रा करते हैं, बड़ौदा से गाड़ियों में चढ़ते हैं और गाड़ियों से बड़ौदा स्टेशन पर उतरते हैं तथा बाद में गुजरात में आगे की यात्रा करते हैं क्योंकि दिल्ली और अहमदाबाद के बीच की मीटर गेज लाइन से यात्रा करने पर बहुत अधिक समय लगता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन गाड़ियों में बड़ौदा से तथा बड़ौदा तक आरक्षण के कोटे में वृद्धि करने का है ।

(ग) क्या दिल्ली और बम्बई के बीच की उपरोक्त प्रमुख लाइनों पर बड़ौदा से अहमदाबाद और अथवा सूरत की आगे की यात्रा के लिए बड़ौदा से आगो का मेल देने वाली तेज रफ्तार की गाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) और (ख) मीटर लाइन के रास्ते अहमदाबाद से दिल्ली तक और बडौदा के रास्ते बड़ी लाइन पर होने वाले यातायात के विश्लेषण से पता चला है कि बहुत बड़ी संख्या में यात्री मीटर लाइन से यात्रा करते हैं क्योंकि यह मार्ग सस्ता है।

बड़ी लाइन मार्ग पर दिल्ली के लिए यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बडौदा और अहमदाबाद स्टेशनों पर पर्याप्त कोटे की व्यवस्था की गयी है।

(ग) और (घ) बड़ौदा होकर दिल्ली और अहमदाबाद के बीच यात्रा करने के लिए उपयुक्त मेल लेने वाली गाड़ियां पहले से ही उपलब्ध हैं।

के० के० एक्सप्रेस

4807. **श्री के० ए० राजन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) के० के० एक्सप्रेस से यात्रा करने के लिये न्यूनतम कितनी दूरी पर रोक है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि केरल में रेल अधिकारी विजयवाड़ा, नागपुर और इटारसी आदि जैसे स्थानों के लिये त्रिवेन्द्रम सेंट्रल के अलावा अन्य किसी स्टेशन से टिकट जारी नहीं कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) चूंकि 125 डाउन/126 अप केरल/कर्नाटक एक्सप्रेस गाड़ियां, इन मार्गों पर मुख्यतः लम्बी दूरी के यातायात की जरूरतों को पूरा करने के लिए चलायी गयी हैं, इसलिए इन गाड़ियों में यात्री यातायात का विनियमन निम्नलिखित ढंग से करने के लिए हिदायतें दी गई हैं :—

डाउन दिशा में, अर्थात तिरुवनन्तपुरम सेंट्रल/बंगलूरू से नयी दिल्ली तक, बैंगलूरू/तिरूवनन्तपुरम सेंट्रल स्टेशन से नागपुर और इससे आगे के स्टेशनों के लिए यात्री बुक किये जाते हैं। मार्गवर्ती स्टेशनों के लिए कोटे आबंटित किये गये हैं। इन मार्गवर्ती स्टेशनों, अर्थात कोल्लम, कोट्टयम, एरणाकुलम जं०, तिरुच्चूर, ओलक्कोड, कोयम्बतूर, ईरोड, सेलम, रेणिगुंटा, विजयवाड़ा, आदि से 600 कि० मी० के दूरी सम्बन्धी प्रतिबन्ध को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक को आबंटित किये गये कोटे के अनुसार यात्री बुक किये जाते हैं। इन मार्गवर्ती स्टेशनों के लिए प्रत्येक को आबंटित किये गये कोटे के अनुसार बैंगलूरू और तिरुवनन्तपुरम सेंट्रल स्टेशनों से भी यात्री बुक किये जाते हैं। दिल्ली जाने वाली गाड़ियों की यात्रा के अन्तिम चरण अर्थात झांसी से उतने ही यात्री बुक किये जाते हैं जितना स्थान गाड़ी में उपलब्ध होता है। ऐसा, गाड़ी के प्लेटफार्म पर पहुंचने पर ही किया जाता है ताकि गाड़ी में उपलब्ध स्थान का पूरा-पूरा इस्तेमाल किया जा सके।

अप दिशा में, अर्थात नयी दिल्ली से बेंगलूरू/तिरुवनन्तपुरम सेंट्रल तक, नयी दिल्ली स्टेशन से विजयवाड़ा और इससे आगे के स्टेशनों के लिए यात्री बुक किये जाते हैं। मार्गवर्ती स्टेशनों के लिए कोटे आबंटित किये गये हैं। इन मार्गवर्ती स्टेशनों अर्थात झांसी, भोपाल, नागपुर, विजयवाड़ा आदि से 600 कि० मी० के दूरी सम्बन्धी प्रतिबन्ध को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक को आबंटित किये गये कोटे के अनुसार यात्री बुक किए जाते हैं। इन मार्गवर्ती स्टेशनों के लिए, प्रत्येक को आबंटित किए गए कोटे के अनुसार, नई दिल्ली स्टेशन से भी यात्री बुक किए जाते हैं। बेंगलूरू जाने वाली गाड़ी के हिस्से की यात्रा के अन्तिम चरण अर्थात् रेणिगुंटा से और तिरुवनन्तपुरम सेंट्रल जाने वाली गाड़ी के हिस्से की यात्रा के अन्तिम चरण अर्थात् कोयम्बतूर से उतने ही यात्री बुक किए जाते हैं जितना स्थान प्रत्येक गाड़ी में उपलब्ध होता है। ऐसा, गाड़ी के प्लेटफार्म पर पहुंचने पर ही किया जाता है ताकि गाड़ी में उपलब्ध स्थान का पूरा-पूरा इस्तेमाल किया जा सके।

(ख) जनता से और समाचार-पत्रों के माध्यम से इस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) दक्षिण रेलवे से कहा गया है कि उस रेलवे के स्टेशनों को उपर्युक्त (क) में अन्तर्विष्ट हिदायतों की पुनरावृत्ति और स्पष्टीकरण कर दें ताकि उनका समुचित और कड़ाई से अनुपालन हो और जनता से शिकायतें न आएं।

"नर्मदा वैली" नामक उर्वरक संयंत्र के निर्माण की योजना

4808. **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के भड़ौच जिले में "नर्मदा वैली" नामक उर्वरक संयंत्र के निर्माण की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) जी, हां। मैसर्स गुजरात नर्बदा वैली फर्टिलाइजर कम्पनी लि० को गुजरात के ज़िला भड़ौच में प्रतिवर्ष 5,94,000 यूरिया के उत्पादन के लिए उर्वक संयंत्र की स्थापना करने के लिए एक औद्योगिक लाइसेंस दिया गया है। कम्पनी ने पहले ही भूमि अर्जित की है तथा जल, विद्युत् तथा अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं का प्रबन्ध किया है। कम्पनी ने अमोनिया तथा यूरिया संयंत्रों के लिए उपकरण, जानकारी आदि की खरीद के लिए विदेशी फर्मों से करार भी कर लिया है।

दिल्ली के जिला तथा सेशन न्यायाधीश के कार्यालय में अधीक्षकों के रिक्त पद

4809. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के ज़िला और स्टेशन न्यायाधीश के कार्यालय के लिए अधीक्षकों के कितने पद मंज़ूर किए गए हैं;

(ख) उनमें से कितने पद खाली पड़े हैं और कब से; और

(ग) इतने लम्बे समय तक इन पदों को न भरने के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) से (ग) दिल्ली उच्च न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली के ज़िला और सेशन न्यायाधीश के कार्यालय में अधीक्षक के मंज़ूर किए गए तीन पद हैं। इनमें से दो पद तारीख 14 मई, 1974 से रिक्त हैं। ये दो पद दिसम्बर, 1971 में बनाए गए थे और ये दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के तारीख 5-4-1972 के आदेशों के अनुसार उम्मीदवारों का साक्षात्कार करके तथा उनकी वरिष्ठता और योग्यता पर विचार करके भरे गए थे। किन्तु एक आवेदक ने उक्त नियुक्तियों के विरुद्ध एक रिट याचिका दाखिल की। दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने जिसने उस मामले की सुनवाई की थी, उक्त नियुक्तियों को अपने तारीख 14-5-1974 के निर्णय के द्वारा इस आधार पर रद्द कर दिया कि मुख्य न्यायाधिपति उक्त नियुक्तियां करने के लिए सक्षम नहीं थे और यह कि ये नियुक्तियां नए सिरे से की जानी चाहिएं। उसके बाद अधीक्षक के पद पर नियुक्ति और उसकी सेवा शर्तों को शासित करने वाले नियम बनाना आवश्यक हो गया। इन नियमों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है इसलिए उक्त पदों पर नियुक्तियां नहीं की जा सकी हैं।

Burning of Goods Train and a Diesel Engine due to Fire in a Petrol Tanker

4810. Shri Krishna Kumar Goyal : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a goods train and a diesel engine were burnt badly as a result of fire in a petrol tanker near the Chambal bridge three kilometres away from Kota station in June, 1977; if so, the details of loss of life and property therein; and

(b) the cause of this accident and the action being taken against the persons found responsible therefor and also to prevent recurrence of such incidents ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) Yes. There was no loss of life or injury to any one. The cost of damage to railway property has been estimated at Rs. 14,87,533/ approximately.

(b) According to the finding of the inquiry committee, the accident was due to failure of railway staff. Suitable disciplinary action has been initiated against the staff held responsible.

To guard against such accidents, the railway administration has instituted an intensive drive to arouse safety consciousness amongst the staff so as to ensure that they do not violate safety rules.

जून, 1977 के दौरान एक्सप्रेस गाड़ियों का देर से चलना

4811. **डा० बापू कालदाते:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 1977 के दौरान अधिकांश एक्सप्रैस गाड़ियों के देर से चलने की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच अथवा सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त गाड़ियों को समय पर चलाते रहने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते: (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) क्षेत्रीय रेलें, सभी स्तरों पर दिन-प्रतिदिन के आधार पर सवारी गाड़ियों के समय-पालन के अनुपालन की निगरानी और संवीक्षा करती हैं। लम्बी दूरी वाली अनेक प्रमुख गाड़ियों की भी रेलवे बोर्ड के स्तर पर दिन-प्रतिदिन के आधार पर निगरानी की जाती है। परिहार्य अवरोधों के मामले में तुरंत कार्रवाई की जाती है और उन पर उपचारात्मक कार्रवाई भी की जाती है। खतरे की जंजीर खींचने और अन्य ऐसी असामाजिक तथा शरारतपूर्ण कार्यों की घटनाओं को रोकने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों के साथ उचित स्तर पर निकट सम्पर्क भी बनाए रखा जाता है।

डाक/एक्सप्रैस गाड़ियों के कार्यों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि इन गाड़ियों के समय-चालन में मई, 1977 की तुलना में जून, 1977 के महीने में काफी सुधार हुआ है।

तट पर तथा तट से दूर तेल की खोज के कार्य में प्रगति

4812. **श्री समर गुह:** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा और उड़ीसा में तट पर तथा तट से दूर तेल की खोज के बारे में वर्ष 1976-77 के दौरान कितनी प्रगति हुई; और

(ख) इन चार राज्यों में तेल की खोज के कार्यक्रम सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

तटीय:

पश्चिम बंगाल:—राज्य के विभिन्न भागों में भू-गर्भीय/भूकम्पीय सर्वेक्षण लगातार किए जाते हैं। वकुलतला में खोदे गए गहरे कुंए का परीक्षण करने के पश्चात् उसमें हाईड्रोकार्बन की विद्यमानता के कोई संकेत नहीं मिले। गलसी क्षेत्र में खोदे गए एक अन्य कुंए में भी परीक्षण करने पर हाईड्रोकार्बन के सकेत नहीं मिले।

असम:—तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा राज्य के विभिन्न भागों में भू-गर्भीय/भूकम्पीय सर्वेक्षण किये गये थे। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा दस संरचनाओं में कुल 27 कुए खोदे गये थे। इनमें से 15 तेल वाले कुंए पाए गये 6 शुष्क कूएं पाए गये और बाकी 6 कुओं का निरीक्षण किया जा रहा है। असम में खनन पट्टे वाले क्षेत्रों में आयल इंडिया द्वारा लगातार अन्वेषी/विकासशील व्यधन कार्य किया गया था। इस वर्ष के दौरान 8 कुएं खोदे गये थे।

त्रिपुरा:—इस राज्य में भू-गर्भीय नक्शे (मानचित्र) सम्बन्धी कार्य किया गया था। वारायुरा क्षेत्र में दो कुओं में व्यधन कार्य जारी रहा।

उड़ीसा:—उड़ीसा में तेल की संभावना से सम्बन्धित कोई कार्य नहीं किया गया।

अपतट:—पश्चिम-बंगाल-उड़ीसा अपतट में एक अन्वेषी कुएं का व्यधन कार्य 1976-77 में पूरा हो गया था। परन्तु इसके शुष्क कुएं होने के कारण इसे छोड़ देना पड़ा था।

(ख) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है:—

तटीय क्षेत्र:—**पश्चिम बंगाल**—राज्य में भू-गर्भीय तथा भू-भौतिकीय सर्वेक्षण और व्यधन सम्बन्धी कार्य-संचालन सतत रूप से चल रहे हैं; वर्ष 1977-78 के दौरान गेलसी क्षेत्र में एक रिंग और डायमंड हार्बर संरचना में दूसरे रिंग का संचालन किया जायेगा। वर्ष 1977-78 के दौरान इन रिंगों द्वारा कुल 4000 मीटर की खुदाई करने की योजना है।

असम:—राज्य में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल सम्बन्धी संभावनाओं की खोज का कार्य जारी है। वर्ष 1977-78 में असम में 10 गहण व्यधन रिंग कार्य संचालन करेंगे। वर्तमान दस संरचनाओं में किये जा रहे सतत व्यधन कार्य के **अलावा, तीन** संरचनाओं के लिए व्यधन कार्य को आरम्भ किया जाना है। वर्ष 1977-78 के दौरान **कुल 70,000 मी**टर तक की खुदाई करने की योजना है। असम के अपने खनन् पट्टे वाले क्षेत्रों में अन्वेषी/विकासशील व्यधन कार्य को आयल इंडिया लिमि० जारी रहेगा।

त्रिपुरा:—वर्ष 1977-78 के दौरान, वारायुरा में दो कुओं का व्यधन कार्य किया जा रहा है। इस क्षेत्र में एक और रिग का प्रयोग किया गया है। गजालिया में एक गहरे कुएं के व्यधन कार्य को 1977-78 के अंत तक आरम्भ किये जाने की संभावना है। इस वर्ष के दौरान कुल 9,340 मीटर तक खुदाई करने की योजना है।

अपतटीय क्षेत्र:—**पश्चिम-बंगाल-उड़ीसा** अपतट में आयोजित सर्वेक्षणों से उपलब्ध आँकड़ों और वहाँ पर खोदे गये दो अन्वेषी कुओं का ओएनजीसी द्वारा पुनः मूल्यांकन किया जा रहा है जिसके परिणाम-स्वरूप इस बेसिन में और आगे तेल की खोज के लिए की जाने वाली कार्रवाई आधारित होगी।

M/s. A. H. Wheeler & Company

4813. Shri R. L. P. Verma: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether M/s. A. H. Wheeler & Co. or their goodwill holders have been running 381 bookstalls in 289 railway stations throughout the country for past 103 years;

(b) whether the goodwill holder of this Company M/s. Banerjee Bandu pay about 8 per cent of their income of 50 to 60 per cent to book vendors and 2½% to the Railway Board and earn a net profit of about 41 per cent thus acquiring monopoly over profit;

(c) whether M/s. Banerjee Bandhu have removed 17 book vendors from Delhi Station, of whom one has died of starvation; and

(d) if so, whether Government propose to break the monopoly of this Company and give lease to the co-operative societies of educated unemployed persons and thus provide livelihood to hundreds of unemployed people and if so, by what time?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate): (a) Yes. They have 380 bookstalls at 275 stations.

(b) Out of the gross earnings of 31 to 32.9%, M/s. Wheeler & Co. paid (i) 11.3 to 13% to bookstall agents towards their commission, (ii) 2.5% to the Railways as royalties, (iii) 7.53 to 8.96% expenditure towards maintainance of bookstalls, depreciation, income-tax etc., (iv) 7.7 to 9.6% expenditure on office establishments, leaving the balance of 0.36 to 0.54% as dividends during the last four years.

(c) Thirteen vendors were retrenched by the existing bookstall Agents at Delhi. Out of these 13, 10 available for reinstatement have been taken back with effect from 1-7-1977. This Ministry is not aware whether any vendor had died of starvation.

(d) Besides M/s. A. H. Wheeler & Co. bookstall contracts at Railway stations are held by M/s. Higginbothamps (P) Ltd., M/s. Gulab Singh & Sons, a number of unemployed graduates, their partnerships, associations and Co-operatives and other contractors including Charitable Philanthropic organisations like Servsewa Sangh, Gita Press, etc. The contract of M/s. A. H. Wheeler & Co. and the other two major bookstall contractors are due to expire in December, 1984. Based on the performance and response from the unemployed graduates and other bookstall contractors, a decision will be taken at an appropriate time.

Setting up of a Bench of Allahabad High Court in Western Districts of Uttar Pradesh

*4814. **Shri Mahi Lal :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether the former Government had taken a decision in regard to the setting up of a second bench, besides Lucknow of the Allahabad High Court in Western districts;

(b) whether this decision was announced in several election meetings during the Lok Sabha election compaign of the former Minister of State Shri Shahnawas Khan and the former U.P. Chief Minister Shri N. D. Tiwari; and

(c) whether present Government propose to honour this decision and if so, when and where this bench will be set up ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan) : (a) to (c) No such decision was taken by the Government of India.

Expenditure incurred on setting up Fertilizer Factories

4815. **Shri Hargovind Verma :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) the total expenditure incurred on setting up of the fertilizers factories functioning at present; and

(b) the sources from which this amount was received as also the terms and conditions thereof ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

वर्ष 1977 में चलती गाड़ियों में हुई डकैती और लूटमार की घटनाएं

4816. **श्री कचरूलाल :**

श्री हेमराज जैन :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 में अब तक चलती गाड़ियों में लूटमार और डकैती के कितने मामले हुए ;

(ख) उनमें कितने रुपये का माल लूटा गया और रेलव को कितनी हानि हुई ;

(ग) इस अवधि में डकैती और लूटमार की घटनाओं में कितने लोग हताहत हुए ; और

(घ) क्या घायल हूए लोगों और मृत लोगों के सम्बन्धियों को कोई मुआवजा दिया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्यां है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) वर्ष 1977 में 30-6-1977 तक चलती गाड़ियों में डकैती की 30 और लूटपाट की 78 घटनाएं हुईं।

(ख) 2,99,394 रुपये।

(ग) 3 व्यक्ति मारे गये और 41 व्यक्ति जख्मी हुए।

(घ) जी नहीं।

Posts of Judges vacant and cases pending in High Courts and Supreme Court

*4817. **Shri Mritunjay Prasad Verma :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of vacant posts out of the 56 vacant posts of judges of the Supreme Court and High Courts mentioned in the Report for 1976-77 of the Department of Justice which have so far been filled in each court by making new appointments;

(b) the number of posts fallen vacant from the date of the publication of the Report up to 30th June, 1977;

(c) the sanctioned number of posts of judges in the various High Court and Supreme Court as on 1-7-1977 and the number of posts out of them, which have been filled and number of posts still vacant;

(d) the total number of old and new cases which were pending as well as which were disposed of during the three months dending December, 1976 and March, 1977 after the publication of the Report; and

(e) the efforts being made or proposed to be made to dispose of these cases expeditiously ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan) : (a) Para 85(2) of the Report for 1976-77 of the Ministry of Law, Justice and Company Affairs, gives the number of appointments made—namely 56—and mentions the vacancies in the Supreme Court and each High Court against which these were made. On 1st April, 1977 the number of vacant posts in the High Courts was 64 and in the Supreme Court was two.

(b) Six posts of Judges of High Courts have fallen vacant between 1st April, 1977 and 30th June, 1977.

(c) A statement is annexed.

(d) The figures of institution, disposal and pendency during the three months ending December, 1976 and March, 1977 are not available. However, the figures of institution and disposal in the High Courts during the 6 months ending December, 1976 and figures of pending cases as on 31-12-1976 in the High Courts were as follows :—

Institution	2,43,781
Disposal	2,32,909
Pendency	5,64,007

The figures for the Supreme Court for the year 1976 and for the year 1977 upto 30-4-1977 were as follows :—

	1976	1977 (Upto 30th April)
Institution	8,254	3,981
Disposal	7,734	3,20
Pendency (on 31-12-76)	14,109	14,770 (on 30-4-77)

(e) It is primarily for the High Courts and the Supreme Court to take steps for the expeditious disposal of cases. Some High Courts have been handicapped as vacancies have remained unfilled. With a view to reducing arrears, the following steps are being taken by the Government :—

(i) The existing vacancies in High Courts are proposed to be filled up expeditiously.

(ii) Wherever necessary, the Judge strengthfof the High Courts will be increased.

Statement

Sl. No.	Name of the Court	Sanctioned strength		Actual strength		Vacancies	
		Permament Judge	Additional Judge	Permament Judge	Additional Judge	Permanent Judge	Additional Judge
	Supreme Court .	14		12	..	2	—
	High Courts :						
1.	Allahabad . .	40	7	34	2	6	5
2.	Andhra Pradesh .	18	3	17	2	1	1
3.	Bombay . .	27	8	24	3	3	5
4.	Calcutta . .	33	7	29	7	4	..
5.	Delhi . .	15	6	15	..	..	6
6.	Gauhati . .	8	..	7	..	1	..
7.	Gujarat . .	14	4	12	1	2	3
8.	Himachal Pradesh	3	..	3	..	..	..
9.	Jammu & Kashmir	4	2	3	2	1*	..
10.	Karnataka . .	14	3	12	..	2	3
11.	Kerala	13	3	12	3	1	..
12.	Madhya Pradesh	20	3	19	..	1	3
13.	Madras . .	16	6	14	2	2	4
14.	Orissa . .	7	1	7	1	..	..
15.	Patna . .	18	9	18	7	..	2
16.	Punjab & Haryana	17	6	15	..	2	6
17.	Rajasthan . .	10	4	10	1	..	3
18.	Sikkim . .	2	..	2	..	..	..
		279	72	253	31	26	41
		351		284		67	

*Kept abeyance.

Rules regarding Ad-hoc Appointment of Doctors in Northern Railway

*4818. **Shri Ram Prasad Deshmukh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the rules regarding the ad-hoc appointment of doctors in the Northern Railway and whether these appointments are made by some officer or committee;

(b) the name of the appointing authority or the names of the members of the committee, as the case may be; and

(c) whether there is any rule regarding termination of services of the doctors appointed on ad-hoc basis or whether it all depends on the whims of the appointing authority ?

The Minister for Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) Ad-hoc appointments of doctors are made at short notice to fill up vacant posts without least possible delay to avoid dislocation of medical services. The candidates so appointed are required to possess the minimum basic qualification and conform to the age limits prescribed by the Union Public Service Commission. Appointments are made by the General Manager.

(b) The General Manager of the Railway is the appointing authority.

(c) When candidates selected by the Union Public Service Commission join, those ad-hoc doctors who have had three chances to appear before the Union Public Service Commission but fail to get selected are replaced first; thereafter services of the other ad-hoc Assistant Medical Officers are terminated in the order of length of service, the junior-most going out first.

उर्वरकों से 110 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत

4819. **श्री के० लकप्पा**: क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1976-77 में नाइट्रोजिनस और फ़ास्फ़ेट उर्वरकों का अधिक उत्पादन करके लगभग 110 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन में इस वृद्धि का क्या कारण है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि यह उत्पादन वृद्धि वर्ष 1977-78 में भी बनी रहे ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) जी हाँ।

(ख) 1976-77 के दौरान उत्पादन में वृद्धि के लिए निवेशों की अच्छी उपलब्धता उत्पादन में सुधार और अनुरक्षण की व्यवस्थाएं, श्रम और प्रबन्धकों के संबंध आदि के परिणामस्वरूप चल रहे संयत्रों में सुधार हुआ, कार्य निष्पादन और नए उर्वरक संयत्रों को आरम्भ करने जैसे पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है।

(ग) वर्ष 1977-78 के दौरान 22 लाख मी० टन नाइट्रोजन और 7.2 लाख मी० टन $पी_2 ओ_5$ के उत्पादन की संभावना है जबकि 1976-77 के दौरान 19 लाख मी० टन नाइट्रोजन और 4.8 मी० टन $पी_2 ओ_5$ का उत्पादन हुआ था। कम्पनियों के कार्यनिष्पादन उत्पादन की लगातार देख-रेख की जाती है और उत्पादन को सीमित करने वाली कठिनाइयों को दूर करने और पता लगाने के लिए अपेक्षित उपाय किये जा रहे हैं।

तेल के लिए सर्वेक्षण

4820. **श्री प्रसन्नभाई मेहता**: क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के तेल की संभावनाओं वाले सभी क्षेत्रों का सर्वेक्षण 1978 तक पूरा कर लिया जायेगा ;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त सर्वेक्षण में कुल कितना खर्च होगा तथा उसके परिणामस्वरूप कुल कितने तेल की खोज की जायेगी ; और

(ग) किन-किन देशों ने देश में तेल के लिए सर्वेक्षण करने में मदद की ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) भू-गर्भीय और भू-भौतिकीय सर्वेक्षण, व्यधन कार्य, भू-विज्ञान की पुनः व्याख्या सम्बन्धी अनुसंधान करना तथा अधिक परिष्करण के साथ और सर्वेक्षण करना आदि सभी सतत प्रक्रियाएं हैं। अतः इनको पूर्ण करने के

लिए कोई समय अवधि न तो निर्धारित की जा सकती है और न ही कुल व्यय का अनुमान ही लगाया जा सकता है। गत वर्ष इण्डो-सोवियत टीम द्वारा किये गये पूर्वानुमानित मूल्यांकन के अनुसार देश में भू-गर्भीय भंडार लगभग 6,000 मि० मी० टन है। अभी तक किये जाने वाले अन्वेषी संचालन कार्यों के परिणामस्वरूप लगभग 1,600 मि० मी० टन के भू-गर्भीय भंडारों का पता लगाया जा चुका है। जिनमें से लगभग 350 मी० टन प्राप्त होने योग्य भंडारों की श्रेणी में आते हैं। इनमें से 1-1-1976 की यथा स्थिति के अनुसार लगभग 270 मि० मी० टन का प्राप्त करने योग्य बकाया भंडार को छोड़कर 80 मि० मी० टन का उत्पादन हो चुका है।

(ग) देश में तेल अन्वेषण कार्य में अनेक देशों के उपकरणों और कार्मिकों का उपयोग किया गया है। इनमें कनाडा, अमरीका, रूस, रोमानिया, इटली, हंगरी, फ्रांस और इंगलैंड आदि देश शामिल हैं।

अन्य मंत्रालयों में प्रतिनियुक्त रेलवे कर्मचारियों को पास की सुविधा

4821. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य मंत्रालयों को प्रतिनियुक्ति पर गये रेलवे कर्मचारी तीन वर्ष से अधिक अन्तरण पर भी अन्य रेलवे कर्मचारियों को उपलब्ध निःशुल्क पास जैसी सुविधाएं पाने की हकदार हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ये सुविधायें किस अवधि तक दी जाती हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) और (ख) गैर-रेलवे विभाग को प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान, अर्थात् जिस पद पर रेल कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त किया गया हो उस पद की समयावधि के लिए, उन्हें सुविधा पास/सुविधा टिकट आदेश उसी हिसाब से दिये जाते हैं जिस हिसाब से कि सेवारत रेल कर्मचारियों को मिलते हैं। यदि किसी रेल कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति की अवधि उसकी सामान्य समयावधि के बाद बढ़ायी जाये, तो उस रेल कर्मचारी को उसी हिसाब से पास दिए जाएंगें जिस हिसाब से कि सेवानिवृत्त के बाद उसे पास दिये जाते। यदि कोई कर्मचारी अपनी सेवा अवधि के आधार पर सेवा निवृत्ति के बाद पास पाने का हकदार न हो तो विशेष मामले के रूप में, प्रतिनियुक्ति की बाकी अवधि के दौरान, सेवानिवृत्ति पर उसकी श्रेणी के लिये प्रयोज्य निम्नतम माल के अंतर्गत उसे पास दिये जाते हैं।

वर्ष 1974 की हड़ताल के समय रेलवे कर्मचारियों की मांगें

4822. **श्री विजय कुमार पाटिल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री जार्ज फ़र्नान्डीज़ ने 1974 की हड़ताल के दौरान रेलवे कर्मचारियों की ओर से क्या मांगें रखी थीं; और

(ख) मार्च 1977 के बाद सरकार ने उनमें से किन मांगों को स्वीकार किया तथा किन्हें अस्वीकार किया है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) श्री जार्ज फ़र्नान्डीज ने रेल कर्मचारियों के संघर्ष के लिए राष्ट्रीय समन्वय समिति के संयोजक की हैसियत से मार्च, 1974 में तत्कालीन रेल मंत्री को रेल कर्मचारियों के राष्ट्रीय कन्वेन्शन में 27-2-74 को पास किए गए संकल्प की एक प्रतिलिपि भेजी थी जिसमें निम्नलिखित मांगें थीं :—

1. (क) सभी रेल कर्मचारियों को औद्योगिक कर्मचारी माना जाए तथा उन्हें ट्रेड यूनियन के पूरे अधिकार हों जिनमें समझौता वार्ता का अधिकार भी शामिल है।

(ख) रेल कर्मचारियों के काम के घंटे प्रतिदिन आठ घंटे से अधिक न हों।

(ग) सभी रेल कर्मचारियों के कार्य का मूल्यांकन वैज्ञानिक तरीके से किया जाए तथा उसके उपरान्त निम्नतम वेतनभोगी कर्मचारी के लिए आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम पारिश्रमिक तय करके उनका पुनर्वर्गीकरण–पुनःश्रेणीकरण हो।

2. कार्य का मूल्यांकन और पुनर्वर्गीकरण पूरा होने तक उनके वेतन केन्द्र सरकार के उद्यमों जैसे एच० एम० टी०, बी० एच० ई० एल०, एच० एस० एल०, एन० ए० एल० आदि के कर्मचारियों के वेतन के समान तत्काल कर दिए जाएं।

3. वर्ष 1971-72 और 1972-73 के लिए एक माह के वेतन की दर से बोनस दिया जाए।

4. सभी नैमित्तिक कर्मचारियों को नियमित किया जाए तथा पूर्व प्रभावी तारीख से सभी लाभ देकर उनको सेवा में स्थायी किया जाए।

5. विभागीय दुकानों की मार्फ़त खाद्यान्न तथा अन्य अनिवार्य वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में तथा रियायती दरों पर दी जाएं।

6. उत्पीड़न के सभी मामले वापस लिए जाएं।

(ख) मई, 1974 की हड़ताल से पहले हुई बातचीत के दौरान, निम्नलिखित मुद्दों के सम्बन्ध में एक सामान्य आधार तैयार किया जा रहा था, यद्यपि कोई औपचारिक समझौता न हो सका :—

(1) भियाभाय पंचाट का अक्षरशः कार्यान्वयन।

(2) श्रेणी-III तथा श्रेणी IV के कर्मचारियों की संवर्ग समीक्षा और उनका पदोन्नयन।

(3) वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के ढांचे के भीतर कार्य-मूल्यांकन।

(4) वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के परिणामस्वरूप उत्पन्न असंगतियों पर विचार करने के लिए एक समिति की नियुक्ति।

(5) नैमित्तिक श्रमिकों के नियोजन के संबंध में कुछ नीतियां।

(6) जिन रेलवे कालौनियों में 300 से अधिक परिवार रहते हैं, उनमें उचित मूल्य की दुकानें खोलना।

मई, 1974 की हड़ताल के बाद, शेष मांगों के संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई।

पन्ना से रेल सम्पर्क

4323. **श्री नरेन्द्र सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पन्ना, जो भूतपूर्व एक रियासत की राजधानी थी, रेल लाइन से जुडा हुआ नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) जी हां।

(ख) सालिया से पन्ना तक रेलवे लाइन के निर्माण के लिए 1927-28 में सर्वेक्षण कराया गया था किन्तु निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया क्योंकि यह परियोजना अर्थक्षम नहीं पाई गई थी।

Shortage of Cooking Gas

4824. **Shri Maniram Bagri :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether there is acute shortage of cooking gas in Delhi and Government have imposed restrictions on the supply of new gas connections;

(b) if so, the reasons for this shortage;

(c) the number of persons registered with the gas companies for the supply of cooking gas connections as on 31st March, 1977; and

(d) the action taken by Government to meet the shortage ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) : (a) and (b) The overall demand for Liquefied Petroleum Gas (cooking gas) in Delhi, as also in the country as a whole, is much higher than the availability of the said product. The demands of existing LPG customers are, however, generally met in full except during brief periods of temporary shortages. As the total production of LPG from Koyali (Gujarat) Refinery, which is the source of supply to Delhi, is fully committed, restrictions have been imposed by the oil companies on release of new gas connections.

(c) As on 31st March, 1977, the number of persons registered with the various oil companies in Delhi for the supply of new gas connections was about 1.07 lakhs.

(d) The availability of the product is expected to improve in the next 2 to 3 years.

मद्रास जाने वाली पण्डयन एक्सप्रेस पर पथराव

4825. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :**

डा० हेनरी आस्टिन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदुरे से मद्रास जाने वाली पण्डयन एक्सप्रेस पर 30 जून, 1977 को उपनगरीय रेलवे स्टेशन सेंट थामस माउंट पर पथराव किया गया और उसे क्षति पहुंचाई गई;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे;

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच कराई गई है और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले;

(घ) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) इस पथराव के कारण कुल कितनी हानि हुई ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) और (ख) जब यात्रियों और रिक्शा चलाने वालों के बीच किराए को लेकर झगड़ा हुआ तो भीड़ के एक समूह ने उन लोगों पर पत्थर फ़ैंकने शुरू कर दिए जिन्होंने रेलवे स्टेशन के अन्दर शरण ले ली थी, उस समय पांडयन एक्सप्रेस के कुछ डिब्बों पर भी पत्थर पड़े लेकिन कोई क्षति नहीं हुई ।

(ग) और (घ) सरकारी रेलवे पुलिस ने भारतीय रेल अधिनियम की धारा 129 के अधीन अपराध संख्या 750/77 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है । कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है ।

(ङ) कोई हानि नहीं हुई ।

Opening of Kateeli Halt

†4826. **Shri Ram Lal Rahi :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state the present position regarding opening the Kateeli Halt located in between Shahjahanpur and Sitapur on Northern Railway branch line ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : Necessary action for opening a passenger halt at Kateeli located on Northern Railway between Shahjahanpur and Sitapur is in progress. A reference has been made to the State Government and Surveyor General of India for the approval of the name of the station and its spellings in Hindi and English. As soon as this is finalised and a suitable contractor appointed, this halt would be opened for traffic.

इटली को सनम प्रोगेटी को ठेके देना

4827. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री 20 जून, 1977 के अतारांकित प्रश्न सं० 1991 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन दो मंत्रियों के नाम क्या हैं जिन्होंने अधिकारियों की इच्छाओं के विरुद्ध सनम प्रोगेटी को ठेके दिए थे;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सनम प्रोगेटी को कुल कितने मूल्य के ठेके दिए गए;

(ग) इन ठेकों के दिए जाने में क्या अनियमितताएं की गईं और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की;

(घ) उन दो मंत्रियों के विरुद्ध, जिन्होंने ये अनियमितताएं की थीं, सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है; और

(ङ) इन सौदों के बारे में सरकार को प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) ट्राम्बे V अमोनिया संयंत्र के लिए ठेका श्री पी० सी० सेठी के निदेश से दिया गया था और यूरिया संयंत्र के लिए ठेका श्री के० डी० मालवीय के निदेश से दिया गया था। दोनों मामलों में निर्णय, श्री सी० सुब्रह्मनियन, जो उस समय वित्त मंत्री थे, के परामर्श के बाद लिया गया था।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सनम प्रोगेटी को दिए गए ठेकों का मूल्य निम्नलिखित है :—

फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड :

1. प्रक्रिया, डिज़ाइन, पैकेज, आयातित उपस्कर आदि सहित ट्राम्बे V परियोजना के यूरिया संयंत्र को स्थापित करने के लिए ठेका।	10,290,000 डालर
2. मूल डिज़ाइन की पूर्ति, उपस्कर, प्रपुंज सामग्री आदि सहित ट्राम्बे V परियोजना के अमोनिया संयंत्र को स्थापित करने के लिए ठेका।	20,649,315 डालर
3. एफ़० सी० आई० के पी० एण्ड डी० प्रभाग द्वारा की जाने वाली विस्तृत इंजीनियरी के लिए सनम प्रोगेटी को दी जाने वाली राशि।	14,665,000 रु०

उपर्युक्त दिखाई गई राशि के अलावा एफ़०सी०आई० ने सनम को 15,011,535 डालर की राशि अतिरिक्त पुर्जे, कैटलिस्ट्स, कच्चा माल और प्रबन्ध आदि के लिए देनी है।

इण्डियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लिमिटेड :

फ़ूलपुर परियोजना के लिए तकनीकी सहायता और पर्यवेक्षण सेवाओं की पूर्ति के लिए ठेका :

(1) शुल्क	6,80,000 डालर
(2) तदनुरूपी राशि के लिए भारतीय रुपयों में	1,30,000 डालर

2. फूलपुर परियोजना के लिए प्रक्रिया और विस्तृत इंजीनियरी आदि के लिए ठेका। डालर 3 575,000

गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कम्पनी लिमिटेड :

यूरिया संयंत्र स्थापित करने के लिए ठेका डालर 15,363,500

इसके अलावा, विदेशी कम्पनी से क्षतिपूर्ति आधार पर यदि वे उपस्कर देश में उपलब्ध नहीं हैं तो उपस्कर की खरीद के लिए ठेके में 7 मिलियन डालर की राशि अलग से रख दी गई है। इस राशि में समुद्री भाड़ा और प्रबन्ध के लिए राशि शामिल है।

(ग) से (ङ) सरकार ने प्रेस रिपोर्ट देखी है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि कुछ व्यक्तियों ने इन ठेकों से आर्थिक लाभ उठाए थे। मामले की सी०बी०आई० द्वारा प्रारम्भिक जांच की जा रही है और वे मामले में जैसा उचित समझेंगे कार्रवाई करेंगे।

Contracts for selling tea and other items at Santa Cruz, Surat and Boribander stations

4828. Shri Nawab Singh Chauhan : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the names of contractors engaged in selling tea and other items at Santa Cruz, Surat, Boribander railway stations near Bombay; and for how much time;

(b) whether some new persons were awarded contract for selling some articles at the instance of former Railway Minister during emergency;

(c) if so, the criterion followed and the number of applications received; and

(d) whether fresh applications are proposed to be invited in the near future for running new stalls for renewal of old contracts ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) A statement is attached.

(b) No contractors were appointed at the instance of former Railway Minister during emergency at any of the stations referred to in part (a) of this question.

(c) Does not arise.

(d) At present there is no proposal to sanction new stalls at these stations. Renewal of old contracts will be decided as per extant rules subject to satisfactory performance.

Statement

Station	Name of Contractor	Year of allotment of the contract
1	2	3
Santa Cruz . .	1. Shri S. C. Gupta	1933
	2. ,, Murlidhar Pandurang	1960
	3. ,, Pratap Singh	1960
	4. ,, M. K. Irani	1965
	5. M/s. Neera Palm Products Co-op. Society Ltd.	1963
Surat	1. M/s. Mahesh Kumar & Co.	1940
	2. Shri A. K. Sayad	1958
	3. ,, Chabildas	1935
	4. ,, Bhagwandas	1934

1	2	3
	5. ,, Ratilal Narottamdas	1933
	6. ,, Jankat Ram	1933
	7. ,, Natwarlal J.	1933
	8. ,, Mansukhlal	1933
	9. ,, Ratilal Nagindas	1933
	10. ,, Bhilkaji	1931
	11. ,, Thakurdas Jamnadas	1935
	12. ,, Natwarlal G.	1935
	13. ,, Bhagwandas D.	1935
	14. ,, Natwarlal C.	1935
	15. ,, Bominyar	1935
	16. ,, Ishwarlal Mehta	1935
	17. ,, Bhagwat Singh R.	1935
	18. ,, A. H. Acharya	1960
	19. ,, Ramanlal N.	1940
	20. ,, Devendra Kumar B. Aggrawal B.Sc. & Smt. Kamal C. Jain M.A. (Partnership)	1976
Bombay V.T. (Boribandar)	1. Shri R. D. Agrwal	1957
	2. ,, J. H. Bindal	1957
	3. M/s. E. A. Karim	1941
	4. Shri Surendra Kumar C. Gupta	1976
	5. (S/Shri R. T. Pariani & D. C. Shingwani)	1976

रसायन के कच्चे माल के लिए माल भाड़ा एक समान करने की योजना

4829. **श्री चित्त बसु:** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अन्य सहायक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पेट्रो-रसायन काम्पलैक्स से निकलने वाले रसायन के कच्चे माल के मामले में माल भाड़ा एक-समान करने की योजना बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरकों में दस करोड़ रुपये की बचत

4830. **श्री के० लकप्पा:** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत ने उर्वरकों में 10 करोड़ रुपये की बचत की है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): पिछले वर्षों की तुलना में 1976-77 के दौरान नाइट्रोजन और फास्फेट के अतिरिक्त उत्पादन से देश को 110 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हुई।

रेलवे अस्पतालों में विशेषज्ञों की नियुक्ति

4831. **श्री जैना बैरागी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे अस्पतालों में विशेषज्ञों को नियुक्त करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को किस वर्ष से क्रियान्वित किया जाएगा ?

रेल मंत्री प्रोफेसर मधु दण्डवते : (क) रेलों पर डाक्टरों का कोई विशेषज्ञ संवर्ग नहीं है। लेकिन, विशेषताओं में स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त डाक्टरों को भर्ती किया जाता है और उस विशेषता के लिए उनका उपयोग किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बोरेक्स मोरारजी लिमिटेड बम्बई का एक विदेशी फर्म के साथ सहयोग

4832. **श्री हरि विष्णु कामत:** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बोरेक्स मोरारजी लिमिटेड, बम्बई का किसी विदेशी फर्म के साथ सहयोग है, यदि हां, तो कब से है;

(ख) उस फर्म का नाम क्या है;

(ग) इस सहयोग की क्या शर्तें हैं; और

(घ) इस समय उसकी क्या स्थिति है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : (क) जी, हां। विदेशी सहयोग करार 30-5-63 को हस्ताक्षर हुआ था।

(ख) मैसर्स बोरेक्स (होल्डिंगज) लिमिटेड, लण्डन।

(ग) सहयोग की शर्तें निम्न प्रकार है :—

(1) विदेशी फर्म साम्यपूंजी में 13.50 लाख रुपये के कुल चुकता जारी साम्यपूंजी का 45% निवेश लगायेंगे। इसका कुछ भाग उपस्करों (6 लाख रुपये) की लागत को पूरा करने के लिये उपयोग में लाया जायेगा और शेष राशि इस देश में नकदी के रूप में भेजी जायेगी।

(2) तकनीकी जानकारी के लिये विदेशी फर्म को रायल्टी या अन्य किसी फीस की अदायगी नहीं की जायेगी। फिर भी यू० के० फर्म भूमि तथा भवन की लागत को छोड़कर संयंत्र की कुल पूंजी लागत का 10% (दस प्रतिशत) अधिकतम सीमा के अन्तर्गत इंजीनियरिंग सर्विसिंग डिजाइन पर्यवेक्षण आदि की वास्तविक लागत का भुगतान किया जाये :

(3) यू० के० कम्पनी, भारतीय फर्म को कच्चे माल को विश्व में प्रचलित मूल्य स्तर या उससे कम पर खरीदने में सहायता देगी और वह कम्पनी भारतीय फर्म को उनके द्वारा इस समय निर्मित ऐसे मदों के स्तर तक मदों (बोरेक्स तथा बोरेक्स एसिड) के निर्माण के लिये निःशुल्क तकनीकी जानकारी प्रदान करेगी।

(4) मैसर्स बोरेक्स, शेयर धारी (होल्डिंगस) लन्दन के साथ सहयोग में भारतीय फर्म द्वारा निर्मित माल के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(5) करार 31 दिसम्बर, 1999 तक लागू रहेगा।

(घ) कम्पनी 1965 से उत्पादन कर रही है।

छोटे नगरों को कुकिंग गैस की सप्लाई

4833. **श्री विजय कुमार मण्डल** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अधिकाधिक तेल के उत्पादन के परिणामस्वरूप कुकिंग गैस की उपलब्धि में वृद्धि होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं कि छोटे नगरों में कुकिंग गैस की सुविधायें प्रदान करने पर विचार नहीं किया जाता; और

(ग) छोटे नगरों को कुकिंग गैस सप्लाई करने के बारे में उनके मंत्रालय का क्या कार्यक्रम है?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) केवल देशी कच्चे तेल की अधिक उपलब्धता ही आयातित कच्चे तेल का स्थान ले सकती है। केवल इसी के कारण कुकिंग गैस की समग्र सप्लाई में किसी प्रकार के सुधार की आशा नहीं की जा सकती।

(ख) और (ग) उत्पाद की उपलब्धता की तुलना में देश की कुकिंग गैस की कुल मांग बहुत अधिक है। तदनुसार समस्त छोटे नगरों को कुकिंग गैस की सुविधायें प्रदान करना संभव नहीं है। उत्पाद की उपलब्धता में सुधार होने पर ही ऐसे नगरों में कुकिंग गैस की व्यवस्था की जा सगती है।

एलफिस्टन रोड स्टेशन को परेल से जोड़ने के लिये पैदल ऊपरीपुल की मांग

4834. **श्री जी० एम० बनतवाला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अधिकतम यातायात के समय की भीड़ को देखते हुए बम्बई में पश्चिम रेलवे के एलफिस्टन रोड स्टेशन और सेन्ट्रल रेलवे के परेल स्टेशन को जोड़ने के लिये पैदल ऊपरी पुल के निर्माण की निरन्तर मांग के बारे में दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) और (ख) : अखबारों में प्रकाशित ऐसी मांग के बारे में रेल प्रशासन को जानकारी है। पश्चिम रेलवे के एलफिस्टन रोड और मध्य रेलवे के परेल स्टेशन को जोड़ने के लिये ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

Scheme to construct Railway Bridge on Ganga River opposite Digha West

***4835. Shri Chandradev Prasad Verma** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a scheme to construct a railway bridge on the Ganga river opposite Digha West, Patna (Bihar) was formulated; and

(b) if so, when the construction work will be started ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) and (b) An engineering-cum-traffic survey for construction of a rail bridge across the Ganga in the reach between Kanpur-Allahabad-Mokameh-Monghyr has been carried out. One of the sites investigated in detail is the site near Patna. The technical aspects of the survey report are under study.

इण्डियन ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा पेनसिलीन प्रौद्योगिकी के आयात के लिए इटली की फर्मों से तकनीकी सहयोग सम्बन्धी करार

4836. **श्री भागीरथ भंवर**: क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने 6 दिसम्बर, 1976 को पेनसिलीन प्रौद्योगिकी के आयात के लिये इटली की एक फर्म से 1.86 करोड़ रुपये का कोई तकनीकी सहयोग सम्बन्धी करार किया था;

(ख) क्या उक्त करार इतनी जल्दी में किया गया था कि इंडियन ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने विश्व के देशों से टेंडर आमंत्रित नहीं किये;

(ग) क्या करार के अनुसार पहली किश्त का भुगतान इटली की फर्म को फरवरी, 1977 में कर दिया गया है जबकि प्रौद्योगिकी अभी भारत में नहीं पहुंची है;

(घ) क्या इस विलम्ब के कारण भारत को प्रतिमास 15 लाख रुपये की हानि हो रही है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा सम्बद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) पेनिसलिन 'जी' पोटाशियम के निर्माण के लिये तकनीकी जानकारी और स्ट्रेन की सप्लाई के लिये इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि० (आई० डी० पी० एल०) द्वारा 6-12-1976 को 4 लाख अमरीकी डालर के कुल भुगतान पर इटली की मैसर्स फार्माफिन के साथ एक तकनीकी सहयोग करार किया गया था।

(ख) आई० डी० पी० एल० ने 1974, 75 और 1976 के दौरान पत्राचार तथा विशेषज्ञों के प्रतिनिधि मंडल भेजकर संयुक्त राज्य अमरीका, इंग्लैंड, जापान, इटली, रूस, स्विटजरलैंड, स्वीडन और पश्चिम जर्मनी की विभिन्न पार्टियों के साथ सम्पर्क स्थापित किया था जिनसे तकनीकी जानकारी और स्ट्रेन उपलब्ध होने की संभावना थी। तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर अन्त में 6-12-1976 को इटली के मैसर्स फार्माफिन के साथ करार किया गया। इस करार पर सरकार की स्वीकृति लेने की शर्त भी थी।

(ग) से (ङ) करार की शर्तों के अनुसार शुल्क का भुगतान एक अपरिवर्तनीय शाख पत्र पर किया जाना था। 60,000 अमरीकी डालर की पहली किश्त करार के लागू होने की तिथि को देय थी और 120,000 अमरीकी डालर की दूसरी किश्त को तकनीकी जानकारी और स्ट्रेन के हस्तान्तरण के साथ सम्बंद्ध किया गया था। सरकार की अनुमति से पहले और दूसरी किश्त का भुगतान 4 फरवरी और 7 जून, 1977 को किया गया था। करार के अनुसार तकनीकी जानकारी के प्रलेख और पेंसिलिन 'जी' पोटाशियम को 21 जून, 1977 को प्राप्त किया गया है। नई प्रौद्योगिकी और स्ट्रेन के कार्यान्वित और स्थापित होने पर पेंसिलिन 'जी' पोटाशियम का उत्पादन प्रतिमाह 63 लाख रुपये तक बढ़ जायेगा। इस कार्य के लिये किसी व्यक्ति को लेने का प्रश्न नहीं उठता।

Production of Fertilizer in M/s. Agro-Culture and Fertilizer, Maroshi Road, Merol, Bombay-59

4837. Shri Ram Naresh Kushwaha : Will the Minister of Petroleum and Chemicals and fertilizers be pleased to state :

(a) whether fertilizers are being produced in M/s. Agro-Culture and Fertilizer, Maroshi Road, Merol, Bombay-59;

(b) if so, the reasons for which the fertilizers are not being supplied to its agents; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

सलेम-बंगलौर लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

4838. श्री पी० बी० पेरियासामी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सलेम बंगलौर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का है, और

(ख) यदि हां, तो कब?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) और (ख) सलेम-मंगलूर मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

खड़गपुर तथा कटक के बीच एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में जहर देने तथा डकैतियों की घटनायें

4839. श्री गणनाथ प्रधान: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे की एक्सप्रैस रेलगाड़ियों में खड़गपुर तथा कटक स्टेशनों के बीच बार-बार जहर देने तथा डकैतियों की घटनायें होती हैं; और

(ख) यदि हां, तो घटनाओं के पश्चात् क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा ऐसी घटनाएं रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) जी हां। 1976 में दो घटनायें हुई थीं एक सरकारी रेलवे पुलिस चौकी, बालासौर पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/328/379 के अधीन 29-6-76 का मामला नं० 61 और दूसरी सरकारी रेलवे पुलिस चौकी, बालासौर पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 328/379 के अधीन 19-7-76 की मामला नं० 69 के तहत 1977 में सरकारी रेलवे पुलिस चौकी, बालासौर पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 328/379 के अधीन 29-5-77 के मामला संख्या 47 के तहत एक घटना हुई थी। पुलिस ने मामला नं० 61 में 5 व्यक्तियों और मामला नं० 69 में 2 व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया था। दिनांक 29-5-77 के मामला नं० 47 की अभी भी पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है ।

(घ) ऐसे अपराधों की रोकथाम के लिये मार्ग रक्षकों की व्यवस्था आरम्भ की गई है और खड़गपुर और कटक के बीच एक्सप्रैस तथा डाकगाड़ियों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत अचानक छापे मारे जा रहे हैं।

Works on conversion of Barabanki-Samastipur line into Broad Gauge held up North Eastern Railway

†**4840. Shri Ugrasen :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the work on conversion of Barabanki-Samastipur railway line on North Eastern Railway into broad gauge line has been held up for want of wooden sleepers;

(b) whether thousands of workers have been rendered unemployed due to the closure of this scheme; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) to (c) The work on the construction of Barabanki-Samastipur gauge conversion project is in full swing and the current year's allotment for the project is Rs. 8 crores. 67,000 wooden sleepers have been received for the project already in the current financial year and more supplies are expected to be received after the monsoon. Seasonal variations in the staff strength are normal on major construction projects.

एक बड़ी उर्वरक परियोजना के लिये टाटा बन्धुओं का प्रस्ताव

4841. **श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा बन्धुओं ने कुछ वर्ष पूर्व एक बड़ी उर्वरक परियोजना का प्रस्ताव किया था परन्तु सरकार ने उसे अनुमोदित नहीं किया था; और

(ख) क्या टाटा बन्धुओं ने अब पुनः अपना प्रस्ताव पेश किया है?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) मैसर्स टाटा कैमिकल्स लि० को मियापुर में एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना करने के लिये 1970 में एक आशय पत्र दिया गया था। आशय पत्र की अवधि को बाद में 31-12-1973 तक बढ़ा दिया गया था। लेकिन पार्टी ने प्रयोजना का कार्यान्वयन नहीं किया और आशय पत्र समाप्त हो गया।

मैसर्स टाटा कैमिकल लि० ने अभी तक प्रस्ताव को पुनर्जीवित नहीं किया है।

Local Train between Palanpur to Disa.

†**4842. Shri Chaudhary Motibhai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) since when the local train running from Palanpur to Disa in Western Railway has been discontinued together with the reasons therefor;

(b) whether Government are aware that as a result of discontinuance of this train there is no other train available in that area for seventeen long hours; and

(c) whether keeping in view the request made by the people, Government propose to reintroduce this train expeditiously and extend it from Palanpur to Mahessana and from Disa to Radhanpur ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) From 1-9-76, due to inadequate offering of traffic and in consultation with the Divisional Railway Users' Consultative Committee.

(b) From Palanpur there is an interval of 15 1/2 hours while from Disa the margin is about 13 hours between two consecutive trains.

(c) No, in view of the poor patronisation of this pair of train.

कोरापुट को पार्वतीपुरम् के साथ जोड़ने के हेतु नई लाइन के लिए सर्वेक्षण

4843. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोरापुट (उड़ीसा) और पार्वतीपुरम (आन्ध्र प्रदेश) को जोड़ने हेतु नई रेलवे लाइन के लिये सर्वेक्षण प्रारम्भ करने के लिये आदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक विभाग ने क्या कार्यवाही की है और अब तक कितना प्रस्तावित वित्तीय परिव्यय जारी किया गया है; और

(ग) सर्वेक्षण कब प्रारम्भ किया जायेगा और अन्तिम मंजूरी के लिये प्रतिवेदन पूरा करने के लिये क्या अन्तिम समय निश्चित किया गया है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) से (ग) कोरापुट से सालुरु पार्वतीपुरम तक एक नई लाइन के निर्माण के लिये प्राथमिक यातायात एवं इंजीनियरी सर्वेक्षण को इस वर्ष बजट में शामिल कर लिया गया है। इस सर्वेक्षण की प्रत्याशित लागत 8 लाख रुपये है और वर्ष 1977-78 में इस सर्वेक्षण के लिये 2 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। यह सर्वेक्षण शीघ्र आरम्भ कर दिया जायेगा। इस सर्वेक्षण के समाप्त होने की लक्ष्य तिथि अभी निश्चित नहीं की गई है।

नौपाड़ा-गुनपुर छोटी लाइन का सुधार

4844. **श्री गिरिधर गोमांगो**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौपाड़ा गुनपुर छोटी लाइन (दक्षिण पूर्व रेलवे) के सुधार के लिये मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) उक्त लाइन के सुधार के लिये अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है और वर्ष 1977-78 के लिये कितनी धनराशि का नियतन किया गया है; और

(ग) क्या पांचवीं योजना की समाप्ति से पहले इस लाइन का पूर्ण सुधार हो जायेगा?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) रेलपथ और पुलों के पुनः स्थापन के लिये 65 लाख रुपये।

(ख) अब तक 23.87 लाख रुपये खर्च किये गये हैं और वर्ष 1977-78 के लिये 4.70 लाख रुपये की राशि आबंटित की गई है।

(ग) जी नहीं।

अधिकारियों तथा उनके आश्रितों को पास जारी करने में असमानता को दूर करना

4845. **श्री शिव नारायण**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे अधिकारियों को दो तरह के एक सफेद (ए) और दूसरा हरा-मानार्थ पास दिये जाते हैं,

(ख) यदि हां, तो इन पासों से क्या क्या लाभ उपलब्ध हो सकते हैं और वे कौन से अधिकारी हैं जो प्रथम श्रेणी 'ए' के पास पाने के पात्र हैं; और

(ग) समाज में समाजवादी पद्धति की सरकारी नीति को देखते हुए इस असमानता को दूर करने तथा सभी श्रेणियों के अधिकारियों के लिये एक ही प्रकार के प्रथम श्रेणी के पास जारी करने के लिये उनका विचार क्या कदम उठाने का है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) जी हां।

(ख) सफेद रंग के प्रथम 'ए' के पास धारी प्रथम श्रेणी और प्रथम श्रेणी वातानुकूल दर्जे के किरायों के अन्तर का 1/3 किराया देकर वातानुकूल दर्जे में यात्रा करने के पात्र हैं, और प्रति वयस्क 70 कि० ग्रा० अतिरिक्त सामान भी ले जा सकते हैं, तथा दूरी के प्रतिबन्ध के बिना मेल गाड़ी में यात्रा-कर सकते हैं। हरे रंग के प्रथम श्रेणी के पास धारियों को ये सुविधायें नहीं दी गई हैं।

(ग) सफेद रंग के प्रथम श्रेणी 'ए' के पासधारियों की कोटि धीरे-धीरे कम होती जा रही है और समय के साथ यह विषमता समाप्त हो जायेगी।

जन-सम्पर्क के पदों पर भ्रष्टाचार रोकने की कार्यवाही

4846. **श्री बटेश्वरहेमरम:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या सभी मंत्रालयों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों की एक बैठक में यह निर्णय किया गया था कि एक निवारक उपाय के रूप में भ्रष्टाचार के मुख्य स्थलों का पता लगाना और यह सुनिश्चित करने के लिये समुचित उपाय करना उपयोगी होगा कि ऐसे स्थानों पर नियुक्त कर्मचारियों को वहां अनिश्चितकाल तक न रहने दिया जाये,

(ख) क्या रेलवे बोर्ड ने भी यह निर्णय किया था कि उन अनुभागों में, जिन्हें जनसम्पर्क करना पड़ता है, क्रमानुसार स्थानान्तरण को एक नियम के रूप में लागू किया जाना चाहिये, और

(ग) यदि हां, तो इलाहाबाद डिवीजन की वाणिज्यिक शाखा में पांच वर्ष से अधिक समय से जन-सम्पर्क के पदों पर कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते): (क) हाल ही में सभी मंत्रालयों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों का कोई सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया है। यद्यपि, फरवरी, 1966 में ऐसा एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक संगठन में भ्रष्टाचार के मुख्य केन्द्रों का निर्धारण किया जाए और ऐसे स्थानों पर नियोजित कर्मचारियों को सेवा की एक निर्धारित अवधि के बाद स्थानान्तरित कर दिया जाये। उस अवधि के बाद रोके रखने के लिये केवल उच्च प्राधिकारियों का अनुमोदन प्राप्त करना जरूरी होना चाहिये।

(ख) 1957 में रेलवे बोर्ड ने यह विनिश्चय किया था कि जन सम्पर्क के स्थानों पर नियोजित कर्मचारियों को हर तीन वर्ष के बाद बारी बारी से बदल दिया जाये। बाद में, 1961 में इस अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन, 1970 में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप, रेल मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों का किसी प्रकार का नेमी आवधिक स्थानान्तरण न करने का विनिश्चय किया था। हालांकि, जिन कर्मचारियों को किसी एक स्टेशन/चौकी पर अधिक समय हो गया हो और जिनकी प्रतिष्ठा सुखद न हो, चयन के आधार पर उनका स्थानान्तरण अभी भी किया जाता है।

(ग) मंडल अधीक्षक कार्यालय, इलाहाबाद की वाणिज्यिक शाखा में दो लिपिक जन सम्पर्क की जगह पर 5 वर्षों से अधिक समय से काम कर रहे हैं। अभी तक उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं मिली है। कुल मिलाकर इलाहाबाद मंडल की वाणिज्यिक शाखा में जन सम्पर्क के स्थानों पर 5 वर्षों से अधिक समय से काम कर रहे अन्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Railway line from Chittorgarh to Kota

†**4847. Shri S. S. Somani :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of times a survey for a railway line from Chittorgarh to Kota in Rajasthan has been conducted indicating the details thereof ;

(b) the reasons for not undertaking the construction on this railway line so far; and

(c) the time by which work thereon is proposed to be undertaken ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) Preliminary Engineering and Traffic Surveys were carried out for construction of a line BG/MG between Chittor-

garh and Kota in 1955-56. Fresh Traffic Survey was carried out in the year 1966 and a re-assessment of the earlier report was carried out in the year 1970.

(b) and (c) The project was not found to be viable. It will not be possible to consider construction of the project at present due to paucity of resources.

तलवाड़ा कस्बा और जवानवाला शहर के बीच ब्राड गेज लाइन

4848. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्यास नदी पर पोंग बांध का निर्माण होने के बाद तलवाड़ा कस्बा और जवानवाला शहर को ब्राड गेज लाइन से जोड़ने के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) तलवाड़ा कस्बे को जवानवाला शहर से जोड़ने के लिये कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जवानवाला शहर में प्लेटफार्म और प्रतीक्षालय के निर्माण का प्रस्ताव

4849. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिये गये विभिन्न अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए उनके मंत्रालय का जवानवाला शहर रेलवे स्टेशन (कांगड़ा घाटी रेलवे) पर प्लेटफार्म और प्रतीक्षालय बनाने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) और (ख) कांगड़ा बेली छोटी लाइन के जवानवाला शहर नामक रेलवे स्टेशन पर रेल पटरी के सतह के बराबर प्लेटफार्म की व्यवस्था पहले से ही है। इस स्टेशन पर अलग से प्रतीक्षालय बनाने का कोई विचार नहीं है। चूंकि यात्रियों की संख्या कम है इसलिये स्टेशन की इमारत के चारों ओर बना हुआ बरामदा यात्रियों के प्रतीक्षा क्षेत्र के रूप में प्रयोग होता है।

ये सुविधायें फिलहाल पर्याप्त समझी जाती हैं।

गोवा, दमन और दीव में पड़ौसी राज्य के उच्च न्यायालय की बैंच स्थापित करना

4850. **श्री एडुआर्डो फैलीरो :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा में पूर्णस्तरीय उच्च न्यायालय स्थापित करने की मांग किन व्यक्तियों और/अथवा संगठनों ने की है; और

(ख) गोवा, दमन और दीव के मुख्य मंत्री के इस प्रस्ताव पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है कि इस संघ राज्य क्षेत्र में पड़ोसी राज्य के उच्च न्यायालय की बैंच स्थापित की जाये?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) गोवा में एक पूर्णस्तरीय उच्च न्यायालय स्थापित करने की मांग निम्नलिखित से प्राप्त हुई हैं :--

(i) गोवा, दमन और दीव प्रदेश कांग्रेस समिति, पणजी, गोवा।

(ii) गोवा, दमण और दीव एडवोकेट्स एसोसिएशन, पणजी, गोवा।

(ख) सरकार को इस बारे में अभी राय कायम करनी है।

Proposal to set up a refinery in Madhya Pradesh

4851. Shri Raghabji : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether the Government of Madhya Pradesh has sent proposal to set up a refinery in the State, and

(b) if so, the broad outlines thereof, the reaction of the Central Government thereto and the progress made in this regard so far ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H.N. Bahuguna) : (a) and (b) The Government of Madhya Pradesh have not submitted any proposal for setting up a Refinery in the State. However, in 1972, the feasibility of locating the North West Refinery in Madhya Pradesh was examined by a team of officers from IOC who had visited the following sites in Madhya Pradesh :—

1. Site No. 1—Near villages Jarerua and Sankh
2. Site No. 2—Near villages Hetampur & Piparia
3. Site No. 3—Near village Deora—Hingana
4. Site No. 4—Near village Badokhar—Mudiya-Kheda on Morena-Sabalpur Road.

The above team did not consider any of the above sites suitable for locating the North West Refinery.

संविधान (41वां संशोधन) विधेयक का प्रारूप तैयार करना

4852. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) संविधान (41वां संशोधन) विधेयक का प्रारूप, जिस रूप में वह पुरःस्थापित किया गया और 9 अगस्त, 1975 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया, किन परिस्थितियों में और किसके कहने पर तैयार किया गया था;

(ख) क्या इस विधेयक को तैयार करने के लिये प्रारूपकार को कोई लिखित आदेश दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) उक्त संशोधन करने के लिये मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के वास्ते प्रायः भेजा जाने वाला नोट और विधेयक का प्रारूप भूतपूर्व विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री महोदय के मौखिक अनुदेशों के अधीन तैयार किये गये थे।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

'बल्क' औषधियों का आयात

4853. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में जिन ऐसी 'बल्क' औषधियों का आयात किया गया जिनका उत्पादन भारतीय कम्पनियों द्वारा पहले ही किया जा रहा है, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय औषध उद्योग ने सरकार को इन आयातों के विरुद्ध अध्यावेदन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उनका आयात जारी रखने के क्या कारण है;

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) 1975-76, 1976-77 (अनुमानित) और 1977-78 (योजनाबद्ध) के दौरान सरणीबद्ध औषधों के आयात के ब्यौरे, जिनका भारतीय क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा भी उत्पादन किया जाता है, संलग्न विवरण पत्र में दिये गये हैं।

(ख) और (ग) भारतीय औषध निर्माता संघ, बम्बई ने हाल ही में एनलजिन के आयात को बन्द करने के बारे में एक अभ्यावेदन दिया है। क्योंकि कुछ लघु उद्योग एकक इस औषध का उत्पादन कर रहे हैं और देश में इस मद की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इन एककों के पास पर्याप्त उत्पादन क्षमता भी बताई गई है। संघ से अनुरोध किया गया है कि वे संबंधित लघु पैमाने के एककों को यह सलाह दें कि वे अपनी क्षमता और वास्तविक उत्पादन के बारे में आंकड़े भेजें ताकि सरकार स्थिति की समीक्षा कर सकें।

विवरण

क्र सं०	प्रपुंज औषध का नाम	सी० पी० सी० के माध्यम से किया गया आयात		
		(आंकड़े मी० टनों में)		
		1975-76	1976-77 (अनुमानित)	1977-78 (योजनाबद्ध)
1.	एम्पीसिलिन एनहाइड्राउस	1	4.5	6
2.	क्लोरोक्विन फोस्फेट	260	290	295
3.	*मेट्रोविडाजोल	..	32	20
4.	इन्डोमथासिन .	1	2	3
5.	इरीथ्रोमाइसीन स्ट्रीएट .	11	4	5
6.	सल्फामेथोक्सी पाइराडाजाइन	5	15	23
7.	*टैट्रासाइक्लीन .	50	65	80
8.	*स्ट्रप्टोमाइसीन . .	20	35	60
9.	*विटामिन बी-1 (एम्यूल ग्रेड)	--	12	25
10.	*विटामिन बी०-2	5	11.25	15
11.	*फेनोबारबिटोन	18	18	28
12.	*एनलजिन	100	130	150
13.	*एमीडोपाइरिन .	55	45	60
14.	काफेन .		20	20
15.	*ओक्सीटेट्रासाइक्लीन			10
16.	सल्फामेथोक्साजोल	..	..	10

*1977-78 के दौरान आई० डी० पी० एल० के माध्यम से वितरण।

Employment of workers by Contractors Associations at Allahabad

†**4854. Shri Jagdambi Prasad Yadav** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether payment of wages to the workers working in parcel section at Allahabad station is made in the presence of the principal employer:

(b) whether it is a fact that contractors' Associations functioning at Allahabad parcel section and godown did not take licence for employing workers on permanent basis under the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 and violated the provisions of the Act; and

(c) if so, the action taken by the Government in this regard so far ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) No.

(b) No Contractors' Association is functioning at Allahabad but the two Cooperative Societies i.e. the Railway Station Porters Co-operative Labour Contract Society Ltd., and the Railway Mazdoor Singh Shram Samiti Ltd., who hold the parcel and goods handling contract respectively have obtained licences under the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970.

(c) The Railway Administration is being advised to ensure that their statutory obligations under the said Act as 'principal employer' of labour employed by the Cooperative Societies are regularly complied with.

Fares Charged from Passengers travelling from Mahendru Ghat to Pahleza Ghat and from Pahleza Ghat to Mahendru Ghat.

†**4855 Shri Ram Vilas Paswan :** Will the Minister of Railways be pleased to state

(a) the distance between Mahendru Ghat and Pahleza Ghat railway stations on N.E. Railways and the fare charged for the same; and

(b) whether it is a fact that the passengers travelling from Mahendru Ghat to Pahleza Ghat are charged fare from Mahendru Ghat to Sonepur and the passengers travelling from Pahleza Ghat to Mahendru Ghat are charged fare from Pahleza Ghat to Gulzarbagh ?

The Minister for Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) The chargeable distance between Mahendru Ghat and Pahleza Ghat Railway Stations is 41 Kms. and the fare for this distance is Rs. 1.65 for Second Class and Rs. 15.00 for First Class.

(b) Yes, because under the agreement with the State Government of Bihar, Railways are permitted to run the ferry service between Pahleza Ghat and Mahendru Ghat for the purpose of through Rail Traffic only and the Railways are not allowed to book bank to bank traffic.

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा ईरान में तेल की खोज

4856. **श्री एस० आर० दामागो :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईरान में तेल की खोज के संयुक्त उद्यम में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने कुल कितना पूंजी निवेश किया है ;

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को कितना तेल प्रति वर्ष अपने हिस्से के रूप में मिल रहा है और यह कब से मिल रहा है; और

(ग) इस तेल का निपटान किस प्रकार किया जाता है।

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा संयुक्त उद्यम में नकद बोनस, अन्वेषण तथा विकास व्यय के रूप में कुल 37.23 करोड़ रुपए की पूंजी लगाई गई है ; यह पूंजी राजस्व व्यय अर्थात् ईरान में अदा किए गये कर और रायल्टी और उत्पादन व्यय आदि के अतिरिक्त है।

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के हाईड्रोकार्बन इंडिया लि० (एच०आई०एल०) नामक इसकी पूर्ण रूपेण सहायक कम्पनी के माध्यम से उक्त उद्यम में 1/6 भाग है और इसी आधार पर

जब से तेल का उत्पादन हुआ है, तब से इसका भाग निम्नलिखित रहा है :--

वर्ष	(परिमात्रा बैरलों में) 1/6 भाग
1969	757846
1970	3387800
1971	4028834
1972	4992000
1973	4111740
1974	3565279
1975	3199353
1976	2863861

(ग) सरकार द्वारा दिये गये निदेशों के अनुसरण में एच०आई०एल० के भाग का निपटान किया जाता है। वर्ष 1969 से 1973 की अवधि के दौरान कोचीन शोधनशाला में परीक्षण करने के प्रयोजनार्थ भारत में लाये गये इसके थोड़े से भाग को छोड़कर बाकी सारे भाग को विदेशी विक्रेताओं को बेच दिया गया था। वर्ष 1974 में कुछ भाग को विदेश में बेच दिया गया था और कुछ भाग को कोचीन में साफ करने के लिए इसी शोधनशाला को बेच दिया गया था। जनवरी/फरवरी, 1976 में उठाया गया तेल विदेशों में बेचा गया था और तब से सारे तेल को इंडियन आयल कारपोरेशन को बेचा जा रहा है।

तेल उद्योग विकास बोर्ड का गठन और इसके कृत्य

4857. श्री एस० आर० दामाणी : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गठित किये गये तेल उद्योग विकास बोर्ड के सदस्य कौन-कौन हैं और उन व्यक्तियों की क्या पृष्ठ भूमि है ;

(ख) इस बोर्ड के क्या कृत्य हैं और इसने अब तक क्या कार्य किया है, और

(ग) इस पर गत दो वर्षों में कितनी राशि खर्च की गई ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) :

(क) 1. अध्यक्ष : रिक्त

सदस्य :

2. श्री वी० वी० वोहरा	सचिव, पैट्रोलियम मंत्रालय।
3. श्री टी० एस० नायर	सलाहकार (शोधनशाला) पैट्रोलियम मंत्रालय।
4. श्री एस० एल० खोसला	एफ० ए०, पैट्रोलियम मंत्रालय (जो वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं)।
5. श्री आर० एन० मलहोत्रा	अपर सचिव, आर्थिक कार्य विभाग (श्री एस० वी० एस० जुनेजा, संयुक्त सचिव, आर्थिक कार्य को उनके स्थान पर नियुक्त किया जा रहा है)।

6. डा० एस० वर्दाराजन	अध्यक्ष, आई पी सी एल ।
7. श्री एन० बी० प्रसाद	अध्यक्ष, ओ एन जी सी ।
8. श्री सी० आर० दास गुप्ता	अध्यक्ष, आई ओ सी ।
9. श्री के० सी० शर्मा	अध्यक्ष एफ सी आई ।
10. श्री एस० एन० घोष	निदेशक, ब्यूरो, आफ पैट्रोलियम तथा रसायन अध्ययन ।
11. श्री यज्ञ दत्त शर्मा	सचिव, आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ।
12. सचिव	रिक्त

(समस्त सदस्य अंशकालिक हैं)

(ख) बोर्ड के कार्य के ब्योरे तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 6 में दिये गये हैं। इनमें वित्तीय सहायता देना और उनके दृष्टिकोण से तेल उद्योग के विकास के लिए प्रोत्साहन देने वाले अन्य उपायों को शामिल किया गया है। बोर्ड द्वारा किये गये कार्यों के ब्योरे लोक सभा के सभा पटल पर प्रति वर्ष रखी जाने वाली ओ०आई०डी०वी० की वार्षिक रिपोर्ट में दर्शाए गये हैं और मंत्रालय के कार्य निष्पादन बजट में भी देखे जा सकते हैं जिसे माननीय संसद सदस्यों को भेजा गया है। 13-1-75 को अपनी स्थापना के समय से 31-3-1977 तक, बोर्ड ने लगभग 129.32 करोड़ रुपए ऋण के रूप में दिये। इसके अतिरिक्त इस अवधि में बोर्ड ने अनुसंधान और विकास योजनाओं के लिए 45.31 लाख रुपये की धनराशि अनुदान के रूप में दी ।

(ग) 1975-76 और 1976-77 के दौरान किये गये खर्च नीचे दर्शाया गया है :—

(लाख रुपयों में)

	1975-76	1976-77	कुल
1. प्रशासन और स्थापना	2.11	5.64	7.75
2. अनुदान	20.31	25.00	45.31
3. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को ऋण	6162.76	5169.00	11331.76
	6185.18	5199.64	11384.82

बहुउद्देश्यीय वितरण केन्द्रों का खोला जाना

4858. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में ऐसे कौन से स्थान है जहां 31-3-77 तक बहुउद्देश्यीय केन्द्र खोले गये थे ;

(ख) इन केन्द्रों को खोलने के लिए क्या मानदंड अपनाये गये हैं ; और

(ग) चालू वर्ष में अतिरिक्त केन्द्रों को खोलने का कार्यक्रम क्या है और शोलापुर जिले शामिल किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) अपेक्षित सूचना दर्शाने वाला विवरण संलग्न है (अनुबन्ध)।

(ख) वर्तमान बिक्री केन्द्रों को बहुउद्देशीय वितरण केन्द्रों में परिवर्तित करने के लिए इनका चयन करते समय, आमतौर पर उन्हीं बिक्री केन्द्रों को तरजीह दी जाती है जो कि ग्रामीण अथवा अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में वितरण सम्बन्धी कार्य सुचारू रूप से चला रहे हैं। इसके अतिरिक्त विचारणीय अन्य मुख्य-मुख्य बातें ये हैं:—सम्बन्धित क्षेत्र में वर्तमान वितरण प्रणाली के अपर्याप्त ; अतिरिक्त व्यापार को चलाने के लिए डीलर को वित्तीय स्थिरता और इच्छा; और बिक्री केन्द्र में पर्याप्त स्थान की उपलब्धता।

(ग) विभिन्न तेल कम्पनियों के वर्ष 1977-78 के दौरान कुल मिलाकर लगभग 266 नये बहुउद्देश्यीय वितरण केन्द्र खोलने की आशा है। वर्तमान स्थिति के अनुसार, इंडियन-आयल कारपोरेशन लि० का शोलापुर में एक बहुउद्देश्यीय वितरण केन्द्र है। हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लि० और भारत शोधनशाला लि० का शोलापूर में चालू वर्ष के दौरान एक-एक बहुउद्देश्यीय वितरण केन्द्र खोलने की योजना है।

विवरण

विभिन्न तेल कम्पनियों द्वारा 31 मार्च, 1977 तक जिन स्थानों पर बहु-उद्देशीय वितरण केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं उनके नाम दर्शाने वाला विवरण।

क्रमांक	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	स्थानों का नाम
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	मंदीपीता; गुजराबाद; अनन्तपुर रोड कल्याण डूंगा; अकिदीवू ; प्रोदातुर; वंगारपायम; सी बी रोड, टांडा पतरी; जी एन टी रोड राबूनापालम पेवीअर, मेडवाल कोयलाकांताला ; गोलाला—मामदावा; रामाचन्द्रापुरम; पालाकोले; जंदान; नैलोलेपातिम, चिनूर, करीम गंज, लाखिपटिपट, येलारेड्डी, हनुमान सादाशिवपित कावरडी, पुतुरू।
2.	असम (एन० ई० राज्य सहित)	विश्वनाथ चराली; ओगाघाट; इ-फल इटानगर; बारपिता रोड
3.	विहार	किच्छुस; जमन. कासिंग हजारीबाग; ममुआ; चांटपतला; एरिराज; वघाट; मुजफ्फरपुर स्टेशन; पिपराकोटली; मोतीहारी रीजयूअल रोड; पी० ओ० कुरो पालीगंज; सिघासवार; मादीपुरा सहारसा; पो०ओ बुन्दू; नगरूनतारी, माहुआ, तकड़ा, सुपाउल, शेखपुरा, गोविन्दपुर, पुमरो, मिदरोल ड्रेटा; लोहारडागा; गुमला; धालबुमगढ़; चान्दवा।
4.	गुजरात	माकतुमपुर; थालाला; कोदीनार; मेहमाना; गनदबी; वल्लमीपुर वंगोल, रोड, धोला; सरधार; कापी ; दादरा तथा नगर हवेली; एच०एम० रोड; जसडां; कलसारी रोड वासवाडा; रांडिज: झोरड; भलोदा; रंगोला; वगसारा; देसनगर; उंजा; एमोद; कुकरवादा; तारापुर; गममोई; दामोई; विचाराज; मंगरोल; माधापुर; बेबरा; वचन; सिदपुर मेहसाना जिला; पादरा जिला बड़ौदा; ओलडपुर, जिला सूरत; पिथापुर; नरोल; वेद, कालवाद; अदवाना; बालवा; जागुदान; साथाम्बा; कोदीनार; बरेजा; ढोलका; कानोदर; पारडी; मोरकाडा किमराना; छार्पुथी।

1	2	3
	5. हरियाणा	भालगढ़; गोहाना रोड; सोनीपत; महिन्द्रगढ़; करनाल-कैथल रोड; अम्बाला रोड; कैथल; इसमायलाबाद; रतिया रानियां; सढौरा; एलनाबाद; गन्नौर; कलायत; रादौर; टोहाना।
	6. हिमाचल प्रदेश	पालमपुर; धाम्रोकन।
	7. जम्मू तथा कश्मीर	चोगुल।
	8. करनाटक	कोलीगल; रायबाग; गंगावती मैसूर मेरीरा रोड, पोस्ट वाइला कुप्पा: गो काक; टी० नरसीपुर; सिरसी एन० कानाला जिला; दीवानाहाल्थ; काटी, कलपनाहल्ली; गौविदनुर; सिहरनपुर वालुमपट्ट; कोलीगल; हंगलू; कमलापुर।
	9. केरल	कोनामकुलम; पैराम्बुर; मिलूगंगद कोजिनजनपारा; पी० ओ० छेलाकारा; त्रिचूर; पी०ओ० कटाकरा; वन्दूर; कोयम्बूर; पी०ओ० पुनतूर; मादाकंकिरी शर्टोली; कंचगाद; इरिटी; नोलेश्वर; पैराम्बर; पुक्कुज, इलापुल्ली; त्रिपुनोपुरा; एलाथुर।
	10. मध्य प्रदेश	चाकघाट; कलना; शक्ति विलासपुर; बेरी; बेरी होसंगाबाद; बेदनवार; बड़ौदा; पाली रोड, शवोपुरकलान; आन्जाद; भिण्ड पिपलिया मंदसौर; दावरा; दालोदा; सोहागपुर; बिना; सन्दुरा वरवाहा; गंज वसौदा।
	11. महाराष्ट्र	कुदीतरी; नादीफ़ाता; कोटल; मनौर; वादा; शिरोलिका; सतना; कोदाली; एकोट; खेद; वारुद; मालकापुर; पिमालनेर; पिम्पलगांव कानाद; दियोलाली कैम्प; युल; मंदुरवार; तासगांव चेमूर; पादगिगांव; शोहादा; सामगली; उगरेर; चिकजी; छिदवारा रोड, नागपुर; रायपुर रोड; लोनी; कोपुरवोल; कासीगांव; लागयागांव; काउसा; कारवे; शाहुनगर बिदरी; चिचवाद; नासीराबाद; चांदनजीरा; मालीगांव; खापरगांव, पाहुर।
	12. उड़ीसा	असका; बेपादा मायूरभंज; सीधा; पूरी; चोदवार; एसका रोड; पी०ओ० वेदारामपुर, जिला-गंजम; पी०ओ० का सिंगा; पी०ओ० वेदव्यास; भांजा नगर; रुआ-गादा; महापतरा जाठी; बेलसोर; पी०ओ० वारागढ़; पो०ओ० जाटपुर टाउन, जिला कटक; एन एच-42 बनारपाल; जूनागढ़; कुचंदा; विरमीतरापुर।
	13. पंजाब	खुवन, जिला, फ़िरोजपुर; गंडियाला गुरु, अमृतसर; मुकेरया, जिला–होशियारपुर; झांडू सिंघार, जिला––जलन्धर; मलौट; जिला फ़रीदकोट, अमृतसर, बटाला, बवापुराना, लाखनवाली, कोट-इसे-खान सैला खुर्द; नोट फ़ती; बंगा; वेगोवा; वरनाला; नाकोदार; दाउन; इलरु; कोठा वागन;
	14. राजस्थान	ताकागढ़; चोमू तहसील-अमर; सुरतगढ़; वेहरार; खेतरी, जिला झुंझनूं वेरी, भरतपुर; निम-का-थाना; गंगावावा; वैयद; वागरू, जिला–जयपुर; माहुआ-गँधावार; तिनवारी, जिला : जोनपुर विलवा समीप जयपुर, जयपुर के नजदीक; विनवान; रामसीन; जालोर;

1	2	3
		माथानिया जयपुर जिला; श्रीमहावीरजी; मारवार-वागरा; पहाड़ी, जिला भरतपुर; ग्रहोर, जिला-जालोर; पहाड़ी जिला भरतपुर; एहोर, जिला जालोर; संदराग्रो, जिला पाली; सियाला, जिला जोधपुर; भीलवाड़ा; दराह ;
15.	सिक्कम	जोनथांग
16.	तमिलनाडु	कुनाथाई; एम डी यू रोड, उसी लामपत्ती साउथ एरकोट जिला; चुगुन, एन० एरकोट जिला पीरवयूरान तंजावूर जिला; कोदार-मुण्डी; गोदी रोड कानाथाके, दिवूर; वाटाली गुनदू; एरनयंगी तंजाव्यूर जिला–इडापाडी, सेलम जिला; तिरटानी; ज्यानकोंडीन निरतानम; जया-डीन, तिर्ची; पालवालायम; मदुराई; नामागिरीगेट सालिय जिला–मूनायलगुराज पेट, एस एरकोट जिला; काला कारिची; तुदीयालूर; एवानाशी; मामान्दुर; एम्मापेट; गुददूलोर मेदानूर; वालीयर; कुलीतालाई ;
17.	उत्तर प्रदेश	नवाव गंज; खलियाबाद; भितारिया, जिला : बाराबंकी; कोसी कलान, जिला–मथुरा; गजरौला, जिला–मुरादाबाद; रामराज; हत्ता, जिला–देवरिया; लछीपुर; दो हरियाचट; मनौरी क्रासिंग वसती; नैनीताल रोड, बेहरी, जिला–बरेली; शामली; हमीरपुर रोड, कानपुर; जी०टी० रोड, चिवरामाऊ; लाल गंज, जिला–रायबरेली; सितारगंज, जिला–नैनीताल; उत्तराउला, जिला–गोंडा; बाराबंकी; बारौत; कायमगंज; कोन्ध, बिलासपुर, ग्रतरौली बदायूं, चरतवाल, नकर मण्डी–धनसुरा, हंसरिया बसती, इटाला सहारनपुर, चारीचौरा, खैर, फ़तहपुर सीकरी, गंगांव, घनोरा मण्डी, हँसनपुर, जोनपुर शिवपुर, मरीबाजार, बरहाट, नीगढ़ खाढ़ेगढ़, सरोजनी नगर, नौबतपुर, मुगलसराय, गोंडा, बिसवान मजबोला, सीतापुर रोड, लखनऊ, मिथकुर, तोरा, सादाबाद, चाकिया, ग्रत्तारा, पालिया, शाहबाद पुखराइन।
18	पश्चिम बंगाल	वसीरहाट सैनपारा, पो०ग्रो० बरसात, पो०ग्रो० ग्रन्दौगा, पो०ग्रो० हंसनाबाद पो०ग्रो० लाहाटी, पो०ग्रो० दासगढ़, पो०ग्रो० जामरवारिया, पो०ग्रो० बोईनोही, पो०ग्रो० बेलपुर कुरहाट, पो०ग्रो० ग्रयोध्या हाट, पो०ग्रो० बल्लबल चांदी, पो०ग्रो० मधारीहाट पो०ग्रो० माल, पो०ग्रो० पागपुर जी टी ग्रार, सठवाया पो०ग्रो० नक्सलवाडी, न्यू कूच बिहार टाउन, पो०ग्रो० सहाना, बाजार, चैकपुरोहित, पो०ग्रो० गुसकुरा, पो०ग्रो० लोधलीं, बुनमादपुर, टी०ए० रोड रायगंज पो०ग्रो० दुलयन, इसलामपुर, लक्षद्वीप, दुवारापुर, पो०ग्रो० घसोलपुर, कंचरपारा, विजयराम वर्दवान, ममारी बर्दवान, मधुवंगकूचबिहार मायानगरी, मावनगर, सोदीपुर, मोगरा, कोलाघाट, तमलुक, कृष्णनगर, मालदा, रानीहटो, मामारी, बनारहट ।
19.	दिल्ली	घज्सा
20.	गोआ	कलानगोटा
21.	ग्रंडमान तथा निकोबार	पोर्टब्लेग्रर

Completion of new Railway Lines during current Five year Plan in Rajasthan

†**4859. Shri S.S. Somani :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have received any proposals from the Government of Rajasthan for laying and compliting new Railway lines during the current Five year Plan;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the reaction of the Central Government thereto ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) Yes.

(b) The following proposals for construction of new railway lines in Rajasthan have been received from the State Government of Rajasthan from time to time, during the Fifth Plan period :—

1. Chittorgarh-Kota new B.G. line.
2. Banswara-Ratlam new M.G. line.
3. Shri Kolayatji-Pholodi new M.G. line.
4. Sardarshahr-Hanumangarh direct link.
5. Sardarshahr-Sadulpur via Taranagar.
6. Raisinghnagar-Anoopgarh-Chattargarh- Bikaner-Kolayat-Phalodi.
7. Hanumangarh-Rawatsar-Sardarshahr-Ratangarh-Fatehpur.
8. Gharsana-Naxhna-Ramgarh-Jaisalmer link.
9. Phalodi-Nachna.
10. Toda Rai Singh-Deoli-Jahajpur-Shahpura-Mandal rail link.

(c) Construction of Dabla-Singhana line falling in Rajasthan has already been completed during the 5th Plan. No other new line is at present under construction or has been approved for construction in Rajasthan.

Surveys have recently been completed or are in progress for the following new line in Rajasthan :—

1. Ratlam-Banswara BG new line (95.13 Kms., cost Rs. 34.26 crores)

Surveys have been completed and reports are under examination.

2. Nathdwara-Falna new MG line (190 Kms.)

Engineering-cum-Traffic Survey is in progress.

3. Bikaner-Chattargarh new M.G. line (80 Kms.)

Preliminary Engineering-cum-Traffic Survey for a new MG line from Bikaner to Chattargarh which will serve Rajasthan Canal Area has been included in the current financial year's budget.

"Progess Drilling in Sume-ki Tali Near Jaisalmer"

4860. Shri S.S Somani :

Will the minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be Pleased to state :

(a) the progrees so made so far in deep drlling in Sumer-Ki-Tali near Jaisalmer; and

(b) the prospect of finding oil in this structure and the time by which the results of drilling will be known ?

ANSWER

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna : (a) and (b) : The two wells drilled at Sumarwali Tali structure did not on testing, yield any oil. The prospect of finding hydrocarbons there is very low.

बाम्बे हाई के तेल कूपों को बम्बई के साथ जोड़ने की योजना

4861. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** ; **क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार की बाम्बे हाई और बेसिन के तेल कूपों को पाइप लाइन द्वारा बम्बई के साथ जोड़ने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है और इस कार्यक्रम पर कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(ग) इसके कब तक पूरी होने की संभावना है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां, महोदया;

(ख) बाम्बे हाई और बेसीन के कूपों से समुद्र के अन्दर बिछी पाइपलाइनों के माध्यम से ऊरान स्थित तटीय टर्मिनल को तेल और गैस ले जाई जाएगी जहां कि तेल स्टेबिलाइजर टेंक तेल स्टोरेज टैंक और गैस फ्रैक्शनेशन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। गैस जब अलग की जाएगी तो हैवी फ्रैक्शन, एल पी जी, पैट्रो-रसायन संभरण सामग्री और अवशिष्ट मेथेन पैदा करेगी। हैवी फ्रैक्शन अशोधित तेल के साथ मिला दी जाएगी। एल पी जी और अन्य धाराएं पृथक पाइप लाइन (लाइनों) के माध्यम से ट्राम्बे को भेज दी जाएगी। इन सब पाइप लाइनों पर कुल अनुमानित परिव्यय लगभग 219 करोड़ रुपए का होने की संभावना है।

(ग) मई, 1978 तक ।

कम्पनी कानून बोर्ड द्वारा किन्हीं कम्पनियों को जारी किये गये आदेश

4862. **श्रीमती मृणाल गोरे** : **क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम्पनी कानून बोर्ड ने किन्हीं कम्पनियों को मारुति लिमिटेड के शेयर खरीदने के आदेश दिये थे ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे आदेश, कितनी कम्पनियों को दिये गये थे; और

(ग) क्या ऐसे आदेश देने वाले अधिकारियों का हाल में स्थानान्तरण किया गया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, जो किसी अन्य निगम निकाय के हिस्सों में, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1 की धारा 372) में वर्णित प्रतिशत से अधिक का नियोजन करने की आकांक्षा करती है, के लिए केन्द्रीय सरकार के अनुमोदनार्थ एक आवेदन-पत्र देना अपेक्षित है। कम्पनी कार्य विभाग इस प्रकार के आवेदन-पत्रों पर, इस सम्बन्ध में विहित मार्गदर्शक नियमों के अनुसार गुणावगुण के आधार पर विचार करता है। विभाग किसी अन्य कम्पनी को किसी दूसरी अन्य कम्पनी के हिस्सों में नियोजन करने के लिए कोई स्व-प्रस्ताव से परामर्श नहीं देता । अतः विभाग द्वारा मारुति लिमिटेड के हिस्से खरीदने के लिए किसी कम्पनी को कोई अनुदेश प्रेषित नहीं किये गये थे।

(ख) तथा (ग) उत्पन्न नहीं होते ।

बस्सेइन तेल क्षेत्र से पाइप लाइन डालने पर विश्व बैंक ऋण का उपयोग

4863. **श्रीमती मृणाल गोरे :**

डा० बापू कालदाते :

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक द्वारा हाल में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को दिये गये ऋण का बस्सेइन तेल और गैस क्षेत्र से पाइप लाइन के निर्माण पर खर्च करने का सरकार का विचार है ;

(ख) विश्व बैंक ने ऋण के लिए क्या शर्तें लगाई हैं ;

(ग) क्या पाइप लाइन बनाने की योजनाएं पूरी हैं; और

(घ) पाइप लाइन डालने के लिए ऋण की कितनी राशि का उपयोग किया जायगा तथा क्या पाइपलाइन के जरिए गुजरात में गैस लाने का विचार है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां, बम्बई हाई के चरण-III में किये जा रहे निर्माण कार्य के लिए विश्व बैंक द्वारा दिए गये 150 अमरीकी डालर का ऋण बम्बई हाई और बेसीन के उत्तर में स्थित अपतटीय क्षेत्रों के बीच अन्य बातों के साथ-साथ समुद्र के अन्दर पाइपलाइनों के बिछाने में खर्च किया जायेगा ;

(ख) इसमें से निकाली हुई धनराशि पर वार्षिक ब्याज की 8.2 प्रतिशत की दर से तथा न निकाली गई धनराशि पर 1 प्रतिशत के 3/4 के बराबर वार्षिक दर से बचनबद्ध प्रभार के रूप में लिया जाता है और ब्याज तथा बचनबद्ध प्रभार अर्द्ध-वार्षिक दर से अदायगी की जाती है। मूलधन राशि को 1 जनवरी 1981 से आरम्भ करके 1 जनवरी 1997 तक 4,410,000 अमरीकी डालर की समान अर्द्ध-वार्षिक किस्तों में लौटाया जाएगा तथा इसकी 4,470,000 अमरीकी डालर की अन्तिम किस्त 1 जुलाई 1997 को लौटाई जाएगी।

(ग) जी, हां ।

(घ) 70 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण पाइपलाइन बिछाने के लिए है। दक्षिण बसीन से गुजरात तक एक गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए सम्भावी अध्ययनों को आरम्भ किया जा रहा है जिन्हें मार्ग में दोनों राज्यों के लिए एसोसिएटेड तथा गैर-एसोसिएटेड दोनों प्रकार की गैसों के प्रवाह को नियमित करने की दृष्टि से बम्बई हाई उत्तर बसीन-ऊरान गैस पाइपलाइन के साथ आन्तरिक रूप से जोड़ दिया जायेगा।

मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (रेलवे), कलकत्ता के सिविल ठेकों को कार्यान्वित करने वाली विदेशी फर्म

4864. **श्री रामानन्द तिवारी : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेडियो फाउंडेशन इंजीनियरिंग लिमिटेड नाम की एक विदेशी कम्पनी सरकारी क्षेत्र के अनेक उपक्रमों के संरक्षण के अधीन मैट्रोपालिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (रेलवे), कलकत्ता के विभिन्न सिविल ठेकों को कार्यान्वित कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो यह विदेशी कम्पनी इस प्रोजक्ट के कितने सैक्शनों पर कार्य कर रही है और किन शर्तों पर ;

(ग) क्या उन्हें पता है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी कम्पनी को इस प्रकार नियुक्त करने पर रोक लगाई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) से (घ) विवरण संलग्न है।

26-7-1977 को लोक सभा में श्री रामानन्द तिवारी द्वारा पूछे जाने वाले अतरांकित प्रश्न सं० 4854 के उत्तर से सम्बन्धित विवरण।

(क) से (घ) महानगर परिवहन परियोजना (रेलवे) कलकत्ता के सिविल इंजीनियरी ठेके विदेशी फर्म मैसर्स रेडियो फाउंडेशन इंजीनियरिंग लि० कम्पनी सीधे अथवा उप-कांन्ट्रेक्टर के रूप में नहीं दिए गये हैं। लेकिन मैसर्स रेडियो फाउंडेशन इंजीनियरिंग एण्ड हजरत एण्ड कम्पनी से निर्मित फर्म की भारतीय भागीदार फर्म मैसर्स रेडियो हजरत को, इसके ठेके दिये गये हैं। अब तक रेडियो हजरत फर्म को व्यक्तिगत रूप से, 1.1 करोड़ और अन्य दो भारतीय फर्मों के साथ सामूहिक रूप से कुल मिलाकर लगभग 5 करोड़ रुपये के मूल्य के दो अन्य खण्डों के ठेके दिये गए हैं। दो अन्य खण्डों पर डायाफ्रेम वालिंग कम्पोनेंट कार्य के लिए रेडियो हजरत फर्म दो सरकारी संस्थान उपक्रमों मैसर्स एन०पी०सी०सी० और मैसर्स एन०बी०सी०सी० के उप-ठेकेदार के रूप में कार्यरत हैं।

कलकत्ता भूगत रेलवे परियोजना में रेडियो हजरत डायाफ्रेम वालस जिनका व्यापक रूप से उपयोग हो रहा है के विशेषज्ञ हैं।

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा भारतीय भागीदार फर्मों की नियुक्ति पर लगाए गए किसी भी प्रतिबंध की रेल मंत्रालय को जानकारी नहीं है।

जी० टी० और तमिलनाडु एक्सप्रेस में विक्रेता

4865. **श्री पी० राजगोपाल नायडु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जी० टी० और तमिलनाडु एक्सप्रेस में खान-पान सेवा के लिए विक्रेता नियुक्त किये जाते हैं, और

(ख) पहले की भांति स्थाई कर्मचारी नियुक्त न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) और (ख) : ग्रेंड ट्रंक और तमिलनाडु एक्सप्रेस गाड़ियों पर स्थायी और कमीशन प्राप्त अर्थात दोनों प्रकार के बैरों की नियुक्ति की गई है। बैरों को प्रोत्साहन देने तथा यात्रियों को कुशल सेवा प्रदान करने के लिए रेल खान-पान एवं यात्री सुविधा समिति की सिफारिश के अनुसार बैरों की नियुक्ति कमीशन के आधार पर की जाती है।

राजभाषा खंड

4866. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक राजभाषा खंड स्थापित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) इसके क्या कार्य हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) जी हां।

(ख) 1 अक्टूबर, 1976;

(ग) वे कृत्य जो नीचे दिए गए हैं और जिनका निर्वहन राजभाषा विधायी आयोग द्वारा किया जा रहा था, राजभाषा खंड को सौंपे गये हैं :--

(i) यथासंभव सभी राज भाषाओं में प्रयोग के लिए एक प्रामाणिक विधि शब्दावली तैयार करना और उसे प्रकाशित करना ;

(ii) सभी केन्द्रीय अधिनियमों और राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों और विनियमों के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ तैयार करना;

(iii) किसी केन्द्रीय अधिनियम या राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश या विनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों, विनियमों और आदेशों के प्राधिकृत हिन्दी पाठ तैयार करना;

(iv) केन्द्रीय अधिनियम और राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों और विनियमों का राज्यों की अपनी-अपनी राजभाषाओं में अनुवाद और किसी भी राज्य में पारित अधिनियमों और प्रख्यापित अध्यादेशों के उस सूरत में जिसमें कि ऐसे अधिनियमों या अध्यादेशों के पाठ हिन्दी से भिन्न भाषा में हैं, हिन्दी में अनुवाद कराने का प्रबन्ध करना; और

(v) अन्य ऐसे कर्तव्यों का पालन करना जो समय-समय पर भारत सरकार द्वारा सौंपे जाएं।

आसाम के उपरि क्षेत्रों में तेल की खोज के लिए स्थापित कम्पनी

4867. **श्री पी० राजगोपालन नायडू** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के उपरिक्षेत्रों में तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज के लिये कोई कम्पनी बनाई गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उस कम्पनी का नाम क्या है; और

(ग) वर्ष 1976-77 के दौरान इस कम्पनी ने क्या कार्य किया ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां।

(ख) आयल इंडिया लिमिटेड।

(ग) 1976-77 के दौरान उक्त कम्पनी ने 3085 मि० टन अशोधित तेल का उत्पादन किया था जो कि डिगबोई, गोहाटी तथा बरौनी स्थित शोधनशालाओं को सप्लाई किया गया था। प्राकृतिक गैस एफ सी आई, ए एस ई वी तथा अन्य उप भोक्ताओं को सप्लाई की गई थी। इसने अपने रिआयत प्राप्त क्षेत्रों में अन्वेषी/विकास कार्य जारी रखा। 8 कुएं पूर्ण रूप से तथा 2 कुएं आंशिक रूप से कुल 32,606 मीटर की गहराई तक खोदे गये थे। इसकी कच्चे तेल की पाइप लाइन की क्षमता में विस्तार करने और दुलिया जन में एक नये बिजली संयंत्र की स्थापना सहित इसकी योजनागत योजनाओं के कार्य को भी जारी रखने गया था।

कर्नाटक में पंजीकृत कम्पनियां

4868. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम्पनीज अधिनियम के अन्तर्गत कर्नाटक राज्य में इस समय कितनी कम्पनियां पंजीकृत हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इन कम्पनियों को ऋण दिये हैं और यदि हां, तो अब तक दिये गये ऋण की राशि कितनी है ;

(ग) क्या इनमें से कुछ कम्पनियां जाली पाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) 31-3-1977 तक, कर्नाटक राज्य में कार्यरत कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत शेयरों द्वारा लिमिटेड, 1978 कम्पनियां थीं।

(ख) वर्ष 1974-75 के लिए संघ सरकार के "फाइनेंस एकाउन्ट्स" में नवीनतम प्रकाशित के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने इन कम्पनियों में से चार को अग्रिम ऋण दिये हैं। इनमें से तीन सरकारी कम्पनियां हैं और एक अर्थात् ईस्ट वेस्ट होटल्स लिमिटेड गैर-सरकारी कम्पनी है।

इन चार कम्पनियों के विषय में 1974-75 के "फाइनेंस एकाउन्ट्स" में यथा प्रकाशित ऋण का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

किसको ऋण दिया गया	31-3-75 को अधिशेष राशि		शीघ्रातिशीघ्र अवधि जिसके लिए बाकी राशि
	मूल	ब्याज	
			(लाख रु० में)
1. हिन्दुस्तान मशीन्स टूल्स लि०, बंगलौर	150.95	2.20	1973-74
2. तुगंभद्रा स्टील प्रोडेक्ट्स लिमिटेड, कर्नाटक	11.57	5.27	1973-74
3. भारत गोल्ड माइन्स लि० ओरगम, कर्नाटक	26.83	21.65	1973-74
4. ईस्ट वेस्ट होटल्स लिमिटेड, बंगलौर . . .	..	1.20	1974-75

(ग) इनमें से कोई कम्पनी जाली नहीं है।

(घ) उत्पन्न नहीं होता।

पेट्रोलियम का आयात

4869. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पट्रोलियम का आयात किन-किन देशों में किया जाता है और उसकी क्या मात्रा है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : वर्ष 1977 में कच्चे तेल के आयात हेतु निम्नलिखित निश्चित व्यवस्थाएं की गयी हैं :—

स्रोत	मात्रा मिलियन मी० टन में
ईरान	3.5
ईराक .	2.0
यू० ए० ई०	1.0
सोवियत संघ	1.0

स्त्रोत	मात्रा मिलियन मी० टन० में
मिस्त्र	0.30
साऊदी अरब . .	1.1
ईरान रोस्तम (क्रूड)*	0.5
अरबी क्रूड (एच० पी० सी० एल० के लिए एक्सान के माध्यम से हिन्दुस्तान पैट्रोलियम शोधनशाला) . . .	1.4
ईरान से (मद्रास शोधन) के लिए डेरियस क्रूड	2.6

*ईरान में संयुक्त उद्यम ईमीनेको (ईरानियन मैरीन इण्टरनेशनल आयल कम्पनी) में हाई-ड्रोकार्बन्स लिमि०) ओ एन जी सी के सहायक कम्पनी का भाग भी सम्मिलित है।

Ticketless Travel

†**4870. Shri Ishwar Choudhary :**

Shri G.Y. Krishnan :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred by the Railways on checking of ticketless travellers during the last three years; and

(b) further steps being taken by Government to check ticketless travel in future ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

(b) A statement giving the information is attached.

Statement

Ticketless travel during the last three years

The ticket checking organisation on Railways consists of :—

(i) Stationary Ticket Collectors who are posted at stations for manning the gates. They check the tickets of passengers entraining and collect the tickets of those detraining at their stations; and

(ii) Travelling Ticket Examiners who check the tickets of passengers in running trains and work on their respective sections to prescribed programme.

Besides general checks by these staff, the following steps are taken to check ticketless travel :—

(1) Special massive checks against ticektless travel are being conducted by mobilising a large force of ticket checking staff, Railway Protection Force, Government Railway Police and local police personnel under supervision of senior railway officers.

(2) Joint drives against ticketless travel in co-ordination with the State Governments.

(3) Frequent concentrated surprise checks, especially by moving the checking parties accompanied by Railway Protection Force/Police and Railway Magistrates by road transport.

(4) Incognito checks by travelling ticket examiners in plain clothes.

(5) Replacement checks by headquarters and divisional ticket checking squads by intercepting the trains in mid-sections.

(6) Deployment of ticket checking staff of one railway system for ticket checking on another system.

(7) Educative propaganda against ticketless travel is carried out among the travelling public particularly among the student community.

Conversion of Amla-Parasia passenger train into Parasia-Betul Passenger Train

†**4871. Shri Subhash Ahuja :**

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government propose to convert Amla-Parasia passenger train in Madhya Pradesh into Parasia-Betul passenger train; and

(b) if so, by what time ?

The Minister of Railways (prof. Madhu Dandavate) : (a) No.

(b) Does not arise.

एन० पी० के० उत्पादन के बारे में अनुमान

4872. **श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में एन० पी० के० का कितना उत्पादन होने का अनुमान है, और

(ख) गत वर्ष की तुलना में यह कम होगा अथवा अधिक ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) 1977-78 के लिए उत्पादन अनुमान और 1976-77 के दौरान वास्तविक उत्पादन नीचे दिये गये हैं :--

(लाख मी० टनों में)

	1977-78 के लिए अनुमान	1976-77 में वास्तविक उत्पादन
नाइट्रोजन	22.00	19.00
फास्फेट	7.20	4.80
पोटाश ($के_2ओ$) का देशी उत्पादन नहीं है।		

नाइट्रोजन उर्वरक की उत्पादन लागत

4873. **श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे** : : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने अन्य प्रमुख देशों की तुलना में हमारे देश में नाइट्रोजन उर्वरक की उत्पादन लागत का कोई तुलनात्मक अध्ययन किया है। ताकि हमारे संयंत्रों की कार्यक्षमता में सुधार लाने तथा नवीनतम टेकनोलौजी अपनाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा सके और इस प्रकार सरकार हमारे किसानों को अपेक्षाकृत सस्ते मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध करा सके ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : देश में नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों की उत्पादन लागत का अध्ययन सरकार द्वारा श्री एस० एस० मराठे की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा किया गया है। तथापि दूसरे देशों में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों की उत्पादन लागत के आंकड़े उस रूप में उपलब्ध नहीं हैं, जिससे हम उनकी तुलना भारत में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों की उत्पादन लागत से कर सकें। पूंजीगत लागत की भांति कच्चे माल की लागत में भी, विभिन्न प्रकार के वित्तीय संबंधी शुल्कों के कारण अन्तर है।

सरकार का निरंतर यह प्रयास रहा है कि निजी विद्युत जनन एककों की स्थापना करके कार्य-कुशलता में सुधार किया जाए और क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जाए, ताकि देशीय उत्पादन में वृद्धि और लागत में कटौती को ध्यान में रखते हुए स्थित विद्युत सप्लाई, कठिनाइयां दूर करने और नवीकरण करने आदि को सुनिश्चित किया जा सके।

भारतीय उर्वरक उद्योग में प्रौद्योगिकी विकास विश्व के प्रौद्योगिकी विकास के साथ साथ चल रहा है और हमारा सदा यह प्रयास रहा है कि हमारी आवश्यकताओं और संचालन की स्थिति के अनुरूप आधुनिकतम प्रौद्योगिकी को अपनाया जाए।

'फीड स्टाक' के रूप में कोयले के आधार पर उर्वरकों संयंत्रों की स्थापना

4874. **श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे** : क्या **पैट्रोलियन तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'फीड स्टाक' के रूप में कोयले के आधार पर कितने उर्वरक संयंत्र स्थापित किये जा रहे हैं;

(ख) नैपथा, कच्चे तेल अथवा गैस की तुलना में 'फीड स्टाक' के रूप में कोयले से नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों की उत्पादन लागत क्या हैं; और

(ग) चूंकि विश्व में कोयले पर आधारित सयंत्रों से अमोनिया अथवा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के निर्माण की प्रौद्योगिकी भली भांति सिद्ध नहीं हुई है इसलिए इन संयंत्रों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि दुर्गापुर उर्वरक संयंत्र के अनुभव की पुनरावृत्ति न हो, सरकार क्या पूर्वोपाय कर रही है।

पैट्रोलियन तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ग) इस समय रामागुण्डम और तालचर में कोयले पर आधारित दो उर्वरक संयंत्रों में से प्रत्येक को 152 हजार मी० टन नाइट्रोजन की क्षमता के साथ कार्यान्वियन किया जा रहा है। कोरवा परियोजना, जिसका भी कार्यान्वियन आरम्भ किया गया था, गति संसाधनों की कठिनाइयों के कारण धीमी कर दी गई है। उसी आकार और उसी प्रौद्योगिकी पर आधारित एक संयंत्र का दक्षिण अफ्रीका में परिचालन हो रहा है। मैसर्स कूपर्स, जो दक्षिण अफ्रीका संयंत्र के लिए सामान्य टेकेदार हैं, तालचर और रामागुण्डम के संयंत्रों में क्रिटीकल कोल गैसीफिकेशन अनुभाग के लिए भी ठेकेदार हैं। दक्षिण अफ्रीका संयंत्र को आरम्भ करने और उसके संचालन में कठिनाईयां, जहां तक हमें पता हैं, वे भारत में न दुहराई जाएं, को सुनिश्चित करने के उचित उपाय उठाए गए हैं। दो कोयले पर आधारित संयंत्रों के कार्य निष्पादन और आरम्भ करने को निकट से देख रेख करने के लिए भी उपाय किए जाएंगे ताकि समस्याओं का पता लगाया जाए और उनको दूर करने के लिए उचित औपचारिक कदम उठाए जाएं।

(ख) कोयले पर आधारित उर्वरकों के उत्पादन की वास्तविक लागत का तब पता लगेगा जब कोयले पर आधारित संयंत्र कार्य करने लगेगें। तथापि, श्री एस० एस० मराठे की अध्यक्षता में गठित उर्वरक मूल्य समिति ने तालचर और रामागुण्डम में निर्माणाधीन दो कोयले पर आधारित संयंत्रों के बारे में प्रक्षेपण लागत दी हैं। इन अनुमानों से यह पता लगता है कि वर्तमान लागत, संभरण सामग्री के रूप में कोयले पर आधारित उर्वरकों के उत्पादन की लागत से यदि संयंत्र प्राकृतिक/गैस/नैफथा पर आधारित है तो उससे संभवत अधिक होगी परन्तु विद्यमान निवेश मूल्यों पर ईधंन तेल पर आधारित संयंत्रों में कम होगी।

Goods received from Refinery at Indian Oil Depot, Ratlam

4875. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) the quantity of goods received by the Indian Oil Depot at Ratlam (Madhya Pradesh) from the Refinery during the year 1976-77; and

(b) the quantity despatched by the Refinery and the quantity received short by the Depot; and

(c) whether any claim was filed with the Railways for short supply and whether any compensation was received ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) : (a) and (b) The Ratlam Depot of the Indian Oil Corporation Limited receives its requirements of Motor Spirit (Petrol), Kerosene and High Speed Diesel oil from the Koyali (Gujarat) Refinery. The requisite information for the year 1976-77 as obtained from Indian Oil Corporation is given below :

(Figures in Kilolitres)

Product	Quantity despatched by the Refinery	Quantity received by the Depot	Quantity received short
Motor Spirit	1570.690	1563.427	7.263
Kerosene Oil .	20198.350	20029.852	168.498
High Speed Diesel Oil	29680.760	29393.426	287.334

(c) No claim for compensation has been filed by IOC with the Railways.

फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि० उद्योगमण्डल का आधुनिकीकरण

4876. **श्री ए न० श्रीकान्तन नायर** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टिलाईजर्स एंड कैमीकल्स ट्रावनकोर लि० उद्योगमण्डल का उर्वरक संयंत्र बहुत पुराना है : और

(ख) यदि हां, तो संयंत्र को आधुनिक बनाने और 'फैक्ट' में उत्पादन बढ़ाने के क्या प्रस्ताव हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां। फैक्ट के उद्योगमण्डल प्रभाग का उर्वरक संयंत्र भारत में सबसे पुराना उर्वरक संयंत्रों में से एक संयंत्र है। 1947 में इस एकक ने उत्पादन आरम्भ किया था और कुछ एकक जो 1947 में चालू किये गये थे, अभी तक उत्पादन कार्य कर रहे हैं। 1948 और 1971 के बीच उद्योगमण्डल संयंत्र का चार बार विस्तार किया गया।

(ख) प्रतिस्थापन, नवीकरण तथा कठिनाइयों को दूर करने जैसे उपाय अपनाकर सरकार चालू संयंत्रों की कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए लगातार प्रयत्नशील है। फैक्ट के उद्योगमण्डल प्रभाग तथा कोचीन-1 एकक दोनों की प्रचलन कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए विश्व बैंक की सहायता से एक प्लांट ओपरेशन इम्परूवमेंट प्रोग्राम कार्यान्वयनाधीन है।

ऐसी कम्पनियां जिनके निदेशक मंडल के चेयरमैन तथा/अथवा सदस्य विदेशी लोग हैं

4877. **श्री पी० जी० मावलंकर : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या भारत में अब भी ऐसी कम्पनियां है जिनके निदेशक मंडल के चेयरमैन तथा/अथवा सदस्य विदेशी लोग हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) तथा (ख) इच्छित सूचना एक स्थान पर उपलब्ध नहीं है। यह विभिन्न रजिस्ट्रारों के पास कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरणियों से संग्रह करनी पड़गी। चूंकि भारत में 31-3-1976 तक कार्यरत सभी 43853 गैर-सरकारी कम्पनियों की वार्षिक विवरणियों की संवीक्षा करना एक गुरुतर कार्य होगा, तथा इन कम्पनियों में से अधिकांश के निदेशक मंडलों में विदेशी अध्यक्ष अथवा निदेशक नहीं होंगे, अतः केवल विदेशी कम्पनियों की भारतीय सहायक कम्पनियों के बारे में सूचना संग्रह की जा रही है एवं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

बड़ौदा और सूरत के बीच अतिरिक्त गाड़ियां

4878. **श्री पी० जी० मावलंकर : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बड़ौदा और सूरत के बीच रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या बहुत अधिक है और वह बढ़ भी रही है,

(ख) क्या सरकार का इन दोनों स्टेशनों के बीच रोजाना कुछ अतिरिक्त यात्री-गाड़ियां—स्थानीय अथवा, और तेज चलने वाली गाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) सूरत और बड़ौदा के बीच पर्याप्त दैनिक यातायात है, जिसकी आवश्यकताओं की पूर्ति वर्तमान सेवाओं द्वारा की जाती है।

(ख) अतिरिक्त सवारी गाड़ी चलाने का कोई विचार नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन ड्रग्स एंड फार्मेस्यूटिकल्स लि० द्वारा सहायक एककों का संवर्धन

4879. **श्री के० ए० राजन** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि० सहायक एककों को बढ़ावा देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है : और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) आई० डी० पी० एल० द्वारा सहायक एककों को बढ़ावा देने की कार्यवाही पहले ही हो रही है।

(ख) सितम्बर, 1976 में आई० डी० पी० एल० के निदेशक मण्डल ने अपने एककों के इर्द गिर्द सहायक एककों की स्थापना के लिए सामान्य मार्गदर्शन का अनुमोदन कर दिया है तदनुसार इन एककों के विकास की देखभाल करने के लिए संयंत्र स्तर समितियों की स्थापना की गई थी। अब तक सहायक एककों के बारे में हैदराबाद संयंत्र के लिए 19 मदों, ऋषिकेश संयंत्र के लिए 24 मदों और गुडगांव एकक के लिए 8 मदों का अनुमोदन किया गया है।

राष्ट्रीय उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा विचार की जा रही उर्वरक परियोजनाएं

4880. **श्री शिव नारायण** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा इस समय किन-किन परियोजनाओं पर विचार किया जा रहा है, ये परियोजनाएं कहां कहां चलाई जाएंगी और उनकी क्षमता कितनी होगी तथा किस प्रकार का उर्वरक पैदा करेंगी :

(ख) उन पर कितना पूंजी परिव्यय होगा : और

(ग) क्या इन परियोजनाओं के लिए कोई विदेशी सहयोग लेने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन किन देशों में तथा किन किन फर्मों ने इन परियोजनाओं में रूचि दिखाई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) : नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० पांचवीं पंच वर्षीय योजना प्रारूप ड्राफ्ट में परिकल्पित पांच नई उर्वरक परियोजनाओं में से तीन परियोजनाओं, जो भटिन्डा, पानीपत और मथुरा में हैं, के कार्यान्वियन के विचार से मल रूप में बनाई गई थीं। मैसर्स नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० द्वारा भटिन्डा और पानीपत में उर्वरक परियोजनाओं के कार्यान्वियन कार्य पहले से ही आरम्भ किया गया है।

2. इन दोनों परियोजनाओं में से प्रत्येक की प्रतिवर्ष नाइट्रोजन के 235,000 मी० टन निर्माण क्षमता होगी।

3. भटिन्डा उर्वरक परियोजना की मौलिक अनुमोदित लागत 138.40 करोड़ रुपये तथा पानीपत उर्वरक परियोजना की 139.73 करोड़ रुपये है। कम्पनी द्वारा यथा अनुमानित भटिन्डा और पानीपत परियोजनाओं के लिए वर्तमान संशोधित लागत क्रमशः 174.13 करोड़ रुपये तथा 174.21 करोड़ रुपये है।

4. भटिन्डा और पानीपत परियोजनाओं के लिए विदेशी मुद्रा लागत के वित्तीय प्रबंध येन ऋण (येन क्रेडिट) से किये गये हैं। इन परियोजनाओं के लिए कोई विदेशी वित्तीय सहयोग प्राप्त नहीं किया गया है। जापान के मैसर्स टोयो इंजीनियरिंग कारपोरेशन को अधिप्राप्ति और परियोजनाओं को चालू करने में सहायता के लिए, तकनीकी जानकारी प्रक्रिया (प्रोसस) और मूल इंजीनियरिंग की सप्लाई करने के लिए एक ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया गया था ।

5. मैसर्स नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० द्वारा मथुरा में नेफथा पर आधारित एक उर्वरक परियोजना की स्थापना करने के लिए एक सम्भाव्य रिपोर्ट भी तैयार की गई थी। तथापि, बम्बई हाई और असम में थाला संरचनाओं से संबंद्ध गैस/फ्री गैस की उपलब्धता के संदर्भ में अब यह निर्णय लिया गया है कि गैस पर आधारित वर्ष 1977–78 में तथा 1978–79 में दो, दो नये संयंत्रों का कार्यान्वयन हाथ में लिया जाए।

भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड के एककों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

4881. **श्री ए० के० राव** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड के सभी एककों और विभिन्न एककों की सभी वस्तुओं के विभागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है तथा उनमें कुल कर्मचारियों की तुलना में इनकी क्या प्रतिशतता है :

(ख) आपात स्थिति के दौरान भारतीय उर्वरक निगम में कितने प्रतिशत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति भर्ती किये गये; और

(ग) भारतीय उर्वरक निगम के एककों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित प्रतिशतता पुनः वहाल करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) वांछित सूचना अनुबन्ध-1 [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 827/77) पर प्रस्तुत है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर शीघ्र अति शीघ्र रखी जाएगी :

(ग) एफ० सी० आई० को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदों के आरक्षण के संबंध में सरकार के अनुदेशों की अनुपालन के लिए परामर्श दिया गया है। इस बारे में मई, 1971 में उनको एक अनुदेश भी दिया गया था। इन हिदायतों के अनुसरण में एफ० सी० आई० ने कदम भी उठाए हैं और जिसके परिणामस्वरूप एफ० सी० आई० में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व में कुछ सुधार भी हुआ है। एफ० सी० आई० से कहा जा रहा है कि जिन पदों के लिए सामान्यता अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते उस अवस्था में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को पूर्व-प्रवेश प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जाए। इसके अतिरिक्त आरक्षित पदोन्नत पदों को भरने के लिए विभागीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों के उपलब्ध न होने पर एक विशेष अभियान द्वारा बाहर से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों में से भरे जाने का प्रश्न भी विचाराधीन है ।

अंकलेश्वर के निकट क्रासिंग पर ऊपरी पुल के निर्माण का प्रस्ताव

4882. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंकलेश्वर के निकट क्रासिंग पर ऊपरी पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रगति क्या है, और

(ग) दुर्घटनाओं को रोकने के लिये यह ऊपरी पुल कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधुदंडवते) : (क) जी हां, यह काम 1977-78 के रेलवे के निर्माण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है।

(ख) योजना तथा प्राक्कलनों को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) आशा है कि ऊपरी पुल का रेलवे को भाग 1980 तक पूरा हो जायेगा, बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

अंकलेश्वर के कर्मचारियों को परियोजना भत्ते की अदायगी

4883. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंकलेश्वर के कर्मचारियों को परियोजना भत्ता अदा किया गया था;

(ख) क्या उसे समाप्त कर दिया गया है, और

(ग) इसके क्या कारण है और क्या सरकार का विचार इसे पुन० अदा करने का है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां।

(ख) नहीं

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Import of Chemicals During 1975-76

4885. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether chemicals were imported from foreign countries during 1975-76; and

(b) if so, the quantity there of and the countries from which chemicals were imported ?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H.N. Bahuguna) : (a) Yes, Sir.

(b) The details of import of chemicals are contained in the publication "Monthly Statistics of the Foreign Trade of India, Vol. II—Imports, March, 1976" published by Department of Commercial Intelligence and Statistics, Calcutta.

Off-shore Drilling in Indian Ocean

4886. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether off-shore drilling of crude oil from the Indian Ocean has been started; and

(b) if so, when and the results thereof ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H.N. Bahuguna) : (a) and (b) Exploratory drilling for hydrocarbons in the Gulf of Mannar was started in May this year and as on July 18, 1977 the well had reached a depth of 3115 metres against the projected depth of 3700 metres. The drilling is in progress.

Railway link for Rock Phosphate Mine in Jhamar Kotra near Udaipur

4887. **Shri Bhanu Kumar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether the previous Government had formulated a Scheme and conducted a survey for linking by railway line the rock phosphate mine in Jhamar Kotra, 8 kilometre away from Udaipur (Rajasthan) and if so the reasons for not constructing that railway line; and

(b) Whether it is a fact that the consumers do not get the material in time in the absence of a railway line to link the said rock phosphate mine and whatever they get, is more costly than the one they get from foreign markets.

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) A survey for providing a siding from Kharwa Chanda Station on Udaipur-Himmatnagar line was carried out in 1969-70 on the request of the Rajasthan Government at their cost and the results were advised to the State Government. The siding was not taken up for construction as the Government of Rajasthan did not show any interest in it after completion of the survey.

(b) Adequate facilities have been provided for loading rock phosphate at Umra and Udaipur City Stations and its onward movement at the current programmed level.

इंजीनियर्रिंग इण्डिया लि० के विभिन्न कार्यालयों के कर्मचारी

4888. **श्री शिव नारायण सरसूनिया** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंजीनियर्रिंग इण्डिया लिमिटड के नई दिल्ली, बम्बई तथा फील्ड कार्यालयों में आज की तिथि तक कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी कितनी है ;

(ख) इस उपक्रम के दिल्ली, बम्बई और फील्ड कार्यालयों में आज की तारीख तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी कितनी हैं ;

(ग) क्या सभी श्रेणियों में कर्मचारियों की संख्या आज तक, भारत सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण की प्रतिशतता को पूरा करती है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ;

(घ) क्या उक्त उपक्रम में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों की तुलना में विलम्ब से की जाती है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या इस कमी को दूर करने का विचार है ?

पेट्रोलियन तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) सूचना दर्शाने वाला विवरण संलग्न हैं।

(ग) इंजीनियर्स इंडिया लि० को ग्रुप डी पदों के लिये आरक्षित कोटा पूरा करना संभव रहा है। परन्तु इंजीनियर्स इंडिया लि० में अधिकतर ग्रुप ए०, ग्रुप बी० और ग्रुप सी० के पद तकनीकी वर्ग में आते हैं, और भारत सरकार द्वारा निर्धारित अपेक्षित आरक्षण को पूरा करने के लिये आरक्षित वर्ग में पर्याप्त संख्या में योग्य और अनुभवी तकनीकी व्यक्तियों के मिलने में कठिनाई आई।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपरोक्त भाग (घ) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं०		नई दिल्ली				बम्बई				क्षेत्रीय कार्यालय के लिए			
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य	कुल
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	'ए'—वे पद जिनके वेतन अथवा वेतनमान की अधिकतम सीमा 1300 रु० से कम न हो	11	1	857	869	--	--	25	25	3	2	540	545
2.	'बी'—वे पद जिनके वेतन अथवा वेतनमान की अधिकतम सीमा 900 रु० से कम न हो परन्तु 1300 रु० से कम हो।	10	1	281	292	--	--	6	6	4	--	226	230

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3. 'सी'--वे पद जिनके वेतन अथवा वेतनमान की अधिकतम सीमा 290 रु० से अधिक हो परन्तु 900 रु० से कम हो।	48	2	377	427	—	—	15	15	4	1	266	271
4. 'डी'--वे पद जिनके वेतन अथवा वेतनमान की अधिकतम सीमा 290 रु० से अधिक अथवा कम है।	32	4	45	81	1	--	3	4	12	--	28	40

बम्बई हाई की गैस के उपयोग के बारे में गुजरात के मुख्य मंत्री तथा अन्य से अभ्यावेदन

4889. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'बम्बई हाई' गैस को निकालने तथा उसके उपयोग के बारे में सारे प्रमुख आवश्यक निर्णय कर लिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूरे तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार को गुजरात के मुख्य मंत्री और गुजरात तथा संसद सदस्यों एवं गुजरात के सार्वजनिक निकायों से इस बारे में औपचारिक, लिखित अथवा मौखिक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की उन पर प्रतिक्रिया क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :--

(1) बम्बई हाई सम्बद्ध (एसोशियेटेड) गैस के उपयोग और उसके परिवहन सम्बन्धी साधनों के संबंध में गुजरात के मुख्य मंत्री और गुजरात सरकार तथा संसद सदस्यों एवं गुजरात के कुछ अन्य व्यक्तियों से प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(2) बम्बई हाई से सम्बद्ध गैस के अनुकूलतम परिवहन रीति के प्रश्न पर विशेषज्ञों तथा गुजरात और महाराष्ट्र सरकारों के परामर्श से जांच की गई और तकनीकी आर्थिक दृष्टिकोण से यह निर्णय लिया गया कि बम्बई हाई से सम्बद्ध गैस को भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से बाया ऊरान ट्राम्बे ले जाया जाये जहां पर एक तटीय टर्मिनल स्थापित किया जायेगा।

(3) किये गये अध्ययनों से यह प्रकट हुआ है कि बम्बई क्षेत्र में बम्बई हाई सम्बद्ध गैस के आर्थिक उपयोग के लिए तत्काल व्यवस्था है ।

(4) सरकार ने दक्षिण बेसिन से गुजरात तक पाइपलाइन बिछाने का वचन दिया है, जो कि अपने मार्ग में बम्बई हाई से आने वाली पाइपलाइन से इस दृष्टिकोण से परस्पर जोड़ दी

जायेगी ताकि एसोसियेटिड और नान-एसोसियेटिड दोनों प्रकार की गैसो का दोनों राज्यों में प्रवाह नियंत्रित बनाया जा सके । इसके द्वारा गुजरात की गैस की भावी आवश्यकताओ को पूरा करने में सहायता मिलेगी । वर्तमान आवश्यकताएं गुजरात के वर्तमान तटीय क्षेत्रों से पूरी की जाती है।

पनसकुरा स्टेशन (दक्षिण-पूर्व रेलवे) पर रेल कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन

4890. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री श्री ज्योति बसु और जनता पार्टी के नेता तथा भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री पी० सी० सेन ने दक्षिण-पूर्व रेलवे के हावड़ा-खड़गपुर सेक्शन के पनसकुरा रेलवे स्टेशन की रेल लाइन पर धरना दे रहे रेल कर्मचारियों को अपना प्रदर्शन समाप्त करने के लिये राजी किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रदर्शन का क्या कारण था और क्या सरकार ने रेल कर्मचारियों की मांगों को पूरा कर दिया है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) जी हां ?

(ख) पांशकुड़ा-हल्दिया परियोजना के निर्माण-कार्य पर लगे नैमित्तिक मजदूर अधिकांश निर्माण-कार्य के पूरा हो जाने के फ़लस्वरूप 100 मजदूरों की प्रति माह प्रस्तावित छंटनी के विरोध में, आन्दोलन कर रहे थे।

किसी निर्माण कार्य विशेष के पूरा हो जाने पर मजदूरों की संख्या में कमी करना अनिवार्य हो जाता है, यद्यपि वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करने के लिए पूरा प्रयास किया जाता है ।

Committee Constituted on Electoral Reforms

4851. **Shri Raghavji** : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether a Committee of Members of Parliament was constituted to go into electoral reforms sometime during the last seven years; and

(b) if so, the steps proposed to be taken by Government to implement its recommendations ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan) : (a) & (b) A Committee of the Houses of Parliament, known as the Joint Committee on Amendments to Election Law, was constituted in 1971 which submitted its report in early 1972. Based primarily on the recommendations made by the Committee, the Representation of the People (Amendment) Bill, 1973 was introduced in the Lok Sabha in December, 1973. The Bill lapsed with the dissolution of that House in 1977.

Various proposals for electoral reforms are now under consideration and the recommendations made by the Joint Committee on Amendments to Election Law will also be kept in view while examining these proposals.

रेलवे में अधिकारी संवर्ग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों की कुल संख्या

4893. **श्री वयालार रवि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का सानुपात प्रतिनिधित्व सभी स्तरों पर बनाये रखा जा रहा है,

(ख) यदि हां, तो अधिकारी संवर्ग में उनका अनुपात क्या है, और

(ग) रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) और (ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिये कोटे की गणना एक विशेष वर्ष में भरी गयी रिक्तियों से की जाती है और जो किसी एक कोटि में कर्मचारियों की कुल संख्या से संबंधित नहीं है । उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण विशेषकर कुछ तकनीकी कोटियों में, इस कोटे को सदैव बनाये रखना सम्भव नहीं होता ।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिये श्रेणी III से श्रेणी II तथा श्रेणी II से श्रेणी I के निम्नतर ओहदे में प्रवरण द्वारा पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों के लिए आरक्षण केवल 20-7-74 से लागू हुआ । 1-1-1977 को रेलों पर अधिकारियों की कुल संख्या से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत निम्न प्रकार था :—

	श्रेणी I	श्रेणी II
अनुसूचित जातियां	6.4%	9.5%
अनुसूचित जनजातियां	0.8%	1.7%

(ग) रेलों पर 1-1-77 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
श्रेणी I	248	32
श्रेणी II	421	72

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को अधिकारी संवर्ग में आनुपातिक प्रतिनिधित्व

4894. **श्री वयालार रवि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों से रिक्त स्थान भरने तथा अधिकारी संवर्ग में आनुपातिक प्रतिनिधित्व देने के बारे में शिकायतें और अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) और (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मूल औषधियों के उत्पादन के लिए लाइसेंस हथियाना

4895. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य सरकार के ध्यान में लया गया है कि अनेक फ़ार्मास्यूटिकल कंपनियां मूल औषधियों के उत्पादन के लिए यथासम्भव अधिक से अधिक लाइसेंस हथियाने का क्रम-बद्ध प्रयास कर रही हैं, ताकि सक्षम उत्पादकों को इस व्यापार से बाहर किया जा सके ;

(ख) क्या भारतीय औषधि उत्पादकों के साथ-साथ कुछ विदेशी फ़र्में भी इस कार्य में शामिल हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने इस कदाचार को समाप्त करने के लिए कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (घ) औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करने के लिये भारत सरकार ने एक नियमित पद्धति निर्धारित की है । ऐसे लाइसेंस औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत तभी प्रदान किये जाते हैं जब उन पर उचित रूप से विचार किया जाता है और इस प्रयोजन के लिए स्थापित विशेष समितियों, अर्थात् लाइसेंसिंग समिति, व एम० आर० टी० पी० समिति प्रायोजना अनुमोदन बोर्ड और विशिष्ट पहलुओं, जैसे विदेशी निवेश बोर्ड और पूंजीगत माल स्वीकृति समिति पर कार्यवाही करने के लिये गठित अन्य समितियों द्वारा सिफ़ारिश की जाती हैं । इन समितियों में भारत सरकार के विभिन्न संबंधित विभाग जैसे योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, तकनीकी प्राधिकरण और प्रशासनिक मंत्रालय आदि शामिल हैं, वर्तमान अथवा नये उद्यमियों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर संबंधित लाइसेंसिंग और तकनीकी प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की जाती है जिसमें निहित निवेश, प्रायोजना प्रस्ताव के तकनीकी-आर्थिक ढांचे, पंचवर्षीय और वार्षिक योजनाओं की प्राथमिकता और उत्पादन लक्ष्यों, प्राद्योगिकी में निहित कार्यकुशलता और प्रायोजना की आर्थिक व्यवहार्यता आदि जैसे पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है । उद्यमियों को आवेदन पत्र के साथ पिछले आशय पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों के ब्यौरे और इस प्रकार की स्वीकृतियों के कार्यान्वयन की प्रगति भी प्रस्तुत करनी पड़ती है । नई मंजूरी देने से पहले लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा इस सूचना की पूर्ण रूप से जांच की जाती है। आशय पत्र और औद्योगिक लाइसेंस कुछ आवश्यक शर्तें लगा कर प्रदान किये जाते हैं। जिनमें निर्धारित समय के अन्तर्गत अधिकतर मूल निर्माण करने की शर्त, उत्पादन के एक भाग को गैर-संबद्ध सूत्रयोग निर्माताओं को सप्लाई करना, उपक्रम का आकार आदि शामिल हैं । आशय पत्र आम तौर पर एक वर्ष की अवधि के लिये दिये जाते हैं और वैधता की अवधि में कोई वृद्धि करने से पूर्व एक विस्तृत जांच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवेदनकर्ता शर्तों को कार्यान्वित करने के लिये प्रभावी कदम उठाये । आशय पत्र को औद्योगिक लाइसेंस में तभी परिवर्तित किया जाता है जब प्रार्थी ने शर्तों को स्वीकार किया है और सरकार इस बात से संतुष्ट है कि प्रार्थी ने आशय पत्र की शर्तों का कार्यान्वयन करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं अन्यथा आशय पत्र रद्द किया जा सकता है। इसी प्रकार औद्योगिक लाइसेंस सामान्यतः दो वर्षों की अवधि के लिए वैध हैं और इस अवधि के दौरान कंपनियों को, उत्पादन क्षमता स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस का कार्यान्वयन करने में प्रगति दर्शाने वाले विभिन्न विवरण प्रस्तुत करने हैं । औद्योगिक लाइसेंस में विस्तार की अनुमति तब दी जाती है जब सरकार इस बात से संतुष्ट है कि प्रार्थी ने उत्पादन क्षमता को स्थापित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं । अतः पर्याप्त कदम और उपाय अपनाये जा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि कंपनियां उन लाइसेंसों को न ले जिनका वे कार्यान्वयन नहीं करेंगे ।

प्रपुंज औषधों के उत्पादन के लिए 1-4-1974 से 31-3-77 की अवधि के बीच में (क) विदेशी फ़र्मों, (ख) भारतीय फ़र्मों और (ग) सरकारी क्षेत्र एककों को दिए गए औद्योगिक लाइसेंस/आशय पत्रों के ब्यौरे दर्शाने वाले दो विवरण पत्र संलग्न हैं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 828/77]

रेल लाइनें बिछाने में विषमता समाप्त करना

4896. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के प्रत्येक राज्य में रेल का कितने किलोमीटर मार्ग है;

(ख) क्या जनसंख्या के आधार पर रेलवे के राज्यवार किलोमीटर मार्ग की गणना की जाती है, यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में जनसंख्यावार रेल लाइन का वितरण क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य में रेल लाइन के वितरण में विषमता कम करने के लिये कार्यवाही करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गयी है।

(ग) और (घ) लोक लेखा समिति की 171वीं और 191वीं रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसरण में देश में नयी रेल लाइनों के निर्माण की एक व्यापक नीति अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों के परामर्श से तैयार की जा रही है । अंतिम रूप दे दिये जाने के बाद यह नीति संसद् में प्रस्तुत कर दी जायेगी।

विवरण

(क) राज्य	31-9-1976 को मार्ग कि० मी०	*प्रति लाख की आबादी पर मार्ग कि० मी०
1 2	3	4
1. आंध्र प्रदेश	4725	9.86
2. असम	2194	12.65
3. बिहार	5421	8.77
4. गुजरात	5679	18.76
5. हरियाणा	1405	12.52
6. हिमाचल प्रदेश	256	6.98
7. जम्मू और कश्मीर	77	1.50
8. कर्नाटक	2896	8.65
9. केरल	887	3.70
10. मध्य प्रदेश	5547	11.76
11. महाराष्ट्र	5232	9.29
12. मणिपुर		
13. मेघालय	..	..
14. नागालैण्ड	9	1.61
15. उड़ीसा	1960	8.04
16. पंजाब	2137	14.29
17. राजस्थान	5612	19.35
18. सिक्किम	..	..
19. तमिलनाडु	3765	8.29
20. त्रिपुरा	12	0.69

1	2	3	4
21.	उत्तर प्रदेश	8661	9.01
22.	पश्चिम बंगाल	3770	7.57
केन्द्र शासित प्रदेश			
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	--	--
2.	अरुणाचल प्रदेश	--	--
3.	चंडीगढ़	11	3.93
4.	दादरा एवं नागर हवेली	--	--
5.	दिल्ली	166	3.44
6.	गोवा, दमन एवं दिव	79	8.59
7.	लक्षद्वीप	--	--
8.	मिजोरम	--	--
9.	पांडिचेरी	27	5.40

*1976 के मध्य में अनुमानित आबादी के आधार पर [मुद्रा तथा वित्त संबंधी रिजर्व बैंक की रिपोर्ट जिल्द II सांख्यिकी विवरण (1975-76]

माल-डिब्बे बनाने के लिये अतिरिक्त क्रयादेश

4897. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने माल-डिब्बों का निर्माण करने के लिये अतिरिक्त क्रयादेश देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

(क) और (ख) चालू वित्तीय वर्ष में रेल मंत्रालय ने निम्नलिखित अतिरिक्त माल डिब्बों के आर्डर दिये हैं :—

विवरण

क्र० सं०	फर्म 1 रेलवे कारखाने का नाम	माल डिब्बों की किस्म	आर्डर दिये गये माल डिब्बों की संख्या	
				यूनिट चौपहिया इकाइयों के बराबर
1	2	3	4	
	क—सरकारी क्षेत्रों/सरकारी स्वामित्व में चलाई जाने वाली यूनिटे			
(i)	मैसर्स आर्थर बटलर एंड कं०, मुजफ्फरपुर, बिहार	मीटर लाइन के बोगी पैट्रोल टंकी माल डिब्बा टाइप "एम बी टी पी जेड"	250	500
(ii)	मैसर्स ब्रेथवेट एण्ड कं० कलकत्ता	बड़ी लाइन चौपहिया भारी तेल टंकी माल डिब्बा टाइप "टी ओ एच० टी"	305	305

1	2	3	4
	बड़ी लाइन चौपहिया बन्द माल डिब्बा टाइप "सी० आर० टी०	645	645
(iii)	मैसर्स बर्न स्टैंडर्ड कं० हवड़ा बड़ी. लाइन चौपहिया बंद माल डिब्बा टाइप "सी आर टी"	690	690
	बड़ी लाइन बोगी खुला माल डिब्बा टाइप 'बी ओ एक्स टी–एमके I"		
	बड़ी लाइन बोगी हापर	240	600
(iv)	मैसर्स बर्न स्टैंडर्ड कं० बर्नपुर (प० बंगाल) माल डिब्बा टाइप बी ओ बी एस एम के II	670	2010
	ख—निजी क्षेत्र की यूनिटें		
(v)	मैसर्स सैण्ट्रल इंडिया मशीनरी मैन्यू कं० भरतपुर (राजस्थान) मीटर लाइन बोगी बंद माल डिब्बा टाइप "एम बी सी"	151	302
	बड़ी लाइन चौपहिया बंद माल डिब्बा टाइप "सी आर टी"	1020	1020
	बड़ी लाइन बोगी खुला माल डिब्बा टाइप "बी ओ एक्स टी–एम के II"	335	837.5
(vi)	मैसर्स मार्डन इन्डस्ट्रीज साहिबाबाद, गाजियाबाद (उ० प्र०) बड़ी लाइन बोगी खुला माल डिब्बा टाइप "बी ओ एक्स टी " एम के-I"	70	175
	बड़ी लाइन चौपहिया बंद माल डिब्बा टाइप "सी आर टी"	205	205
(vii)	मैसर्स टैक्स मैको, कलकत्ता बड़ी लाइन—चौपहिया बंद माल डिब्बा टाइप "सी आर टी"	993	993
	बड़ी लाइन बोगी खुला माल डिब्बा टाइप" "बी ओ० एक्स टी० एम के I"	335	837.5
			9120
	ग—रेलवे कारखाने		
(viii)	अमृतसर, उत्तर रेलवे बड़ी लाइन बोगी कूप माल डिब्बा टाइप "बी डब्ल्यू एल"	14	28
	बड़ी लाइन बोगी बंद माल डिब्बा टाइप "बी सी एक्स टी"	133	3325

1	2	3	4	
(ix)	गोल्डन राक, दक्षिण रेलवे	छोटी लाइन बोगी बंद माल डिब्बा टाइप "एन सी एल"	190	380
		छोटी लाइन बोगी खुला माल डिब्बा टाइप "एन ओ एल"	150	300
		छोटी लाइन चौपहिया ब्रेकयान टाइप "एन बी वी जी"	20	20
(x)	समस्तीपुर पूर्वोत्तर रेलवे	मीटर लाइन बोगी रेल ट्रक टाइप "एम बी आर"	33	66
		मीटर लाइन चौपहिया बंद विस्फोटक माल डिब्बे टाइप "एम सी ई"	20	26
				1146.5
	कुल जोड़			10266.5

Coal Rakes allotted to Firozabad Glass Industry

4898. **Shri Ramji Lal Suman :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state the number of Coal rakes allotted to Firozabad Glass Industry each month and the number of coal rakes allotted to this industry every month during the last five months as also the number of coal rakes supplied in June, last and in case the quantityof coal supplied was less than the quantity allotted, the reasons therefor and the measures being taken to remove causes thereof ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : Number of coal rakes alloted for the Glass Industry at Firozabad each month during January to June, 1977 is given below :

Month	Number of rakes allotted in 1977
January	10
February	14
March	14
April	13
May	10
June	8
Total	69

All the 8 rakes allotted during June, 1977 have been supplied and loaded.

नौपाड़ा-गुनुपुर लाइन को बड़ी लाइन में बदलना (दक्षिण पूर्व रेलवे)

4899. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने चालू वित्तीय वर्ष में कुछ नेरो गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का निर्णय किया है;

(ख) उड़ीसा दक्षिण पूर्व रेलवे (की नेरो गेज लाइनों के बारे में "अलाभप्रद शाखा लाइनों" की समिति ने क्या महत्वपूर्ण सिफारिशे की हैं; और

(ग) क्या नौपाड़ा-गुनुपुर नैरो गैज लाइन को बड़ी लाइन में बदलकर इसे बीसमकटक तक ले जाने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) जी नहीं।

(ख) अलाभप्रद शाखा लाइन समिति ने सिफारिश की थी कि नौपाड़-गुणपुर छोटी लाइन के विस्तार के बारे में आदिवासी क्षेत्रों के विकास से सम्बन्धित अभिकरणों के परामर्श से जांच की जानी चाहिए । रेल-पथ और चल-स्टाक को पुर्नस्थापित किया जाना चाहिये । जहां तक रुप्सा-तालबन्द छोटी लाइन का संबंध है, समिति ने इसे बड़ी लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण करने, इस लाइन के बांगरीपोसी और तालबन्द के बीच के भाग को फिर से यातायात के लिए खोलने और आदिवासी क्षेत्रों के विकास से सम्बन्धित अभिकरणों के परामर्श से इस लाइन का रायरंगदुर तक विस्तार करने के प्रश्न पर विचार करने की सिफारिश की थी।

(ग) नौपाड़-गुणपुर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

Ad-hoc appointment of Doctors in Northern Railway during Emergency

†4900. **Shri Ram Prasad Deshmukh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of ad-hoc appointments of doctors made in Northern Railway during emergency and the officer who made these appointments;

(b) how many of them are from Uttar Pradesh and their District-wise break-up; and

(c) the number among them of those who have been removed on appointment of doctors selected through the U.P.S.C. and in case they have not been removed, the reason therefor ?

The Minister for Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) Twenty-nine (29) doctors were appointed on ad-hoc basis during the emergency period. These appointments were made by the General Manager, Northern Railway.

(b) Out of 29, 14 are from Uttar Pradesh and their District-wise break up is as follows :—

Agra	3
Bullandshahar	1
Etah	1
Farukhabad	1
Kanpur	1
Lucknow	3
Moradabad	2
Rampur	1
Sultanpur	1

(c) None. Union Public Service Commission nominees have not joined so far.

Appointment of Doctors on Ad-hoc basis after emergency (Northern Railway)

4901. **Shri Ram Prasad Deshmukh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of doctors appointed in Northern Railway on ad-hoc basis after the emergency was lifted indicating the places at which they were appointed;

(b) the basis on which assessment of the shortage of doctors at the places at which they were appointed was made; and

(c) whether the number of the patients had increased in these places and if so, the names of such places and the extent it increased?

The Minister for Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) A statement is enclosed.

(b) The appointments were made only against regular vacancies as a result of retirement, resignations, etc.

(c) Does not arise.

Statement

Particulars of the doctors appointed on ad-hoc basis on the Northern Railway after emergency

S. No.	Name	Address	Place at which appointed
1.	Dr. Syed Hasim Raza	H. No. 165, Golangun, Behind Narain Restaurant, Lucknow.	Sitapur City
2.	Dr. Satya Prakash Shukla	255/49, Gopal Niwas, Near Tikona Park, Kadri Rakab Ganj, Lucknow.	Lucknow
3.	Dr. Subash Raina	C/5, Pampost Enclave, Greater Kailash, New Delhi.	Delhi
4.	Dr. K.K. Gakhar	25/D, S.P. Road, New Delhi.	New Delhi
5.	Dr. Atul Kumar Aggarwal	31-B, Kutchery Road, Allahabad.	Amritsar
6.	Dr. Chhatar Pal Singh	248, Khurbra Mohalla, Dehradun.	Ferozepur
7.	Dr. Madhu Mehrotra	C/o Shri P.N. Mehrotra, 8, Nawab Usuf Road, Allahabad.	Kanpur
8.	Dr. Chander Narain Mehrotra	C/o Shri P.N. Mehrotra, 8, Nawab Usuf Road, Allahabad.	Kanpur

Ad-hoc appointments of doctors in Northern Railway

†4902. **Shri Ram Prasad Deshmukh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of doctors working in the Northern Railway on ad-hoc basis at present;

(b) the number of doctors, among them, given duty as per their qualifications; and

(c) whether the present Government had withheld ad-hoc appointment and if so, the number of doctors appointed in the hospitals of Northern Railway despite this policy ?

The Minister for Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) 53.

(b) Most of the *ad-hoc* doctors have a basic medical qualification only. They have been given work according to their qualifications.

(c) *Ad-hoc* appointment of doctors has not been withheld since it is necessary to man the hospitals efficiently.

Ad-hoc appointments of doctors in Northern Railway during the emergency

†4903. **Shri Ram Prasad Deshmukh:** Will the Minister of Railways be pleased to state the number and qualifications and the places of present posting of the doctors appointed on ad-hoc basis on the discretion of the former Railway Minister in the Northern Railway during emergency ?

The Minister for Railways (Prof. Madhu Dandavate) : Four candidates who requested the former Ministers during the period of emergency for appointment as a doctor were appointed on a*d-hoc* basis on the Northern Railway. They possessed the basic qualification of M.B.B.S. One of them has, however, since resigned. The other three are at present posted at Lucknow, Delhi and Bikaner.

कम्पनियों का पंजीकरण

4904. **डा० हेनरी आस्टिन :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों में कुल कितनी कम्पनियां पंजीकृत हुई; और

(ख) गत तीन वर्षों में कुल कितनी कम्पनियां पंजीकृत हुई हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) मार्च से मई, 1977तक की तीन मास की नवीनतम अवधि, जिसकी सूचना उपलब्ध है, के मध्य देश में, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियों की कुल संख्या 659 थी।

(ख) गत तीन वर्षों के मध्य, देश में पंजीकृत कम्पनियों की कुल संख्या, 1974-75 में, 3733 1975-76 में 3012 व 1976-77 में 2699 थी।

अशोधित तेल का आयात

4905. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री आर० बी० स्वामीनायन :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अशोधित तेल का उसी दर पर आयात करते रहने का निर्णय किया था जिस पर पहले किया जा रहा था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) देश में अशोधित तेल के उत्पादन में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए चालू वर्ष में उतनी ही मात्रा में तेल का आयात करने की क्या आवश्यकता है; और

(घ) तेल उत्पादक देशों के तेल के मूल्य में वृद्धि के हाल ही के निर्णय के संदर्भ में इस वर्ष आयात किये जाने वाले अशोधित तेल पर कुल कितनी लागत आएगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) वर्ष 1977-78 के दौरान भारत द्वारा 14.2 मि० मी० टन कच्चे तेल का आयात करने की आशा है जो कि 1976-77 में आयात किये गये तेल के स्तर के बराबर है ।

(ख) क्रूड आयात का स्तर वर्ष 1976-77 में पैट्रोलियम उत्पादों की मांग में 24.1 मि० मी० टन के स्तर से वर्ष 1977-78 में 26 मिलि० मी० टन के स्तर तक सम्भावित वृद्धि के कारण मतन रूप से वही रहा है ।

(ग) वर्ष 1976-77 में तटीय तथा अपतटीय स्रोतों से 8.8 मिलि० मी० टन कच्चे तेल की देशीय उपलब्धता में वर्ष 1977-78 में इस तेल के 11.3 मि० मी० टन तक के प्रत्याशित स्तर तक हुई वृद्धि से वर्ष 1977-78 में पैट्रोलियम उत्पादों की बढ़ी हुई मांग पूरी हो जायेगी।

(घ) वर्ष 1977-78 के दौरान लगभग 1270 करोड़ रुपये के कच्चे तेल के आयात होने की आशा थी । 1 जुलाई, 1977 से साऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से आयातित क्रूड के मूल्य में वृद्धि हो जाने के कारण वर्ष 1977 के दौरान इन्हीं देशों से क्रूड आयातों के लिए बाहर जाने वाली अतिरिक्त विदेशी मुद्रा का अनुमान लगभग 9.5 करोड़ रु० है ।

भाप के इंजनों के स्थान पर डीजल/बिजली के इंजन

4906. **श्री के० प्रधानी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय रेलवे के पास भाप, डीजल और बिजली के इंजनों की प्रतिशतता क्या है, और

(ख) सभी भाप-इंजनों के स्थान पर डीजल और बिजली के इंजन कब तक आ जाएंगे ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) रेलों पर भाप, डीजल और बिजली रेल इंजनों का प्रतिशत क्रमशः 75.03, 17.40 और 7.57 है।

(ख) भाप रेल इंजनों का उत्पादन बंद कर दिया गया है तथा गतायु, अप्रचलित और अलाभप्रद भाप-इंजनों के बदले केवल डीजल या बिजली रेल इंजन ही उत्तरोत्तर चलाये जा रहे हैं ।

दामोह से बांदा तक नई रेल लाइन

4907. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में दामोह से उत्तर प्रदेश में बांदा तक नई रेल लाइन के निर्माण सम्बन्धी मांग रेलवे बोर्ड के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश में दमोह से उत्तर प्रदेश में बांदा तक रेल लाइन बिछाने के लिए रेल मंत्रालय को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । और हाल में इस सम्पर्क के निर्माण के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है और संसाधनों की कमी के कारण इस समय इस रेलवे लाइन के निर्माण के बारे में विचार करना संभव नहीं होगा ।

ईराक से अतिरिक्त अशोधित तेल

4908. **श्री निहार लास्कर :**

श्री आर० बी० स्वामीनाथन :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने हाल में इस वर्ष के दौरान पूर्व सहमत तेल की मात्रा के अतिरिक्त और अशोधित तेल की सप्लाई के लिए ईराक सरकार से कहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ईराक सरकार अतिरिक्त अशोधित तेल की सप्लाई करने के लिए सहमत हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो कितना तथा उसकी क्या शर्तें हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) तथा (ख) ईराक के साथ किये गये करार के अन्तर्गत वर्ष 1977 में 2 मि० मी० टन अशोधित तेल की सप्लाई के अतिरिक्त वर्ष 1977 के शेष भाग में भारत का 0.6 मि० मी० टन अशोधित तेल का आयात करने का प्रस्ताव है । इस अतिरिक्त मात्रा की सप्लाई के संबंध में इंडियन आयल कारपोरेशन और ईराक नेशनल आयल कंपनी के बीच एक करार को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिये जाने की आशा है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा जापान से पाइपों की खरीद

4909. **श्री निहार लास्कर :**

श्री के० लकप्पा :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने बम्बई हाई से समुद्र तट तक समुद्र के नीचे तेल तथा गैस की 215 किलोमीटर लम्बी पाइप लाइनों के लिए पाइपों की सप्लाई करने हेतु जापान को आदेश दिया है ;

(ख) क्या ऐसा केवल अन्य कम्पनियों से टेंडर आमन्त्रित करके किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसमें कुल खर्चा कितना आएगा तथा यह पाइप लाइनें जापान से कब तक आयात कर ली जाएंगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां, ।

(ख) जी, हां।

(ग) कुल व्यय 41.05 करोड़ रुपये का है और 30 जुलाई, 1977 से 5 अक्टूबर के दौरान जापान से जहाज द्वारा माल भेजना आरम्भ किया जाएगा।

रेल कर्मचारियों की बोनस की मांग पर निर्णय

4910. **श्री निहार लास्कर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने रेलवे कार्मिक संघों के साथ बोनस के प्रश्न पर बातचीत की है; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत के क्या परिणाम निकले, और यदि नहीं, तो बातचीत कब तक की जाएगी ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) और (ख) इस मामले पर रेलवे के श्रम संगठनों से बातचीत नहीं हुई है । जैसा कि 21-6-77 के अतारांकित प्रश्न सं० 1226 के उत्तर में उल्लेख किया गया है कि बोनस से संबंधित सभी मामलों पर सरकार द्वारा सविस्तार जांच की जा रही है ।

Delivery of consignments to Ganesh Flour Mill, Kanpur without R.R.

†4911. **Shri Ram Lal Rahi** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Railway Department had delivered consignment to Ganesh Flour Mill, Kanpur in 1972 without producing R.R.;

(b) if so, the reasons therefor and whether R.R. has not so far been produced for the same; and

(c) if so, the action taken by Government against the officers and employees who delivered the consignment without producing R.R. ?

Minister for Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) Yes.

(b) The consignments were delivered in accordance with rules which provide that in respect of wagons to be placed in the siding of the consignee, memo invoices should be prepared on the basis of particulars available on the labels of the wagons and delivery given on collection of estimated freight charges in the absence of Railway Receipt. The Railway Receipts have not so far been surrendered by the party.

(c) As delivery in the absence of Railway Receipt has been given in accordance with rules, the question of action against staff does not arise.

रेलवे में चोरी और उठाईगिरी की घटनाएं

4912. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में रेलवे को चोरी और उठाईगीरी के कारण कोई हानि हुई है;

(ख) उक्त अपराधों की रोक-थाम के लिए नियुक्त किये गये कर्मचारियों पर, प्रतिवर्ष कितना व्यय हुआ ; और

(ग) क्या उक्त अपराधों की रोक थाम के लिए कोई प्रभावी उपाय अपनाने का विचार है और क्या किसी जोन में उक्त उपाय अपनाये गए हैं । यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) जी हां, तीन वर्षों में जो हानि हुई वह इस प्रकार है:–

	1974	1975	1976
कुल हानि	4,56,74,871	3,78,93,411	1,61,58,583
वसूली .	61,81,604	74,25,654	32,72,934
शुद्ध हानि . .	3,94,93,267	3,04,67,857	1,28,85,649

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) इन अपराधों की रोकथाम के लिए जो महत्वपूर्ण कदम उठाये गये वे इस प्रकार हैं :–

(1) महत्वपूर्ण माल गाड़ियों के साथ रेलवे सुरक्षा दल का मार्गरक्षी दल रहता है ।

(2) प्रभावित खण्डों और यार्डों में रेलवे सुरक्षा दल द्वारा रात में गश्त लगाया जाता है ।

(3) सभी महत्वपूर्ण यार्डों तथा माल गोदामों पर रेलवे सुरक्षा दल का चौबीसों घंटे पहरा रहता है।

(4) रेलवे अपराध एवं संबंधित मामलों तथा रोकथाम के उपायों के बारे में विचार विमर्श करने के लिए राज्य स्तर/प्रारंभिक स्तर की समितियों की नियमित बैठकें हुआ करती हैं ।

(5) मार्शलिंग यार्डों पर गश्त लगाने के लिए रेलवे सुरक्षा दल के कुत्ता–दलों का और अधिक उपयोग किया जा रहा है।

(6) रेलों पर क्रियाशील अपराधियों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए राज्य के पुलिस प्राधिकारियों के साथ निकट सम्पर्क रखा जा रहा है ।

(7) नोटिस में आने वाले अपराधों की जांच तथा संदिग्ध व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के सम्बन्ध में जोरदार प्रयास किये जा रहे हैं।

Irregularities committed in Transportation of Coal

†4913. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether some employees have been working continuously in the Traffic and Transportation department of the Railway Board for the last many years and have complete control on the traffic of goods trains;

(b) whether lack of far-sightedness on their part was responsible for great shortage of wagons and delayed movement of goods during the last three or four years;

(c) whether lot of irregularities were committed in the matter of coal transport and whether no criteria was adopted in the matter of supply of railway wagons to the private parties; and

(d) if so, whether Government propose to enquire into the working of the department and transfer the guilty persons from there ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) Since the staff in the Traffic Transportation Directorate of the Railway Ministry are generally drawn from the Secretariat service, some of them continue to work for many years in the same Directorate in the interest of continuity and administrative efficiency. They only provide secretarial assistance to the officers and do not have any control on the goods traffic.

(b), (c) and (d) Do not arise.

Officers on deputation in Railway Board from other Departments

4914. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of officers on deputation in Railway Board from other departments and the posts on which they are on deputation and since when they have been working there ;

(b) whether Government propose to revert them to their departments ;

(c) if so, when it will be done and the procedure to be followed for taking other Officers on deputation in their places; and

(d) the names of the persons taken from other departments by former Railway Ministers Shri Lalit Narayan Mishra and Pandit Kamlapati Tripathi and whether they are still working there ?

The Minister of Railways (Prof. Madu Dandvate) : (a) The number of Officers on deputation from other departments in the Railway Board is 15. All gazetted posts in the Railway Board's office, barring a few, are invariably filled by officers drawn from organized railway services. In respect of some ex-cadre posts, for filling up of which specific recruitment rules exist with due regard to the technical requirement attaching to each post, officers from other services, such as, Indian police Service, Indian Economic Service etc. are selected on deputation. The Recruitment Rules are drawn up in consultation and with the approval of the Union Public Service Commission.

A statement showing officers on deputation from other Services/Departments, their resignations, date of posting and the present term of deputation is attached as Annexure 'A'.

[Placed in Library. *See* No. L.T.—829/77].

(b) Not until the date indicated in the last column of Statement at Annexure 'A'.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 829/77]

(c) Their continued retention in the Railway Board's office will be determined in accordance with the relevant recruitment rules and Government's decision on each individual case with due regard to public interest.

(d) The names of the officers with their designations taken on deputation in the Railway Board at the instance of late Shri Lalit Narayan Mishra and Pandit Kamlapati Tripathi ex-Railway Ministers are indicated in the statement enclosed as Annexure 'B'. [Placed in Library. see No. L.T. 829/77]. Of these, the officers at S. Nos. 5, 6, 11 and 12 are still working in the Railway Board.

Import of Oil from Arab Countries

4915. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilisers** be pleased to state :

(a) the quantum of oil imported by India from Arab countries yearly during the last three years and the amount of foreign exehange spent thereon;

(b) the steps taken to find more oil in the country itself;

(c) whether India is unable to find new oil wells for want of expert engineering know-how and Government have to depend on foreign technical experts; and

(d) if so, the efforts being made in this direction so as to increase oil production ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) : (a) The quantity and value of imports of crude oil from Arab countries during the last three years were as under :—

Year	Qty. (Million tonnes)	Value (Rs. crores)
1974	13.97	899.36
1975	13.67	979.20
1976	14.03	1143.69

(b) to (d) As a general proposition, it is not correct to say that India is unable to find new oil fields for want of expert engineering know-how. However, the services of foreign experts are obtained for specific purposes like deep drilling etc. in areas where severe complications are encountered in the course of drilling. Amongst the steps taken to find more oil in the country, the intensification of geological and geophysical surveys may be mentioned. Exploratory drilling is also in progress at a number of locations in onshore as well as offshore areas. The production from the onshore fields is programmed to be increased during the current year and the remaining years of the Fifth Plan period. The Bombay High and North Bassein offshore fields are being developed speedily and commercial production from Bombay High field commenced in May, 1976. The optimum rate of production from these offshore fields is expected to be attained by 1980-81.

संविधान में संशोधन

4916. **श्री बित बसु :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संविधान में सुधार संबंधी, विशेषकर 38वें से 42वें तक संविधान संशोधन अधिनियमों को रद्द करने के, प्रस्ताव प्रस्तुत करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ख) ऐसे प्रस्तावों को कब तक लाया जायेगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) संविधान में सुधार संबंधी प्रस्ताव के लिए संविधान के सुसंगत उपबंधों की विस्तारपूर्वक और पूरी तौर से जांच करनी होगी और स्पष्ट है कि इसमें काफ़ी समय लगेगा ।

(ख) उक्त जांच पूरी होने के बाद यथाशीघ्र ।।

रेल कर्मचारियों के छः सूत्री मांग पत्र पर बातचीत

4917. **श्री चित्त बसु :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल कर्मचारियों के छः सूत्री मांगपत्र पर उनके प्रतिनिधियों से बातचीत आरम्भ करने हेतु अब तक कोई कार्यवाही की गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) बातचीत के कब तक शुरू होने की संभावना है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) से (ग) मई 1974 की हड़ताल से पहले हुए बातचीत के दौरान, निम्नलिखित मुद्दों के सम्बन्ध में एक सामान्य आधार तैयार किया जा रहा था, यद्यपि कोई औपचारिक समझौता न हो सका :—

(1) मियाभाय पंचाट का अक्षरशः कार्यान्वियन ।

(2) तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संवर्ग समीक्षा और उनका पदोन्नयन ।

(3) वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के ढांचे के भीतर कार्य—मूल्यांकन ।

(4) वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के परिणामस्वरूप उत्पन्न असंगतियों पर विचार करने के लिए एक समिति की नियुक्ति ।

(5) नैमित्तिक श्रमिकों के नियोजन के सम्बन्ध में कुछ नीतियां ।

(6) जिन रेलवे कालोनियों में 300 से अधिक परिवार रहते हैं, उनमें उचित मूल्य की दुकानें खोलना ।

मई 1974 की हड़ताल के बाद, शेष मांगों के सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं हुई । जैसा कि सदन में पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है, सरकार की यह नीति है कि मान्यताप्राप्त फ़ेडरेशनों द्वारा प्रस्तुत की गयी, सभी वास्तविक मांगों पर विचार किया जाये और उपलब्ध संसाधनों का ध्यान में रखते हुए उनकी सविस्तार जांच की जाये ।

समुद्र में बसीन से बम्बई हाई तक तेल मिलने की संभावनाएं

4918. **श्री के० लकप्पा :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्र में बसीन से बम्बई हाई तक तेल तथा गैस मिलने की सम्भावनायें हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) इस क्षेत्र में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा हाईड्रोकार्बन्स के लिये अब तक तीन संरचनाओं में अन्वेषी व्यधन कार्य किया जा चुका है । इनमें से केवल एक संरचना में ही वाणिज्यिक मात्रा में तेल पाया गया है । इस संरचना में तेल के प्रारक्षित भंडारों का मूल्यांकन करने हेतु इसका और आगे व्यधन किया जायेगा । भूकम्पीय सर्वेक्षणों से इस क्षेत्र में अन्य संरचनाओं का विद्यमानता का पता चला है, जिन्हें अभी खोदा जाना है ।

रेलवे में दीर्घावधि सेवा वाले अधिकारियों को स्थायी किया जाना

4919. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में बड़ी संख्या में ऐसे अस्थायी अधिकारी हैं जिन्हें 12 से 15 वर्ष की सेवावधि के बाद भी स्थायी नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है तथा वे किन विभागों में कार्य कर रहे हैं ;

(ग) उनको स्थायी न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे सभी अधिकारियों को स्थायी करने का है जिनकी कम से कम 10 वर्ष की सेवावधि है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) और (ख) रेलों पर विभिन्न विभागों में अस्थायी भर्ती किये गये अधिकारियों की संख्या 1089 थी तथा उनमें से केवल 317 का स्थायीकरण अभी बाकी है जिनमें से सिविल इंजीनियरी के 225, इलैक्ट्रिकल इंजीनियरी के 57, दूर-संचार इंजीनियरी के 34 तथा यातायात परिवहन व वाणिज्य विभाग के एक अधिकारी हैं ।

(ग) और (घ) अस्थायी अधिकारियों की स्थायी नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एक चयन के द्वारा होती है जो संबंधित श्रेणी 1 की सेवाओं में अस्थायी सहायक अधिकारियों के वार्षिक कोटे में स्थायी नियुक्ति के लिए आरक्षित रिक्तियों के अनुसार होता है । यह कोटा समय-समय पर उत्तरोत्तर बढ़ाया जा रहा है । हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से ऐसी नियुक्तियों के कोटे में काफ़ी वृद्धि की गयी है । इस समय विभिन्न विभागों में वार्षिक कोटा इस प्रकार है :—

सिविल इंजीनियरी विभाग 29

इलैक्ट्रिकल इंजीनियरी विभाग 10

दूर-संचार इंजीनियरी विभाग 6

यातायात परिवहन तथा वाणिज्य विभाग 2

बाकी अस्थायी अफ़सरों की श्रेणी 1 में स्थायी रूप से नियुक्ति अगले कुछ वर्षों में की जाने की संभावना है।

हल्दिया में पैट्रो-रसायन उद्योग समूह के बारे में पश्चिम बंगाल के व्यापार मंडल के साथ बैठक

4920. श्री के० ए० राजन : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हल्दिया में पैट्रो-रसायन उद्योग समूह की क्रियान्वित के प्रश्न पर चर्चा हेतु दिल्ली में जुलाई 1977 में पश्चिम बंगाल के विभिन्न व्यापार-मण्डलों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई थी; यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ख) क्या राज्य सरकार ने पांच पैट्रो-रसायन उत्पादों के उत्पादन हेतु केन्द्र को आरोप पत्र जारी करने के लिए आवेदन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां।

(ख) पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम ने विभिन्न पट्रो-रसायन मदों के उत्पादन के लिए आशय पत्र जारी करने हेतु 5 आवेदन पत्र दिये हैं।

(ग) हल्दिया में एक पैट्रो-रसायन समूह की स्थापना के प्रश्न पर विचार-विमर्श करने के लिए 18-7-1977 को विभिन्न वाणिज्य मंडलों, पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम और पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित की गयी थी। कुछ वाणिज्य मंडलों ने इन आशंकाओं को व्यक्त किया था कि प्रस्तावित कम्पलैक्स को हल्दिया से बम्बई प्रदेश में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है। प्रतिनिधियों को यह आश्वासन दिया गया था कि इस प्रकार के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। उन्हें यह भी बताया गया था कि उक्त प्रायोजना के लिए नेफ्था के यथाशीघ्र प्राप्त हो जाने पर इस प्रश्न पर निर्णय लिया जाएगा। प्रतिनिधियों को यह भी सुझाव दिया गया था कि शुरू शुरू में हल्दिया में डाउनस्ट्रीम पैट्रो-रसायन एककों को स्थापित किया जाना चाहिये। जहां तक आशय-पत्र के लिए पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम द्वारा दिये गये आवेदन पत्रों का सम्बन्ध है, पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम से और आगे के मंगाये गये आंकड़ों को इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि क्या ये प्रस्ताव किफायती रूप से उचित है, का मूल्यांकन करने के लिए योजना आयोग को भेज दिया गया है।

पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलवे में छोटी लाइनों/तंग लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना

4922. श्री विजय कुमार मंडल : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलवे में छोटी लाइनों और तंग लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने पर विचार किया जा रहा है ;

(ख) क्या उक्त प्रयोजन के लिये कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन है और यदि हां, तो इस बारे में मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उक्त रेलवेज़ में क्या क्या नये कार्य हो रहे हैं तथा किन-किन कार्यों को आरंभ करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) से (ग) : जबलपुर से गोंदिया तक छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी-एवं-यातायात सर्वेक्षण का काम इस समय चल रहा है। रुपसा से तालबंद तक की लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया था किन्तु यह परियोजना अर्थक्षम नहीं पायी गयी। पूर्व तथा दक्षिण पूर्व रेलों पर पुरानी छोटी लाइन के स्थान पर बड़ी लाइन बिछाने के लिए निम्नलिखित नयी बड़ी लाइनों का या तो निर्माण किया जा रहा है और या उनके निर्माण के लिए अनुमोदन किया गया है।

(1) "बड़गछिया—चम्पाडांगा शाखा लाइन सहित हवड़ा से आम्ता तक नई बड़ी लाइन।

(2) हवड़ा से सियाखला तक नई बड़ी लाइन।

इंदौर से बम्बई तक रेलवे लाइन के लिये सर्वेक्षण

4923. श्री विजय कुमार पाटिल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दौर और बम्बई के बीच रेलवे लाइन के निर्माण के बारे में पहले कभी कोई सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय किया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उपर्युक्त परियोजना का नया सर्वेक्षण कराने का है?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सर्वेक्षण कराने के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

Implementation of recommendations of Pay Scales in Fertilizer Corporation

4924. **Shri Ram Naresh Kushwaha** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether Fertilizer Corporation of India had promised to implement recommendation in regard to pay-scales with effect from 1st January, 1976;

(b) if so, the reasons for not implementing the pay-scales so far; and

(c) when Government are now going to give the revised pay-scales ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H.N. Bahuguna) : (a) and (b) Yes. Pursuant to the agreement entered into by the FCI with the recognised unions of their Units/Divisions/Offices, efforts are being made to evolve a new wage structure for the employees in consultation with their recognised unions which will be given effect to with effect from 1-1-1976.

(c) It is difficult to state at this stage the date by which the new wage structure is likely to be finalised as this would depend on various factors such as collection of data from various sources, consultation with unions of the employees and other concerned authorities.

रानीताल में उपरि पुल के लिए प्रस्ताव

4925. **श्री जेना बैरागी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के अन्तर्गत (खड़गपुर से खीरदा लाईन के बीच) रानीताल रेलवे स्टेशन पर उपरि पुल बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) इस स्टेशन पर एक उपरी पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

खुर्दा जंकशन से खड़गपुर जंकशन (दक्षिण पूर्व रेलवे) में जनवरी, 1974 से जनवरी 1977 के बीच पीड़ित किये गये रेल श्रमिक

4926. **श्री जैना बैरागी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे के खुर्दा जंकशन से खड़गपुर जंकशन के बीच काम करने वाले कितने रेल कर्मचारियों को जनवरी, 1974 से जनवरी, 1977 के बीच सेवा से निलम्बित किया गया, सेवा से निकाला गया और जेल भेजा गया; और

(ख) क्या ये श्रमिक सेवा में वापस ले लिये गये हैं और उनमें से कितनों को सेवा में वापस नहीं लिया गया है?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) से (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Legal aid to poor

†4927. **Shri Dharamsinghbhai Patel** : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the nature of legal aid provided now to the poor;

(b) the number of poor people given legal aid State-wise since the enactment of law for providing legal aid to poor; and

(c) the number of poor people whose cases are in progress at present State-wise ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan) : (a) Presently legal aid has been provided by the Code of Criminal Procedure 1973 in trials before the Courts of Session for accused persons not having sufficient means to engage a Pleader. Similarly, provision has been made in Sections 7(2)(b) and 6(2)(b) of the Advocates Act, 1961 enabling the Bar Council of India and the State Bar Councils to render legal aid to the poor. Order XXXIII of the Code of Civil Procedure, 1908 has been amended to enable the Courts to assign a pleader to an indigent person if the circumstances so require. Certain State Governments have formulated Schemes for legal aid to the poor. The details are being ascertained.

(b) & (c). No law for providing legal aid to the poor has been enacted so far except to the extent indicated in answer to part (a). Government does not have any data in this regard.

दिन में चलने वाली सलेम-धर्मपुरी पैसेंजर गाड़ी को बंगलौर तक चलाना

4928. **श्री पी० वी० परियासामी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार दिन में चलने वाली सलेम-धर्मपुरी पैसेन्जर गाड़ी को बंगलौर तक चलाने का है जिससे लोगों की जरूरतें पूरी हो सकें ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : जी हां, यह मामला विचाराधीन है ।

Discounted cash flow returns in respect of surveys of Railway Lines in Madhya Pradesh

†4929. **Shri Bhagirath Bhanwar** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the provisions made for improvements in respect of various railway lines in Madhya Pradesh and the number of technical surveys conducted during the last three years; and

(b) the discounted cash flow returns in respect of survey of each railway line and the decisions taken ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) and (b) A statement is attached. [Placed in Library. See. No. L.T.-830/77]

हिमाचल प्रदेश में जड़ी बूटियों की उपलब्धता

4930. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हिमाचल प्रदेश में डिस्कारिया कुथ तथा धूप जैसी जड़ी बूटियां बहुतायत में मिलती हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार जड़ी बूटियों के प्रमुख उत्पादन केन्द्र, जिला कांगड़ा में किसी रसायन उद्योग की स्थापना करने का है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां ।

(ख) इस समय कांगड़ा जिला में वनस्पति पर आधारित रसायन संयंत्र को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

पहाड़ी क्षेत्रों की छोटी लाइनों और मीटर गेज लाइनों पर किराये की दरें नियत करने का आधार

4931. **श्री दुर्गा चन्द**: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहाड़ी क्षेत्रों की छोटी लाइनों और मीटर गेज लाइनों पर भाड़े एवं किराये की दरें नियत करने का आधार क्या है, और

(ख) पहाड़ी स्टेशनों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्टेशनों के लिये वापसी रेल टिकटें किस आधार पर जारी की जाती हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के दार्जिलिंग-हिमालयन खण्ड के अलावा, अन्य पहाड़ी स्टेशनों पर, भाड़े और किराये के प्रभार का आधार वही है जो शेष समस्त रेल प्रणाली पर लिया जाता है। लेकिन पहाड़ी खण्डों पर दूरी बढ़ा कर किराया लिया जाता है। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के दार्जिलिंग-हिमालयन खण्ड पर भाड़े और किराये का एक विशेष उच्च आधार लागू है। पहाड़ी खण्डों पर अधिक भाड़ा और किराया लगाने का औचित्य यह है कि इन लाइनों के निर्माण में अधिक पूंजी लागत बैठती है और परिचालन की लागत ऊंची है।

अन्य मीटर आमान तथा छोटे आमान वाली लाइनों पर भी प्रभारित भाड़ और किराये का आधार शेष रेल-प्रणाली के समान ही है। यद्यपि, हाल ही में बनायी गयी कुछ मीटर लाइनों और छोटी लाइनों पर दूरी बढ़ाकर किराया लिया जाता है। चूंकि यह पाया गया था कि इन लाइनों का निर्माण केवल बढ़ी हुई दूरी के आधार पर ही औचित्यपूर्ण ठहराया गया था, इसलिए इन लाइनों पर दूरी बढ़ा कर किराया लिया जाता है।

(ख) कुछ विशिष्ट पहाड़ी स्टेशनों पर यातायात का विकास करने के उद्देश्य से और इस तथ्य पर भी विचार करके कि कुछ विशेष राज्यों की अर्थ-व्यवस्था किसी हद तक पर्यटक यातायात पर निर्भर करती है, रेलें वर्षानुवर्ष पहले और दूसरे दर्जे के वापसी रियायती टिकट 1½ इकहरे किरायों पर जारी करती रही हैं। अन्य स्टेशनों के लिए इस प्रकार के रियायती वापसी यात्रा टिकट जारी नहीं किए जाते हैं।

Proposal to attach 4 coaches to parcel trains running between Asansol and Gaya

4932. **Shri R. L. P. Verma** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state

(a) whether no passenger train is running for passengers between 8.30 and 23.30 hours from Gomoh to Gaya between Asansol Junction and Gaya Junctions on Grand Chord line and road transport facility is also not available there; and

(b) if so, whether Government propose to attach 4 passenger coaches to each of the parcel trains running there at present till any permanent arrangement is made in this regard ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) 129 Asansol-Varanasi passenger, which leaves Gomoh at 08.57 hours is the only all stopping train on Gomoh-Gaya section. However, 51 UP Sealdah-Jammu Tawi Express which leaves at 17.55 hours from Gomoh also stops at several intermediate stations.

(b) No.

Gates near Hirodih, Chauba and Koderma Station

4933. **Shri R.L.P. Verma** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that people have been making a demand repeatedly for providing gates near (i) eastern cabin of Hirodih station in (ii) western part (in Maskedih village) of Chanbe station, and (iii) near Moriyanwan village in eastern part of Koderma station between Dhanbad and Gaya on grand chord line; and

(b) if so, the action being taken to meet this demand?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) No such request has been received from the public of the area for providing level crossing gates at any of the locations mentioned.

(b) Does not arise.

नया नंगल स्थित भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड के कर्मचारियों को प्रतिकर भत्ता दिय जाना

4934. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नया नंगल (पंजाब) स्थित भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड के कर्मचारियों को, पंजाब सरकार द्वारा इस क्षेत्र में नियुक्त अपने कर्मचारियों को दिए जा रहे प्रतिकर भत्ते के आधार पर प्रतिकर भत्ता देने के लिए निगम के प्रबन्धकों ने कोई प्रस्ताव जिस पर निगम के निदेशक बोर्ड ने स्वीकृति दे दी थी, स्वीकृति हेतु सरकार को भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार उक्त प्रस्ताव पर कब तक स्वीकृति दे देगी ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय उर्वरक निगम से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और सरकार के विचाराधीन है। शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की आशा है।

टिकट निरीक्षण कर्मचारियों से ज्ञापन

4935. **श्रीमती मृणाल गोरे** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न डिविजनों के टिकट निरीक्षण कर्मचारियों से बहुत से ज्ञापन प्राप्त हुए हैं,

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की मुख्य शिकायतें क्या हैं; और

(ग) इन समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) से (ग) मई, 1977 में श्री श्याम सुन्दर लाल, संसद सदस्य की मार्फत टिकट जांच कर्मचारियों का एक ज्ञापन मिला था। उनकी मांगें तथा उनके सम्बन्ध में स्थिति नीचे बतायी गयी है :

मांगें	स्थिति
(1) चल टिकट परीक्षकों तथा कन्डक्टरों को रनिंग कर्मचारी माना जाय।	(1) नियमों के अन्तर्गत केवल वे कर्मचारी जो सीधे गाड़ियों के इन्चार्ज हों या उनके संचलन के लिए उत्तरदायी हों, रनिंग कर्मचारी माने जाते हैं। चूंकि टिकट जांच कर्मचारियों का गाड़ियों के संचलन से सीधा सम्बन्ध नहीं होता, अतः उन्हें रनिंग कर्मचारी नहीं माना जा सकता। इस मामले पर पहले भी कई बार विचार किया गया था और यह मांग स्वीकार नहीं की गयी थी।

Overbridge on Railway line near Gulabbagh and Khushkibagh

4936. **Shri L.L. Kapoor** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the national highway No. 31 passing through Purnea City in Bihar also passes through a railway line near Gulabbagh Khushkibagh leading to traffic difficulties? and

(b) whether it is proposed to construct an over-bridge there and if so, by what tim e

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) National Highway No. 31 crosses the railway line at km 27/2-3 near Purnea railway station on N.F. Railway through; an 'A' class level crossing.

(b) There is no proposal to construct an over bridge in lieu of the above level crossing. There is, however, already a road over bridge on a parallel road, approximately 2.5 km. from the level crossing which is connected to the National Highway on either side of the railway line by-passing Purnea Town. Through traffic over National Highway can, make use of the road over-bridge, avoiding the level crossing. The road over-bridge also serves to minimise the traffic delay on the level crossing on National Highway.

केन्द्रीय सरकार द्वारा तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल को अपनी यूनिटों से कुनैन/सिंकोना न दिया जाना

4937. **श्री राम सागर**: क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वे यूनिटें जिनके उत्पादन पर केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण है केन्द्रीय सरकार तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल के अपने कारखानो से बहुत सी जीवनदात्री औषधियों के निर्माताओं को कुनैन/सिंकोना नहीं दे रही हैं;

(ख) क्या ऐसा प्रस्तावित मूल्य वृद्धि के प्रभावों का लाभप्रद उठाने की दृष्टि से किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो कुनैन से सम्बद्ध बहुत सी औषधियों की सप्लाई में इसके परिणामस्वरूप आई कमी के उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए उनका मंत्रालय क्या विचार कर रहा है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण वाले कारखानों द्वारा औषधी निर्माताओं को कुनैन/सिकोना न दिया जाना

4938. **श्री राम सागर: क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुनैन/सिकोना के उत्पादन पर उनके मंत्रालय का नियंत्रण है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि बहुत सी औषधियों के निर्माताओं को कुनैन/सिकोना आबंटित की जाती है और आबंटन के बावजूद भी केन्द्रीय सरकार की एजेंसियां इन निर्माताओं को कुनैन वास्तव में नहीं देती है जिसके परिणामस्वरूप बहुत सी जीवनदात्री औषधियों के उत्पादन में हानि होती है; और

(ग) सप्लाई रोकने के लिए दोषी कुनैन निर्माताओं के विरुद्ध क्या कदम उठाने का विचार किया जा रहा है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

शोलापुर डिवीजन को मध्य रेलवे में सम्मिलित किया जाना

4939. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि दक्षिण-मध्य जोन में शोलापुर-डोंड-लातूर क्षेत्र के रेल कर्मचारियों ने शोलापुर डिवीजन को मध्य रेलवे में सम्मिलित कराने के वर्ष 1973 के अपने संघर्ष को फ़िर से चालू करने का हाल ही में निर्णय किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि उनकी मांगों पर ध्यान देने के लिए वर्ष 1973 में बनाई गई कुरेशी समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि यह मामला एक विशेषज्ञ समिति को भेजा जाए जो रेलवे जोनों का पुनर्गठन करे;

(ग) क्या यह भी सच है कि जोनों के पुनर्गठन में, विशेषतया उक्त आन्दोलन के मामले में, विलम्ब के कारण हजारों रेल यात्रियों को कठिनाई हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) जी हां।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित मामला विचाराधीन है।

तेल कम्पनियों के सम्मुख 'बैरलों' की कमी की समस्या

4940. **श्री जी० एम० बनतवाला** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल कम्पनियों को बैरलों की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ र

(ख) क्या तेल कम्पनियों ने उनके मंत्रालयों को कोई आपातकालीन पत्र (एस०ओ०एस०) भेजा है;

(ग) कमी कितनी है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने तेल के लिए बैरल बनाने हेतु प्राथमिकता के आधार पर इस्पात की चादरों के आयात की व्यवस्था करने का कोई निर्णय लिया है; और

(ङ) इस गंभीर संकट को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ङ) यह सूचित किया गया है कि स्नेहक तेल के बैरलों का निर्माण करने के लिए अपेक्षित तेल उद्योग की० 18 जी० ड्रम स्टील की मासिक लगभग 4000 मी० टन की आवश्यकता की अपेक्षा हिन्दुस्तान स्टील लि० ने अप्रैल-जून, 1977 के दौरान 9374 मी० टन की कुल परिमात्रा अर्थात् औसत प्रति मास 3100 मी० टन की क्षमता वाले बैरल सप्लाई किये हैं। इसी प्रकार से अस्फ़ाल्ट ड्रमों के निर्माण के लिए 24 जी० इस्पात की मासिक लगभग 5000 मी० टन की आवश्यकता की अपेक्षा हिन्दुस्तान स्टील लि० ने मई और जून 1977 के महीनों के दौरान लगभग 6641 मी० टन अर्थात् मासिक औसत 3320 मी० टन की मात्रा में स्टील मुहैया किया है।

अल्प पूर्ति का मुख्य कारण देशीय इस्पात की मांग में वृद्धि तथा राउरकेला प्लांट में कुछ कार्य संचालन सम्बन्धी समस्याओं और बोकारों इस्पात कारखानों के कार्य आरंभ करने में हुआ विलम्ब है।

पहले सैल (एस०ए०आई०ए०ल०) 8500 मी० टन 18 जी० इस्पात के आयात के लिए सहमत हो गया था। तथापि एच०एस०एल० अब बोकारो में 18 जी० इस्पात के रोलिंग कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने के लिये सहमत हो गया है। क्योंकि 18 जी० इस्पात की उपलब्धता स्थिति के जुलाई 1977 के पश्चात् सुधार हो जाने की संभावना है। अतः 8500 मी० टन 18 जी इस्पात के आयात के विचार को छोड़ दिया गया है।

जहां तक 24 जी० इस्पात का सम्बन्ध है, सरकार ने इस स्थिति का अप्रैल, 1977 में पुनरीक्षण किया और 6000 मी० टन इस्पात के आयात करने का निर्णय किया। इस स्थिति की पुनः जांच की गयी थी और अक्तूबर-नवम्बर, 1977 में किसी प्रकार के संकट से बचने के लिए, एच०एस०एल० से प्राथमिकता के आधार पर 10000 मी० टन अतिरिक्त इस्पात का आयात करने के लिए प्रबन्ध करने हेतु अनुरोध किया गया है। बोकारो में तथाकथित कोल्ड रोल मिल के कार्य आरम्भ करने से इस स्थिति में सुधार होने की संभावना है।

रेलवे कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि को कार्य निष्पादन से सम्बद्ध करना

4941. **श्री जी० एम० बनतवाला** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों की वेतन वृद्धि को उनके कार्य निष्पादन से सम्बद्ध करने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष है; और

(ख) क्या सरकार कार्य निष्पादन प्रधान वेतन वृद्धि के, जिसका स्वरूप प्रतिगामी है, गम्भीर उद्देश्य से अवगत है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) रेल मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राजनैतिक दलों की रैलियों में जाने वाले लोगों द्वारा बिना टिकट यात्रा

4942. **श्री समर गुह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत चार महीनों में रेलवे में बिना टिकट यात्रा करने वालों की संख्या बढ़ गई है;

(ख) उक्त अवधि में बिना टिकट यात्रा करने के लिये कितने व्यक्तियों को दण्ड दिया गया;

(ग) क्या गत चार महीनों में राजनैतिक दलों की कलकत्ता, दिल्ली, पटना, लखनऊ और बम्बई में होने वाली रैलियों में जाने वाले हजारों यात्री बिना टिकट पाये गये;

(घ) यदि हां, तो क्या टिकट निरीक्षकों से कहा गया था कि राजनैतिक रैलियों में भाग लेने जाने के इच्छुक बिना टिकट यात्रा करने वालों के मामलों में हस्तक्षेप न करें; और

(ङ) राजनैतिक प्रेरित बिना टिकट यात्रा के मामले से निपटने के लिये रेलवे कर्मचारियों को क्या मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) 1-2-1977 से 31-5-1977 की अवधि के दौरान 7,63,187 व्यक्ति बिना टिकट या अनुपयुक्त टिकटों पर यात्रा करते पाए गए। 1,07,154 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया और उनमें से 71,250 को जेल भेजा गया। सामान्य बिना टिकट यात्री और राजनैतिक पार्टी से संबंधित बिना टिकट यात्री के बीच कोई भेदभाव नहीं बरता गया और पकड़े गए बिना टिकट यात्रियों को नियमानुसार दण्ड दिया गया था। रेलें भिन्न-भिन्न ग्रुपों के बिना टिकट यात्रियों के लिए आंकड़ें नहीं रखतीं।

(घ) और (ङ) राजनैतिक रैलियों में भाग लेने के इच्छुक बिना टिकट यात्रियों के समूहों के संचलन में दखल न देने के संबंध में रेल मंत्रालय द्वारा कोई अनुदेश जारी नहीं किए गए हैं।

मुसलमानों को बालक दत्तक-ग्रहण विधेयक से छूट

4943. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया मुसलिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार से अनुरोध किया है कि मुस्लिम समुदाय को बालक दत्तक-ग्रहण विधेयक के लागू किए जाने से छूटी दे दी जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) प्रेस रिपोर्ट से यह आभास होता है कि आल इण्डिया मुसलिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 10 जुलाई, 1977 को एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि मुस्लिम समुदाय को बालक दत्तक-ग्रहण विधेयक से छूट दे दी जाए।

(ख) सरकार इस विषय पर विचार कर रही है।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

Papers laid on the Table

उर्वरक तथा रसायन ट्रावनकोर लि० के वर्ष 1975-76 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : मैं कंम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :--

(एक) उर्वरक तथा रसायन ट्रावनकोर लिमिटेड के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) उर्वरक और रसायन ट्रावनकोर लिमिटेड का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 817/77]

सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिरचनाएं

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : मैं श्री एच० पटेल की ओर से सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) सा०सां०नि० 917 जो दिनांक 16 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा०सां०नि० 918 जो दिनांक 16 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा०सां०नि० 919 जो दिनांक 16 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल०टी० 818/77]

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

Calling attention to Matter of Urgent Public Importance

विदेश मंत्री की नेपाल यात्रा

अध्यक्ष महोदय : अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेते हैं ।

श्री वयालार रवि (चिरियिंकील) : महोदय मेरी व्यवस्था है । नियम 197 के अनुसार कोई भी सदस्य लोक महत्व के विषय की ओर अध्यक्ष की पूर्वानुमति से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षिक कर सकता है । वैसे ऐसे विषयों पर मंत्री को स्वयं वक्तव्य देना चाहिए । विदेश मंत्री की नेपाल यात्रा से लौटने पर एक वक्तव्य स्वयं देना चाहिए था । यह उचित होता । आपने उस पर ध्यानाकर्षण की अनुमति दे दी है । अब आप मंत्री महोदय को अपना निर्देश इस संबंध में दें ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को वक्तव्य देना चाहिए था ।

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : यदि मैं स्वयं वक्तव्य देता तो सदस्यों को प्रश्न करने का अवसर न मिलता, इसलिए मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की प्रतीक्षा की।

श्री यशवन्तराव चव्हाण (सतारा) : मंत्री महोदय के स्वयं वक्तव्य देने पर हम चर्चा किए जाने का अनुरोध करते। जबकि ध्यानाकर्षण में केवल वे ही सदस्य प्रश्न कर सकते हैं जिन्होंने प्रस्ताव में हस्ताक्षर किए हैं। अन्यथा पूरा सदन..... ..(**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं सदन को बता दूं कि केवल एक सदस्य ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है। अन्य की इसमें रुचि ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय का स्वयं वक्तव्य देना उचित होता।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं आपसे स्वयं वक्तव्य देने की अनुमति मांगता हूं।

Shri Ugra Sen (Deoria) : I draw the attention of the Minister of External Affairs towards the following motion of Urgent Public Importance and request him to make a statement thereon.

"Outcome of his recent visit to Nepal and talks with the King of Nepal and other leaders".

Shri Atal Bihari Vajpayee : Hon'ble Members are aware of my recent visit to Nepal between July 14th-16th, 1977, at the invitation of His Excellency Prof. Krishna Raj Aryal. Although I had visited other countries as Foreign Minister in pursuance of prior commitments relating to international conferences, I am very happy that Nepal was the first country that I visited, in the bilateral context. This fact reflects our unique relations, which are founded on history, culture, tradition, religion, social and economic ties.

The visit was primarily for the promotion of the existing good-will between India and Nepal and to continue the practice of dialogue at the highest levels with our new Government, which was so fruitfully started when His Majesty the King of Nepal visited us in early April.

While in Kathmandu, His Majesty the King of Nepal received me in audience. In an atmosphere characterised by trust and confidence, we had an exchange of views ranging over a wide variety of subjects of mutual interest. I also paid a call on the Prime Minister, Dr. Tulsi Giri. During these talks, there was, naturally, interest displayed in developments which took place in India. While I reiterated our commitment to the democratic way of life in India, at the same time I also pointed out that the Government of India would not interfere in the internal affairs of Nepal or, for that matter, of any other country.

Two rounds of talks, with officials of both sides present, were held with the Foreign Minister of Nepal. These conversations, in the friendly and cordial atmosphere so characteristic of Indo-Nepal relations, covered all matters pertaining to these relations. I am confident that the talks resulted in a recognition of the over-riding community of our interests in cementing our friendship and the consolidation of cooperation to our mutual benefit. India and Nepal have a common interest in the stability of all the countries in the sub-continent and the growth of harmonious and cooperative relations between them.

In this spirit, we also discussed Nepali side's ideas about the Zone of Peace. I recalled to my host that the Janata Government's earnest desire is that the entire sub-continent should be an area of peace and steps are being taken by the new Government to improve relations with all of India's neighbours. As far as Nepal is concerned, I indicated that we would, in keeping with our friendly relations, consider any suggestions from the Government of Nepal with an open mind. I reaffirmed that there is a Treaty of Peace and Friendship between India and Nepal, which has accepted that both countries would live in perpetual peace. This Treaty and our subsequent actions fully reaffirm the independence, sovereignty and

territorial integrity of Nepal. I was happy to hear from my counterpart that Nepal would continue to honour this Treaty and other commitments which both our countries have jointly entered into.

The question of a new Treaty on Trade and Transit between India and Nepal, which has been pending since August 1976, came up for discussions at the meetings with my counterpart as well as in a separate meeting with His Excellency Shri Pitamber Dhoj Khati, Minister of Commerce and Industry of His Majesty's Government. Both sides stated their respective positions. Certain proposals were made by the Nepalese side on which we gave our initial reaction and we agreed that careful consideration would be given to each other's points of view. Pending the conclusion of a new Agreement on Trade and Transit, the provisions of the Treaty on Trade and Transit which expired in August, 1976, have been continued. This is proof of the fact that the Government of India is most anxious to avoid any difficulties either in India-Nepal trade or in the transit trade of Nepal with third countries. Our experience shows that this Treaty has not stood in the way of Nepal's aspirations of diversifying her trade or exploring new markets for her products. Both countries have to take into account each other's legitimate concerns and that transit arrangements should do no harm to either country.

We reviewed various on-going projects between our two countries for utilising the enormous potential of the Himalayan water resources, to the mutual benefit of both our peoples. It was also agreed that the pending joint studies on future projects for the rational utilization of these resources, which are in the interset of preserving the ecology as also the promotion of the social and economic growth of the peoples of both countries, would be taken up expeditiously.

I have reason to be satisfied that although as close neighbours with a long and open border, there will be problems between our two countries, these will be resolved through mutual discussions and to the benefit of both our peoples. The essence of my talks showed that both the countries are keenly looking forward to continuing the multi-faceted ties which have a unique character. Both sides felt that the visit has led to a reinforcement of our friendship and a reaffirmation of the desire to further improve our beneficial relation to the advantage of both.

I would like to take this opportunity of expressing my deep gratitude to his majesty's Government of Nepal for the warmth of the welcome accorded to me and for the warm hospitality extended to myself and my delegation during our stay in Nepal.

Shri Ugra Sen : While talking to correspondents after his visit to Nepal, the External Affairs Minister had said that an agreement have taken place regarding certain projects. But in his statement here he has not given any clarification.

I want to know whether there was some discussion regarding Shri B.P. Koirala while talking to the King of Nepal and the Prime Minister Tulsi Giri on democracy, human rights and independence.

Shri Atal Bihari Vajpayee : During the talks, Karnali, Pancheshman and Rapti projects were discussed. There is proposal to contruct a hydel project on Karnali which will generate 2,000 M.W. electricity. Nepal wants to set up a Board for this purpose and has asked us to nominate four Indians to it. We are going to make these nominations and we have requested them to furnish information in regard to the terms of reference of the Board so that a final decision can be taken in regard to the setting up of Board.

As regards to Rapti multi-purpose project, we have received the project report from Nepal and our experts have completed its study. Now we have set up a joint Committee which will finalise the project. Nepal will get irrigation and power facilities from this project.

अध्यक्ष महोदय : अब गृह मंत्री एक वक्तव्य देंगे।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मैं मंत्री महोदय से शान्ति क्षेत्र के सम्बन्ध में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं गृह मंत्री को बुला चुका हूं और ऐसे स्पष्टीकरण अन्य समय भी मांगें जा सकते हैं।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : हमारे समक्ष 'शांति क्षेत्र' की परिकल्पना नहीं आई। इसके अभाव में यह वक्तव्य हमारे लिए निरर्थक है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण (सतारा) : मैं इससे सहमत हूं कि स्पष्टीकरण के तौर पर कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता, परन्तु 'शांति-क्षेत्र' के सम्बन्ध में खुले मन से बात करने के मंत्री महोदय के कथन का क्या तात्पर्य है यह पता लगना चाहिए। यदि वे इसका उत्तर अभी नहीं दे सकते तो फिर कभी दे दें।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : ध्यानाकर्षण पर चर्चा करने की गलत परम्परा न डाली जाए। उचित अवसर पर मैं इसका विरोध नहीं करूंगा।

गृह मंत्री द्वारा जांच आयोग से न्यायाधीश डी एस० माथुर के त्यागपत्र के बारे में 20 जुलाई, 1977 को दी गई कतिपय जानकारी का स्पष्टीकरण करने सम्बन्धी वक्तव्य

STATEMENT RE. CLARIFICATION OF CERTAIN INFORMATION GIVEN BY THE MINISTER OF HOME AFFAIRS ON 20TH JULY, 1977 RE. SIGNATION OF JUSTICE D.S. MATHUR FROM COMMISSION OF ENQUIRY

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : मारुति समूह के मामलों की जांच करने संबंधी जांच आयोग के न्यायमूर्ति डी०एस० माथुर के त्यागपत्र के सम्बन्ध में 20 जुलाई, 1977 को लोकसभा में दिये गये मेरे वक्तव्य पर हुई चर्चा के दौरान जब माननीय सदस्य श्री के०पी० उन्निकृष्णन ने यह प्रश्न पूछा था कि "क्या आपने उनके विचारणीय विषयों के अन्तर्गत आने वाले किसी विषय में सी०बी०आई० द्वारा जांच आरम्भ करवाई है" तो मैंने इसके उत्तर में "नहीं" कहा था। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि आयोग की नियुक्ति के पूर्व ही, आयोग के विचारणीय विषयों के अन्तर्गत आने वाले कुछ मामलों में कानून की सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत सी०बी०आई० द्वारा जांच पड़ताल की जा रही थी। जैसा कि सदस्यों को मालूम है जांच आयोग कानून, 1952 के अन्तर्गत नियुक्त किये गये आयोग की जांच के अन्तर्गत ये विषय होने के बावजूद फ़ौजदारी अपराधों के सम्बन्ध में जांच, छानबीन और अभियोग चलाये जाने के मामले हाथ में लिए जा सकते हैं।

नियम 377 के अधीन मामला

Matters under Rule 377

(एक) राष्ट्रपति के शपथ-ग्रहण समारोह के समय विपक्ष के नेता को स्थान का आबंटन

श्री वयालार रवि (चिरियकील) : कल का दिन हम सबके लिए बड़ी प्रसन्नता का दिन था जब हम भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपना पद भार संभालने के समारोह में शामिल हुए। दुर्भाग्यवश विपक्ष के नेता तथा हमारे दल के नेता श्री यशवन्तराव चव्हाण को तीसरी पंक्ति में बैठने का स्थान दिया गया तथा अन्य गुटों के नेताओं के लिए कोई स्थान था ही नहीं।

बैठने के स्थान के बारे में हमें परवाह नहीं मुख्य बात यह है कि विपक्ष के प्रति सरकार का व्यवहार जब कि सरकार हर समय लोकतांत्रिक मूल्यों की दुहाई देती रहती है।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : कल जब यह मामला उठाया गया उससे पहले मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। मैंने इसकी पूछताछ की और पता चला कि स्थानों की व्यवस्था गृह मंत्रालय ने की थी संसदीय सचिवालय ने नहीं।

यह व्यवस्था इस आधार पर की गई थी कि विपक्ष का पद मंत्रिमंडल स्तर के मंत्रियों के बराबर होता है। इसलिए उनका स्थान आगे रखने के बजाय मंत्रिमंडल स्तर के मंत्रियों के साथ रखा गया। मैं व्यक्तिगत रूप से और सरकार भी जैसा कि उसने सदैव कहा है विपक्ष को पूरा महत्व देना चाहती है। इसलिए विपक्ष के नेता को सामने की पंक्ति में स्थान दिया जाना चाहिए और मैंने ऐसे अनुदेश दे दिए हैं। जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे खेद है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए था; भविष्य में 'ऐसा नहीं' होगा।

(दो) वीर अर्जुन के छटनी किये गये कर्मचारियों की बहाली

Shri Bhagat Ram (Phillaur) : In December, 1976, the publication of 'Veer Arjun' had been stopped and its employees had lost their job. Now the publication of that paper has been resumed from 1st July, 1777. It is desirable that the employees who have lost their job earlier should have been employed first. But this has not been done. As a result thereof families of 60 ex-employees are starving. The ex-employees have appealed to the management and also met other authorities but they have not been taken back so far. They have started a 'dharna' since 1st July and demonstrations are going on. The mployees of 'Veer Pratap' and some other papers have declared that they will also go on strike in sympthy with the employees of 'Veer Arjun'.

This agitation has been continuing for 26 days but the Government has not intervened so far. If the Government do not intervene at this stage the struggle can take a serious turn which will be difficult for the Government to control. Therefore, early intervention of Government is very necessary.

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रविन्द्र वर्मा) : अध्यक्ष महोदय मंत्री के लिए इसका उत्तर देना अनिवार्य नहीं है।

कीटनाशी (संशोधन) विधेयक

Insecticides (Amendment) Bill

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि कीटनाशी अधिनियम 1968 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए"

इस समय किया जा रहा संशोधन साधारण होने के साथ-साथ आवश्यक भी है। पिछले 6 वर्षों से कुछ संशोधनों की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी। अधीनस्थ विधान संबंधी समिति ने भी अपने 14वें प्रतिवेदन में सिफ़ारिश की थी कि पंजीकृत सम्मितियों आदि के संबंध में कुछ संशोधन करना आवश्यक है।

केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड का कार्य-क्षेत्र बढ़ाने और इसे प्रतिनिधि बोर्ड का स्वरूप देने के लिए यह संशोधन किया जा रहा है कि पशु-पालन, मत्स्यपालन, वन्य प्राणी, परिस्थिति विज्ञान और रसायनों से सम्बन्धित लोगों को इसमें सदस्य बनाया जाए। इसके लिए धारा 4 में संशोधन आवश्यक था।

इसी प्रकार भारत में पहली बार उपयोग में लाए जाने वाली कीटनाशी दवाइयों के लिये दो वर्ष तक मान्य पंजीकरण प्रमाणपत्र देने का उपबन्ध भी मूल अधिनियम की धारा 9 में किया गया है।

धारा 13 में इस आशय का एक उपबन्ध किया गया है कि कीट नियंत्रण कार्यों और दवा छिड़कने की सेवाओं में लगे व्यक्ति अथवा संगठनों के कर्मचारी योग्यता प्राप्त हों और उन्हें इन कीटनाशी दवाइयों का मनुष्य और वन्य प्राणियों पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव का ज्ञान हो।

कीटनाशी दवाइयों का उपयोग कृषि कार्यों और घरेलु कार्यों के लिए किया जाता है। परन्तु दोनों की लाइसेंस फीस बराबर ही है। इन दोनों में अन्तर करने वाला भी एक संशोधन है।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

कि कीटनाशी अधिनियम, 1968 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए।

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : अध्यक्ष महोदय, यह कहा जा रहा है कि यह संशोधन विधेयक कीटनाशियों के आयात, निर्माण, बिक्री परिवहन वितरण और उपयोग को विनियमित करने के लिए लाया गया है।

कीटनाशी दवाइयों का उत्पादन पर्याप्त नहीं है। यह हमारी केवल एक चौथाई आवश्यकताओं को पूरा करता है।

अतः इनका उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए। हमें जड़ी बूटियों से बनी कीटनाशी दवाइयों के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए जिससे जनजीवन को खतरा कम हो। क्योंकि डी०डी०टी० काफी खतरनाक है इसलिए अमरीका तथा अन्य देशों में इसके प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

कीटनाशी दवाइयों के मूल्य अत्यधिक हैं तथा वे छोटे किसानों की पहुंच से बाहर हैं केवल संपन्न किसान ही उन्हें खरीदते हैं। अतः उनके मूल्य घटाए जाएं।

इस सम्बन्ध में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हम विदेशों से फार्मूला खरीदते हैं इसके लिए हमारे निर्माताओं को बहुत भारी राशि अदा करनी पड़ती है इसलिए उत्पादन लागत भी बढ़ जाती है वितरण के सम्बन्ध में भी कुछ विदेशी एजेंसियों और अधिकार गृहों का बोलबाला है।

अध्यक्ष महोदय : अब लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए स्थगित होती है।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे तक स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बज कर पाँच मिनट पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha re-assembled after lunch at five minutes past fourteen of the clock

कीटनाशी (संशोधन) विधेयक—जारी

INSECTICIDES (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[MR. DEPUTY SPEAKER IN THE CHAIR]

श्री पी० राजगोपाल नायडू : वितरण के सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने बताया है कि राज्यों में 52,000 बिक्री लाइसेंस दिए गए हैं। कुछ राज्यों के कृषि विभागों में सप्लाई प्रभाग हैं और उनके द्वारा लाइसेंस दिए जाते हैं। जब तक वितरण की सरकारी व्यवस्था नहीं की जाती ये लाइसेंसधारी एक साथ मिलकर जब चाहे तब मूल्य बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। अतः वितरण सरकारी व्यवस्था द्वारा किया जाना चाहिए।

जो लोग गावों में कीटनाशी दवाइयों की सप्लाई करते हैं उन्हें उचित प्रशिक्षण देकर ही लाइसेंस दिए जाने चाहिएं।

आंध्र प्रदेश में चूहों का बहुत आतंक है। टिड्डियों की भांति वह फैल रहे हैं और खेती को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं।

सरकार को खरपतवार नाशकों का उत्पादन बढ़ाना चाहिए तथा उन्हें लोकप्रिय बनाना चाहिए।

जहां तक फसलों की सुरक्षा का सम्बन्ध है सरकार ने सब कुछ छोटे किसानों पर छोड़ दिया है। अगर कोई छोटा-मोटा कीड़ा लग जाता है तो किसान अपनी फसलों को बचा लेते हैं लेकिन अगर कोई महामारी फैलती है तो हजारों एकड़ खेती नष्ट हो जाती है और सरकार जब तक इस संबन्ध में किसानों को कोई सुरक्षा नहीं प्रदान करती तब तक नुकसान होता रहेगा।

संकर फसलों को बीमारी लगने का बहुत डर रहता है जब तक हमारे पास कीटनाशी दवाइयों का स्टाक नही होता तब तक उसकी सुरक्षा संभव नहीं है।

गोदामों में रखे गए अनाज की भी रक्षा की जानी चाहिए। डी०डी०टी० उसके लिए उपयुक्त नहीं है। गोदाम में रखे गए अनाज की सुरक्षा हेतु कीटनाशी दवाइयों के सम्बन्ध में अनुसंधान किया जाए।

Shri Durga Chand (Kangra) : I welcome the amendments brought by the Minister in the amending Bill. These insecticides are not meant for a particular climate; their impact is uniform. The greatest need for insecticides is in Himachal Pradesh where fruit are grown on a large scale. Unfortunately, their prices are very high and the production is also not enough to meet our requirements. Therefore we have to import some insecticides.

Sometime back a news-item has appeared in the papers that the apple crop of Himachal Pradesh has been destroyed by a particular disease we are not aware whether the State Government has approached the Central Government for sending experts and medicines to control that disease. But in view of the seriousness of the situation it is really desirable that the Central Government make necessary arrangements.

In view of the great demand for insecticides in the country whether Government propose to set up a factory ? Himachal Pradesh will be most suitable for it as a large number of fruit-growers there will be benefitted it is also necessary that the insecticides are made available to farmers at cheap rates. If any subsidy is required for the purpose even that should be given.

A research centre should be set up in Himachal Pradesh to conduct research in the disease affecting fruits and plants there and suitable insecticides should be produced so that the fruit growers can get the maximum benefit.

श्री वेदव्रत बरूआ (कालियाबोर) : यह विधेयक कीटनाशी दवाइयां बनाने वालों से सम्बन्धित है और यह राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है।

हमारे देश के निर्माता चाहते हैं कि इन कीटनाशकों का प्रयोग भारी मात्रा में बिना सावधानी के किया जाए। लेकिन सरकार को इस सम्बन्ध में सर्तक रहना होगा। इनके उपयोग पर नियंत्रण रखा जाए। तथा इनमें किसी भी स्तर पर मिलावट न करने दी जाए। क्योंकि यह मानव जीवन के लिए भी बहुत खतरनाक हैं। अतः उदारता से इनके निर्माण के लिए लाइसेंस देना या बहुत अधिक नियंत्रण लगाना दोनों बातें ही ठीक नहीं हैं। हमारे देश के लोगों को यह मालूम नहीं है कि कितना कीटनाशी उपयोग में लाना चाहिए और किस अवसर पर? कुछ अमरीकी विशेषज्ञों ने कहा है कि भारत में आवश्यकता से अधिक कीटनाशी का उपयोग किया जाता है। लोग यह भी नहीं जानते कि उन्हें कितना कीटनाशी उपयोग में लाना चाहिए, उनका उपयोग एक विशेष अवसर पर ही होता है, हर समय नहीं। इसलिए कीटनाशी का उपयोग बार-बार नहीं करना चाहिए और जब फसल खड़ी हो तब बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसे समय में कीटनाशी दवा फसल के अंदर जा सकती है जोकि मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकर है। कई बार यह कैंसर तक पैदा कर सकते हैं। हो सकता है हमें तत्काल इस बात का पता न लगे कि फसल पर कीटनाशी दवाइयों के असर से ऐसा हुआ है लेकिन अमरीका जैसे देश में यदि एक क्षेत्र विशेष के लोग एक विशेष बीमारी के कारण मरते है तो वह खोज करके इस बात का पता लगा लेते हैं कि रोग का मूल कारण क्या था और उन्हें ज्ञात हो जाता है कि यह उस फसल का परिणाम था जिस पर कीटनाशी दवाई का प्रयोग किया गया था। लेकिन हमारे यहां तो पूरा समुदाय नष्ट हो जाए तो भी पता नहीं लगता। अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह सबसे पहले जैव संतुलनों पर विचार करे। इसके अध्ययन हेतु शिमला में एक संस्था है लेकिन यह कुछ अधिक काम नही कर रही है।

उत्तर भारत के बहुत से भागों में हजारों मन अनाज भगवान के नाम पर चूहों को डाल दिया जाता है क्योंकि चूहा गणेशजी का वाहन है। यह बात बहुत गलत है। लोगों को यह बताया जाना चाहिए कि चूहे मनुष्य के शत्रु हैं। चूहों को अनाज डालने वालों को दण्ड दिया जाना चाहिए।

एक व्यक्ति कहां तक खेतों में जाकर कीटनाशी दवाई का छिड़काव कर सकता है यह तभी लाभकारी हो सकता है जबकि इसके उपयोग का ज्ञान कराया जाए या विमान द्वारा छिड़काव कराया जाए। यह प्रक्रिया महंगी तो अवश्य है पर इस तरह कीड़ों-मकौड़ों से छुटकारा तो पाया जा सकता है।

इस कार्य के लिए हमें गांवों के लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि किसी गांव में टिड्डियों का आतंक है तो उस क्षेत्र में दवाई छिड़कने का काम स्कूल के बच्चों को दिया जाए तथा कीड़े-मकौड़ों पर नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है यह बात उन्हें समझाई जाए। इसे उनके पाठ्यक्रम का एक अंग बनाया जाए।

कीटनाशी का उपयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब वह अत्यावश्यक हो। मेरा सुझाव है इस प्रश्न पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की जाए।

श्री मुकुन्दमण्डल (मथुरापुर) : इस विधेयक को लाने के लिए मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं। यद्यपि कीटनाशी अधिनियम, 1968 में बनाया गया और 1971 में लागू हुआ था परन्तु अभी तक केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड और पंजीकरण समिति प्रारंभ से ही प्रभावशाली रूप में काम नहीं कर रही है।

मैं सरकार का ध्यान गंभीर रूप से इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि इन दोनों का पुनर्गठन किया जाए जिससे अधिनियम का सुचारू क्रियान्वयन संभव हो। इस संबन्ध में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में उप समितियां बनाई जाएं जो मूल्यों और उचित वितरण पर नियंत्रण रखेंगी। ये समितियां केन्द्र से निदेश प्राप्त कर और उचित वितरण के लिए निर्देश जारी करेंगी। इससे राज्य सरकारों को कानूनी कार्यवाही करने में मदद मिलेगी।

कीटनाशी के आयात पर रोक लगाई जाए और देश में उसके उत्पादन पर बल दिया जाए। अपने संसाधनों, जनशक्ति और तकनीकी ज्ञान का उचित उपयोग किया जाए। जब तक इसका आयात होता रहता है तब तक मूल्यों पर कड़ा नियंत्रण रखा जाए।

जहां तक पूर्व पूंजीकरण का प्रश्न है, बेइमान वितरक किसानों को लूट रहे हैं। देश में कीटनाशी के वितरण के संबन्ध में अनेक समस्याएं है जिसके परिणामस्वरूप गरीब किसान को अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है। अतः सरकार इस संबन्ध में सावधानी और पूर्व सुरक्षा बरते।

मछलियों के लिए कीटनाशी का उपयोग जन-स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए मंत्री महोदय मछलियों के लिए इनके उपयोग पर या तो रोक लगा दें या इनके दुष्प्रभाव को दूर करने के उपाय करें। जन-स्वास्थ्य की दृष्टि से मछलियों के लिए इसके उपयोग पर पूरी तरह रोक लगा दी जाए और इसका उपयोग करने वालों को दण्डित किया जाए। अतः कानून में इसकी व्यवस्था की जाए।

हमारी दो तिहाई जनसंख्या अशिक्षित है और इनमें अधिकांश किसान है। सरकार को किसानों को कीटनाशी उर्वरकों इत्यादि के उपयोग तथा दुरुपयोग के बारे में शिक्षा देने के लिए आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए। केवल लिखित हिदायतों से लाभ नहीं होगा।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारी अर्थव्यवस्था का भविष्य आर्थिक विकास पर निर्भर करता है अतः हमें संसाधनों का प्रयोग पूरी तरह से कृषि विकास के लिए करना चाहिए।

मैं मंत्री महोदय से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या उपयोग से पहले कीटनाशी के रासायनिक तत्वों की जांच सरकारी प्रयोगशाला में किया जाता है? क्या किसानों को कीटनाशी दवाइयों के फसलों और मिट्टी पर होने वाले अल्पकालिक अथवा दीर्घकालिक प्रभाव के बारे में जानकारी दी जाती है। क्या स्वदेशी प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से देश में कीटनाशी बनाने की कोई योजना है? क्या सरकार जैव संतुलनों को बनाए रखना चाहती है क्योंकि कीटनाशी दवाइयों का प्रयोग अब काफी किया जा रहा है? सोवियत संघ के कृषि अनुसंधान क्षेत्र ने बताया है कि रासायनिक कीटनाशी दवाइयों के बार-बार प्रयोग से जैव असंतुलन पैदा होता है। इसीलिए वहां की सरकार इनके प्रयोग को प्रोत्साहित नहीं करती।

बिना सोचे विचारे कीटनाशी दवाओं का उपयोग हानिकारक सिद्ध होता है। इससे जैविक प्रक्रिया नष्ट हो जाती है। अतः मेरा सुझाव है कि कीटनाशी दवाओं का उपयोग करने से पहले इनकी जांच की जाये।

श्री पी० के० कोदियान (अडूर) : यह संशोधन विधेयक सराहनीय उपाय है। कीटनाशी दवाओं के वितरण उत्पादन और उपयोग के प्रश्न पर सरकार ने गंभीरता से विचार नहीं किया है। इसके फलस्वरूप यह एक समस्या बन गया है और इसका हमारे पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ा है। ऐसा लगता है सरकार इस सम्बन्ध में बहुत उदासीनता अथवा नरमी से काम कर रही है। मूल अधिनियम, 1968 में पास हुआ था और नियम बनाने में सरकार को चार वर्ष लगे और अधिनियम 1972 में लागू हुआ। अधिनियम

के लागू करने से हुए अनुभवों के आधार पर ही सरकार ने ये संशोधन पेश किए हैं। इनकी उचित जांच के लिए अधिनियम में पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। किसानों को इनके उपयोग के बारे में उचित रूप से जानकारी नहीं दी गई है। इससे जनस्वास्थ्य को बहुत हानि या खतरा हो सकता है। अधिकतर कृषि मजदूर अशिक्षित है और वे ही कीटनाशक दवाओं का उपयोग करते हैं। इससे वे बीमारियों के शिकंजे में आ जाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं और इससे उन्हें मुआवजा देने की कोई व्यवस्था नहीं है। कर्नाटक के कुछ जिलों में हरिजनों और मछेरों को कीटनाशक दवाओं का अधिक उपयोग करने से कई प्रकार की रहस्यमय बीमारियां लग गईं। किन्तु प्रश्न इसके उत्पादन और वितरण का नहीं है अपितु इसके सीमित सीमा में उचित उपयोग का है। केन्द्र या राज्य सरकारों ने इनके उपयोग का ज्ञान किसानों को कराने का कोई प्रबन्ध नहीं किया है। इस विधेयक में कीटनाशक दवाओं के उत्पादकों और वितरकों के पंजीयन की ही व्यवस्था की गई है।

इस क्षेत्र में भी लघु उद्योगों के साथ भेद-भाव किया गया है। लघु उद्योग क्षेत्र की यह शिकायत है कि पंजीयन समिति सारहीन आधारों पर पंजीकरण के आधार पर प्रार्थना पत्र रद्द कर देती है। उनसे उसका फार्मूला बनाने को कहा जाता है जिसके बताने की उन्हें आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे तो केवल उनके पैकिंग का काम करते हैं। यह प्रश्न तो मूल निर्माताओं से ही किया जाना चाहिए। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इन शिकायतों की ओर ध्यान दिया जाये।

Shri Jagdambi Prasad Yadav (Godda) : Germany had started production of soap powder and detergent powder, but the same having been found very dangerous for crops has been banned there. But in four country it is being freely manufactured. Similarly, the production of certain other insecticides has been stopped in foreign countries as they have been found injurious to plant life as well as human life. Our farmers are mostly illiterate and use these insecticides freely which causes air pollution and poses grave danger to human life. It appears our agricultural and scientists have not paid adequate attention to this aspect. Therefore, steps should be taken to educate our farmers about the proper utilisation of these insecticides so that crops can be saved from the poisonous effect of these insecticides. These steps should also be taken to control the prices of the insecticides. I would like to know what steps are being taken to reduce the prices of these insecticides and pesticides and at the same time efforts should be made to educate the farmers to make proper use of these insecticides.

श्री सौगात राय (बैरकपुर) : यह विधेयक सराहनीय है क्योंकि कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत पंजीकरण अधिकारियों को और अधिक अधिकार दिए जा रहे हैं। लेकिन इस कीटनाशी बोर्ड ने किसी विशेष कीटनाशी दवा की विषाक्तता के बारे में सरकार को कभी कुछ सलाह नहीं दी है और इसीलिए यह बोर्ड अपने कर्त्तव्य पालन में असफल रहा है। इसमें भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है। मंत्री महोदय को इस मूल समस्या की जांच करनी चाहिए कि क्या कीटनाशी अधिनियम का पालन किया भी जाता है। अतः इस पंजीकरण समिति को केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड के अन्तर्गत और अधिक अधिकार क्यों दिए जा रहे हैं ?

जहां तक कुछ कीटनाशी दवाओं की विषाक्तता का संबन्ध है यह सिद्ध हो गया है कि ये पैराथियोन पौधों और जन जीवन के लिए विषाक्त है। अतः इस बोर्ड की सिफारिश से हमें इसका उत्पादन करना बन्द कर देना चाहिए था। लेकिन आज तो इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए लाइसेंस भी जारी किया जा रहा है। और सरकार का इसके उत्पादन पर कोई नियंत्रण नहीं। इस पर तो प्रतिबन्ध ही लगा देना चाहिए और इसके लिए कठोर कानून बनाए जाने चाहिएं।

कीटनाशी दवाओं का निर्माण बड़ी और बहुराष्ट्रिक कम्पनियां ही करती हैं। आई०सी०आई० और टाटा भारत में इनका बड़े पैमाने पर निर्माण करते हैं। लेकिन इनकी वितरण व्यवस्था अभी तक

नहीं बन पाई है। इसके फलस्वरूप सामान्य किसान बहुराष्ट्रिक और बड़ी कम्पनियों की दया पर रहता है। अतः मंत्री महोदय स्पष्ट आश्वासन दें कि कीटनाशी दवाओं के वितरण के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में होगी। यह वितरण व्यवस्था सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की प्रणाली के आधार पर ही होगी।

जहां तक इनके मूल्य का संबन्ध है, औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरों ने इन कीटनाशी दवाओं के मूल्य ढांचे की जांच की है तथा कुछ सिफारिशें भी दी हैं। यदि उन्हें कार्यान्वित किया जाए तो इनका मूल्य गिर सकता है। मंत्री महोदय को यह स्पष्टीकरण करना चाहिए कि कीटनाशी दवाओं के मूल्य नियंत्रण में रखने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

यह समर्थन करने योग्य विधेयक है क्योंकि सरकार हमारे पर्यावरण को दूषण से मुक्त रखने की दृष्टि से परिस्थितिक संतुलन बनाने हेतु कुछ कदम उठा रही है। पर्यावरण, परिस्थिति, वितरण या मूल्य के प्रश्न पर आशा है सरकार एक व्यापक विधेयक लाएगी।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : यह लघु और सराहनीय उपाय है। मूल अधिनियम में केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड और पंजीकरण समिति बनाने का प्रस्ताव है। लेकिन प्रशासन की दृष्टि से इन दोनों विभागों का एक ही सचिव चला आ रहा है। एक ही व्यक्ति दो विभिन्न कार्य नहीं कर सकता। अतः प्रशासन के मामले में यह खामी दूर की जानी चाहिए।

कीटनाशी उद्योग पर आज भी बड़े एकाधिकार वादी गृहों और बहुराष्ट्रिक कम्पनियों का नियंत्रण है। यह आम शिकायत है कि किसानों के प्रयोग के लिए मूल तकनीकी विषाक्त पदार्थों को सूत्रबद्ध करने के इच्छुक आवेदकों के साथ पंजीकरण समिति न्याय नहीं कर रही है। उन्हें उत्पादन का अवसर नहीं दिया जा रहा है और ना ही उन्हें लाइसेंस दिए जा रहे हैं। केवल एक चौथाई आवश्यकता ही पूरी हो रही है। अतः और उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है। तथा आगे का उत्पादन बहुराष्ट्रिक कम्पनियों और बड़े एकाधिकार वादी गृहों से नहीं कराया जाना चाहिए। इससे लघु उद्योग का दावा समाप्त हो जाएगा।

फिर इस पंजीकरण समिति ने यह अनिवार्य कर दिया है कि छोटे या लघु विनिर्माताओं को अपने उत्पादों का प्रौद्योगिकी और जैविक प्रभावोत्पादकता के आंकड़े प्रस्तुत करने होंगे, लेकिन यह कार्य बहुत खर्चीला या मंहगा है। अतः आवेदक यह शर्त पूरी नहीं कर सकते और इसीलिए अधिकांश आवेदन पत्र रद्द कर दिए जाते हैं। आरोप लगाया गया है कि पंजीकरण समिति में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी टाटा या बहुराष्ट्रिक कम्पनियों के साथ साठगांठ है जो यह चाहते हैं कि इन उत्पादनों का उत्पादन न बढ़ने पाए। क्योंकि यह लघु उद्योग एजेंसियों के द्वारा इनका उत्पादन बढ़ गया तो उनके हितों को धक्का लगने की संभावना है। अतः मंत्री महोदय यह बताएं कि यह कहां तक सही है और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि इनको उचित रूप से सूत्रबद्ध किया जाए। इस मामले में सरकार या पंजीकरण समिति को आनुषंगिक उत्पादों का ब्यौरा देना चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : क्या सरकार ने सीमान्त और छोटे किसानों की कीटनाशी दवाओं की क्रय शक्ति का भी पता लगाया है क्योंकि कीटनाशी दवाओं को उठाने वाला कोई दिखाई ही नहीं देता है और इनके बहुत अधिक भण्डार हो गये हैं। कीटनाशी दवाओं के मामलों को देखने वाली लोक लेखा समिति ने इन दवाओं का निर्माण करने वाले संस्थानों के सम्बन्ध में अपनी राय दी है। इस समिति ने अपने 152वें प्रतिवेदन में घटिया या कम प्रभाव वाली कीटनाशक दवाओं के उत्पादन के

सम्बन्ध में कुछ निष्कर्ष दिए हैं । इन खामियों का ठीक समय पर प्रचार करने में उनकी असफलता अत्यन्त गम्भीर मामला है। इससे सारा मामला ही बेकार हो जाता है । अब तो बहुत से कीडों-मकौडों पर इन कीटनाशक दवाओं का कुछ प्रभाव ही नहीं होता है । इन दवाओं का समुचित परीक्षण नहीं होता है । इस समिति ने चार गैर सरकारी कीटनाशक दवाओं का निर्माण करने वाली कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की राय दी है ।

सरकारी क्षेत्र के कीटनाशी दवाएं बनाने वाले उपक्रम गैर सरकारी कम्पनियों से कीटनाशक दवाएं लेती हैं, जो बहुत ही गम्भीर मामला है । इस तरह घटिया किस्म की कीटनाशी दवाएं किसानों को दी जाती हैं ।

कीटनाशी दवाओं का उत्पादन करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रम जानबूझ कर बड़े-बड़े व्यापार वालों के हाथों में खेल रहे हैं। इसीलिए किसानों को घटिया और कम प्रभाव वाली कीटनाशक दवाएं खरीदनी पड़ती हैं ।

संरक्षण और भ्रष्टाचार के मामले भी हैं । इन सभी मामलों की जांच की जानी चाहिए ।

कुछ किस्म की कीटनाशक दवाओं पर विदेशों में प्रतिबन्ध लगा दिया गया है । इस विधेयक में भी कुछ ऐसी ही सराहनीय बातें हैं । मंत्री महोदय को इन दवाओं का ब्यौरा देना चाहिए जिनपर विदशों में प्रतिबन्ध लगा हुआ है । सदन को आश्वासन दिया जाय कि विदेशों में प्रतिबन्धित कीटनाशी दवाओं पर हमारे देश में भी प्रतिबन्ध लगाया जाये :

Shrimati Chandra Vati (Bhiwani) : I stand to support this Bill. Pesticides and insecticides are used to save food grains from various kinds of pests and we should be very careful and cautious in handling these insecticides and pesticides while producing and utilising them otherwise carelessness might result in damage to the crop and to the user also and country is put to loss. These pesticides are useless to some crops and those crops are damaged. Even then I would request the Government that only those pesticides should be released for use which are fully and duly tested and are absolutely foolproof. There are instances when the use of certain pesticides has destroyed crops. This matter should be looked into.

Some kinds of rodents or pests destroy bajra, moong, Gwar etc. There is no effective pesticide to save these crops. Similarly there is not effective pesticide to control and destroy field rats which cause great damage to our food grains in storage also. Unless the pesticides and insecticides are thoroughly tested they should not be released for use.

Some pesticides which have been rejected in foreign countries are still in use in our country. Government should look into these matters. I would request the hon. Minister that seeds should be supplied to the farmers after proper tests, because it had been found that sub-standard seed was supplied to the farmers. It might be the result of some inaccuracy in the experiments. But it is of utmost importance that seed be supplied to the farmers after due experiments.

Mustard and bajra crops in Haryana are destroyed by insects. Arrangements should be made for spraying insecticides. So that the crops are saved.

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : उपाध्यक्ष, महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया है, मैं उनके प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूं। सामान्यतया अधिकांश सदस्यों ने विधेयक का समर्थन किया है।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह धारणा व्यक्त की है कि कीटनाशी दवाओं का देश में उत्पादन नहीं होता और अधिकांश कीटनाशी दवायें विदशों से आयात की जाती हैं । मैं माननीय सदस्यों को बताना

चाहता हूं कि अधिकांश कीटनाशी दवाओं का उत्पादन देश में ही होता है । हमारी वर्तमान आवश्यकता 53000 टन है, जिसमें से आयात की मात्रा 5000 टन से भी कम है

कुछ माननीय सदस्यों ने आशंकायें व्यक्त की हैं कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां और एकाधिकारवादी गृह कीटनाशी दवाओं के उत्पादन में लगे हुए हैं। उनकी जानकारी के लिए मैं कुछ तथ्य पेश करना चाहता हूं । सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को 13140 टन कीटनाली दवाओं के उत्पादन के लिए आशय पत्र दिये गये हैं तथा मध्यम और छोटे उद्योगों को 26,880 टन के आशय पत्र दिये गये हैं । अतः हम मध्यम और लघु क्षेत्र को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन दे रहे हैं ।

कीट नियंत्रण और चूहों पर नियंत्रण के बारे में कुछ सुझाव दिये गये हैं । मैं बताना चाहता हूं कि जहां तक चूहों पर नियंत्रण पाने का सम्बन्ध है हम ने सहायता देने की योजना बनाई है जिस के अनुसार 50 प्रतिशत तक की सहायता दी जाती है । चूहों की संख्या पर नियंत्रण पाने के लिए हर संभव उपाय किये जा रहे हैं ।

इसी प्रकार खरपतवार नियंत्रण कार्यक्रम भी आरम्भ किया गया है । खरपतवार नियंत्रण कार्य के लिए बजट में एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ।

हिमाचल प्रदेश के एक माननीय सदस्य ने आलू को लगने वाले कीड़े का उल्लेख किया था। जहां तक हिमाचल में आलू पर लगने वाले कीड़े का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार 3 रुपये प्रति एकड़ की दर से 24000 एकड़ के लिए सहायता दे रही है । जहां तक "सेब स्टैक" की नई बीमारी का सम्बन्ध है, सरकार इस समस्या के प्रति जागरूक है और राज्य सरकार की सहायता से इस बीमारी पर नियंत्रण पाने का प्रयास कर रही है।

गुण नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है । अनेक राज्यों ने गुण प्रकार नियंत्रण के लिए राज्य प्रयोगशालायें स्थापित की हैं और उन्हें 50 प्रतिशत सहायता दी जा रही है । इसके अतिरिक्त इस तंत्र को सशक्त करने के लिए 244 उत्पादन निरीक्षक नियुक्त किये गये हैं । इस कार्य के लिए भी केन्द्र द्वारा 50 प्रतिशत सहायता दी जा रही है ।

माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि कीटनाशी दवाओं के प्रयोग के लिए समुचित प्रचार होना चाहिए । जहां तक कीटनाशी दवाइयों के प्रयोग के बारे में प्रचार करने का सम्बन्ध है, विस्तार एजेंसियां यह कार्य कर रही हैं । कीटनाशी दवाओं और इन के प्रभाव के बारे में किसानों को अधिकाधिक जानकारी देने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु ने उन कुछ मदों के बारे में, जिन पर विदेशों में प्रतिबन्ध लगा दिया गया है और यहां प्रयोग करने की अनुमति है, जानकारी चाही थी । मैं विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों से इस सम्बन्ध में जानकारी एकत्र करूंगा और आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि कीटनाशी अधिनियम, 1968 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पास किये रूप में, विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill

खण्ड 3

श्री पी० राजगोपाल नायडू : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि पृष्ठ 2, पंक्ति 23 में "एक वर्ष" के स्थान पर "छः महीने" प्रतिस्थापित किया जाये ।

माननीय मंत्री ने कहा है कि उन्होंने अवधि को दो वर्ष से घटा कर एक वर्ष कर दिया । क्या आवेदनपत्रों के निपटारे के लिए एक वर्ष की अवधि नितान्त आवश्यक है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : जी हां ।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : मैं सभा की अनुमति से अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

The amendment was, by leave, withdrawn

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्य यह है :—

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3 was added to the Bill

खण्ड 4—9, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़े गये ।

Clauses 4—9. clause 1, the enacting formula and the Title were added to the Bill

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक पास किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक पास किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

पेट्रोलियम (संशोधन) विधेयक
PETROLEUM (AMENDMENT) BILL

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नेन्डीस) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इस विधेयक में पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 में कुछ औपचारिक परिवर्तन करने का प्रस्ताव है । ये परिवर्तन इस लिए जरूरी हो गये, क्योंकि अधिनियम में नियम बनाने और उन्हें लोक सभा के सम्मुख प्रस्तुत करने का कोई उपबन्ध नहीं है । 1974 में लोक सभा की अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ने यह सिफारिश की थी कि जिस अधिनियम में ऐसा उबपन्धन हो उसमें यह संशोधन यथा शीघ्र किया जाये, जिस से कि सभा के सम्मुख नियम पेश किये जा सकें ।

इस अवसर का लाभ उठाते हुए हम धारा 26, 27 और 28 में भी दो साधारण से परिवर्तन करना चाहते हैं । ये परिवर्तन मामूली से भले ही हों लेकिन महत्वपूर्ण हैं । विधेयक में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं किया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

Shri Vinayak Prasad Yadav (Saharsa) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I move the motion that the Bill further to amend the Petroleum Act, 1934 be referred to a Select Committee consisting of seven members, namely :—

(1) Shri George Fernandes
(2) Shri Ram Avdhesh Singh
(3) Dr. Ramji Singh
(4) Shri Ramjiwan Singh
(5) Shri Ramapati Singh
(6) Shri Hukam Dev Narain Yadav, and
(7) Shri Yuvraj

with instr uctions to present their report by 1st October, 1977.

Shri George Fernandes : Mr. Deputy Speaker,Sir, the Bill contains no major change in the Act. The changes are very minor and the only provisions that are being made in the Bill are that the rule made under the Act should be placed before Parliament The Sub ordinate Legislation Committee had made this recommendation and the bill has been bro ught in pursuance of that recommendation and the voices raised by the hon. Membere There is nothing in the Bill for the consideration of the Select Commtee. So I request th hon. Me mber to withdraw his amendment.

Shri Vinayak Prasad Yadav : In view of the hon. Minister's clarification I withdraw my amendment, but I feel that major changes are required in the Act.

Mr. Deputy Speaker : That can be done afterwards. You will get an apportunity to speak afterwards. Therefore he withdraws his amendment. He has a sort of not moved it because it is in the moving stage now.

श्री वयालार रवि (चिरंचिकील) : यद्यपि यह विधेयक विवादग्रस्त नहीं है तथापि मैं मंत्री महोद य का ध्यान कुछ बातों की ओर दिलाना चाहता हूं । कोचीन तेलशोधन कारखानों जैसे कुछ कारखानों में असंतोष है । मैंने यह बात श्री बहुगुणा से भी कही थी । श्री फर्नेन्डीज श्रमिक नेता थे । उन को यह जान कर आश्चर्य होगा कि मंत्रालय में 30 महीनों से मांगें लम्बित हैं इसलिए कर्मचारी हड़ताल पर है ।

यह केवल कोचीन तेलशोधन कारखाने की ही स्थिति नहीं है । एच० एम० टी० और बी० एच० ई० एल० में भी श्रमिक अशान्ति है । मंत्री महोदय को इस बारे में अवश्य कुछ करना चाहिए ।

कल के समाचारपत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि गत चार महीनों के दौरान 42 लाख जन दिवसों की हानि हुई है । कोई भी संसद् सदस्य यह नहीं चाहता कि जन दिवसों की हानि हो । उत्पादन और विकास के लिए राष्ट्रीय अभियान होना चाहिए ।

एक ओर तो समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ था कि 42 लाख मानव दिवसों की हानि हुई है और दूसरी ओर यह प्रकाशित हुआ था कि श्री फर्नेन्डीज ने डबलीन में ग्रामों से गरीबी मिटाने के लिए भारी सहायता की मांग की है । सरकार एक सांस में तो कहती है कि वह दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहेगी और दूसरी सांस में भारी सहायता की मांग करती है । यह समझ में नहीं आता कि सरकार का रवैया क्या है ? क्या इस तरह भीख मांगना उचित है ? अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार

की नीति क्या है ? क्या वह आत्मनिर्भर हो कर देश को आगे बढ़ाना चाहती है अथवा विदेशी सहायता पर निर्भर रहना चाहती है ?

महोदय, एशिया के देशों में क्या हुआ है चाहे यह थाईलैंड हो, पाकिस्तान अथवा मलेशिया। जहां कहीं भी अमरीका ने कदम रखा, उन्होंने सरकार को गिरा दिया और अपनी कठपुतली सरकार को गद्दी पर बिठा दिया। यह इतिहास है। इसलिए मुख्य प्रश्न यह पैदा होता है कि क्या आप विदेशी सहायता पर निर्भर रहना चाहते हो अथवा आत्मनिर्भर बनना चाहते हो ?

Shri Vinayak Prasad Yadav (Saharsa) : Mr. Deputy Speaker, Sir, while supporting the Bill moved by the hon. Minister, I would like to draw his attention to the prices of petroleum. The prices of petroleum products have touched un imaginative heights during the recent years. Very few could afford a car now. The fares of buses and trucks have gone up many times on account of high prices of petrol.

Diesel is required by the agriculturists for their tractors. Even diesel has become so costly that it has gone beyond the means of an agriculturist to use tractor or to use a pump for irrigating land. Besides kerosene which is the main source of lighting in the villages has become very costly. The machinery entrusted with the distribution of all these products is also far from satisfactory. I would, therefore, urge upon the Government to take effective measures to reduce the price of petroleum products and to see that these are easily available to the common man.

I would suggest that Government should bring a comprehensive Bill, which should incorporate other useful amendments also.

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : यह एक छोटा सा विधेयक है तथा इस के बारे में कोई विशेष आपत्ति की बात नहीं है। यह संशोधन विधेयक अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की सिफारिश के अनुसरण में लाया गया है। मैं केवल एक या दो बातें ही कहूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि उद्योग मंत्री को जिस के पास भारी उद्योग विभाग, लघु और कुटीर उद्योग तथा तकनीकी विकास महानिदेशालय का भार भी है, इस छोटे से विधेयक को पास कराने के लिए एक घंटे तक बैठना पड़ा है। इसका मुख्य कारण यह है कि सरकार मंत्रि परिषद् को पूरा नहीं कर पाई है, अन्यथा कोई राज्य मंत्री अथवा उप मंत्री भी इस विधेयक का कार्यभार सम्भाल सकता था।

भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, भोपाल में गत 11 दिनों से हड़ताल है। सरकार को पहले ही पांच करोड़ रुपये की हानि हो चुकी है। परन्तु उद्योग मंत्री के पास इस समस्या पर ध्यान देने के लिए समय नहीं है। किसी को इन छोटी छोटी बातों का प्रभार लेना चाहिए ताकि उद्योग मंत्री बड़े सरकारी उपक्रमों में हड़तालों की समस्या को हल करने के महत्वपूर्ण मामले पर अपना ध्यान केन्द्रित कर सकें।

मंत्री महोदय को अन्य देशों के साथ हुए करारों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। अभी हाल में वह विदेश यात्रा पर गये थे। हमें इस में कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु उन्होंने लन्दन में जो वक्तव्य दिया है, वह बहुत आश्चर्यजनक है। उन्होंने कहा है कि अब राष्ट्रीयकरण अथवा अधिग्रहण नहीं होगा। यह आश्चर्य की बात है कि उन जैसा श्रमिक नेता ऐसी बात कहे। मैं इस बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसू (डायमंड हार्बर) : मैं मंत्री महोदय का ध्यान बम्बई हाई से ट्राम्बे तक पाईप लाइन के ठेके की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह ठेका 'डेमान' को दिया गया हालांकि

उनका टेंडर ऊंचे मूल्य का था । योजना आयोग और मंत्रालय ने एक विशिष्ट मार्ग निर्धारित किया था परन्तु मार्ग बदल दिया गया और मार्ग की किलो मीटर लम्बाई बढ़ा दी गई । कमीशन के रूप में भारी राशि दी गई । मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस पर प्रकाश डालें और साथ में यह भी बतायें कि इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ।

जहां तक कोचीन में फिलिप्स पेट्रोलियम का सम्बन्ध है यह डंकन ब्रादर्स के सहयोग से बनाया गया है । अमरीकी निदेशकों को स्विटजरलैंड में काफी राशि रखने के लिये दण्डित किया गया था और जब न्यायालय में उनसे पूछा गया तो उन्होंने स्वीकार किया कि यह राशि सत्तारूढ़ भारतीय राजनीतिज्ञों और इस विषय से सम्बन्धित अधिकारियों को देने के लिए रखी गई थी । सरकार इस मामले में पूरा ब्यौरा दे क्योंकि यह एक गम्भीर मामला है और इस पर विचार किये जाने की आवश्यकता है ।

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नेन्डीस). पेट्रोलियम अधिनियम का मुख्यत. सम्बन्ध पेट्रोलियम की सप्लाई और परिवहन के साथ है । मेरे मंत्रालय का सम्बन्ध अन्य वस्तुओं के साथ-साथ विस्फोटकों, विस्फोटकों की सप्लाई और सुरक्षा के साथ है और पेट्रोलियम चूंकि विस्फोटक तत्व है, अत. प्रशासन के सम्बन्ध में यह विषय भी पेट्रोलियम अधिनियम के अन्तर्गत आता है ।

माननीय सदस्यों ने पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य एवं वितरण समस्याओं तथा पाईप लाइन ठेकों एवं सहयोग के बारे में प्रश्न उठाये हैं । ये मामले मैं अपने मंत्रिमण्डल के सहयोगी को भेज दूंगा ।

जहां तक देश की औद्योगिक नीति का सम्बन्ध है; उसपर पुनः विचार चल रहा है । औद्योगिक नीति सिद्धान्त नहीं है और न ही 1956 का संकल्प सिद्धान्त है। लेकिन नीति में मूलभूत परिवर्तन सदन की स्वीकृति से करना होगा । मैंने बार-बार यह बताया है कि हमने मूलभूत परिवर्तन करने पर विचार नहीं किया । यह प्रश्न भी पूछा गया है कि क्या उद्योगों का राष्ट्रीयकरण समाप्त करने का प्रस्ताव है । मैंने उत्तर दिया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । तब मुझ से पूछा गया कि क्या कुछ उद्योगों का तत्काल राष्ट्रीयकरण करने का प्रस्ताव है । इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । मैंने सही बात बताई थी और नीति से हटकर कुछ नहीं कहा । भोपाल में भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड में हड़ताल की बात कही गई है । मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि विवाद हल हो चुका है और आज शाम ढाई बजे से भोपाल में काम शुरू हो चुका है । कलमेसरी की समस्या भी है । केरल के संसद् सदस्यों की बैठक बुलाई गई है ताकि कुछ प्रस्तावों पर चर्चा की जा सके । मुझे आशा है कि विवाद हल हो जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करते हैं ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 5 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2 to 5 were added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 1, the enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री जार्ज फर्नेन्डीस : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

(श्री धीरेन्द्रनाथ बसु पीठासीन हुए)

[SHRI DHIRENDRANATH BASU IN THE CHAIR]

चाय (संशोधन) विधेयक

TEA (AMENDMENT) BILL

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि चाय अधियियम, 1953 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

चाय अधिनियम, 1953, 1 अप्रैल, 1954 को लागू हुआ था और इसके अधीन चाय बोर्ड का गठन किया गया था जिसका कार्य देश के चाय उद्योग की देखरेख तथा विकास करना था । चाय बोर्ड में उपाध्यक्ष का पद कई वर्षों से चला आ रहा है परन्तु अभी तक चाय अधिनियम के अधीन उसे प्राधिकार नहीं दिए गए हालांकि चाय उपनियम, 1955 में उसके पद का उल्लेख है । वस्तुतः जब अध्यक्ष दौरे पर बाहर गया होता है या मुख्यालय से बाहर गया होता है या अन्यथा अक्षम होता है, तो उपायध्क्ष, अध्यक्ष की शक्तियों का उपयोग करता है । चाय अधिनियम में इस पद के शामिल न होने पर इस पद के लिए सांविधिक अधिकार और कर्त्तव्य नहीं थे । इस दोष को दूर करने के लिए चाय अधिनियम, 1953 में इस पद को शामिल करने का प्रस्ताव है । इस पद के लिए स्पष्ट रूप से अधिकार और कर्त्तव्य विनिर्दिष्ट करने का प्रस्ताव है ।

इस समय 1000 रुपये या इसके अधिक वेतनमान वाले पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार के पास है । दूसरे तथा तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप वेतनमान बढ़ गए हैं और पदों पर नियुक्ति करने का चाय बोर्ड का अधिकार काफी कम हो गया है । चाय उद्योग के विभिन्न पहलूओं और चाय बोर्ड के प्रशासन एवं कार्यकरण की जांच के लिए वर्ष 1953 में एक कमी

दल बनाया गया था । इसने यह सिफारिश की थी कि चाय बोर्ड को अन्य अधिकारों के साथ 1800 रुपये के वेतनमान वाले अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार दिया जाए। चूंकि 1800 रुपये का कोई वेतनमान नहीं है जो 1800 रुपये पर समाप्त होता हो और वहां वर्तमान वेतन 1300–1700 रुपये है, चाय बोर्ड ने सुझाव दिया है कि यह सीमा घटाकर 1700 रुपये कर दी जाए । प्रस्तावित संशोधन में इसे कार्य रूप देने का विचार है ।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की सिफारिशों के अनुरूप संसद के समक्ष में चाय अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) के खण्ड 2 में संशोधन करने का

Shri Vinayak Prasad Yadav (Saharsa) : I beg to move :

"That the Bill be circulated for eliciting opinion thereon by the 15th October, 1977."

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : चाय बोर्ड में बड़े उत्पादकों की धाक है । चाय बोर्ड का कार्यकरण अब भी बड़े उत्पादकों को लाभ पहुंचाने वाला है । पूरे चाय अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता है । उपाध्यक्ष के पद की क्या जरूरत है जबकि अधिनियम की आवश्यकताएं बिल्कुल पूरी नहीं की जा रहीं ।

चाय बोर्ड अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों को लाभ पहुंचाने के लिये उत्पादन को नियमित कर रहा है । बोर्ड को चाय की किस्म का कोई ज्ञान नहीं है । अतः चाय की किस्म को सुधारने का प्रश्न नहीं उठता।

चाय के विक्रय और निर्यात के क्षेत्र में चाय बोर्ड अभी तक बुरी तरह असफल रहा है । चाय उत्पादकों को ब्रुक बांड और लिपटन तथा अन्य भारतीय तथा विदेशी कम्पनियों की कृपा पर छोड़ दिया गया है ।

बोर्ड का एक काम भारत में तथा बाहर चाय के व्यापार में सुधार करना है । भारत में चाय की कीमत इतनी अधिक है कि आम आदमी इसे खरीद नहीं सकता । विदेशों के मामले में, वे बाजार की अन्तिम कीमत का 25% से 30% तक स्वदेश नहीं भेज सकते ।

बागान उद्योग अत्यन्त श्रम प्रधान है । मजदूरों के लिये गत 30 वर्षों में क्या किया गया ? ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां चाय बोर्ड प्राधिकारियों के साथ बड़े-बड़े व्यापारी सांठ-गांठ करके मजदूरों के लिये आवासीय योजनाओं एवं अन्य सुविधाओं में गड़बड़ी डालते हैं । मंत्री महोदय यह बतायें कि नौकरी सुरक्षा, लाभांश, बोनस, चिकित्सा सुविधाएं आदि सुविधाएं प्रदान की गई हैं ।

भारतीय चाय व्यापार निगम ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है । वर्तमान शासन के अधीन यह स्थिति और खराब हो गई है । ऊपरी खर्चे बढ़ गये हैं, हालांकि उत्पादन बढ़ा है परन्तु लाभ घटा है । इस निगम पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाना चाहिये ।

हमारे यहां चाय बोर्ड, काफी बोर्ड, रबड़ बोर्ड, काली मिर्च बोर्ड, इलायची बोर्ड, नारियल जटा बोर्ड तथा नारियल बोर्ड हैं । इन सभी बोर्डों में अध्यक्ष, उपसचिव या संयुक्त सचिव होता है । इन बोर्डों की बैठकों में संसद सदस्य होते हैं । वरीयता के क्रम में उनकी स्थिति अध्यक्षपीठ से कहीं ऊंची होती है । यह एक परस्पर विरोधी बात है तथा सदस्यों के लिये अपमान की बात है । इस स्थिति को शीघ्र समाप्त किया जाना चाहिये । इस बोर्ड की बैठकों का आयोजन इस प्रकार किया जाये कि उसकी अध्यक्षता वरिष्ठतम व्यक्ति द्वारा की जाये । चाय बोर्ड को स्वायत्त निकाय कहा जाता है । परन्तु प्रत्येक काम के लिये, चाहे 20 फाइलों की खरीद का मामला ही क्यों न हो, उन्हें दिल्ली लिखना पड़ता है । इस मामले की जांच की जाए ।

देश में बागान उद्योग बहुत बड़ा है और अर्थ-व्यवस्था की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है । अतः इस पर मंत्री स्तर पर ध्यान दिया जाये । बागान मंत्रालय की स्थापना की जाये ।

वायदा बाजार बुराई आज का फैशन हो गया है क्योंकि वे उत्पाद शुल्क की अदायगी से बचना चाहते हैं । यदि कोई बागान मालिक नीलामी किये बिना चाय बेचना चाहता है तो भारतीय चाय व्यापार निगम को वायदा बाजार में मिलने वाली सारी चाय खरीद लेनी चाहिय । वायदा बाजार केवल भारतीय चाय व्यापार निगम के साथ ही किया जाना चाहिये ।

चाय कम्पनियां उन कम्पनियों की सूची में सबसे ऊपर हैं जिन्होंने अपने विदेशी साभ्य पूंजी को नहीं मिलाया है । मंत्री महोदय चुप क्यों हैं ? वह उन्हें अपनी शेयर पूंजी को मिलाने के लिये विवश इसलिए नहीं करते क्योंकि ऐसा करना विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक है ।

चाय उद्योग का राष्ट्रीयकरण ही एक हल है । सबसे पहले विपणन का राष्ट्रीयकरण किया जाये । कॉफी के मामले में एक बार जब कॉफी की फलियां तोड़ने के लिये तैयार हो जायें तब वे सरकारी सम्पत्ति बन जायें । विपणन का कार्य कॉफी बोर्ड के हाथों में है । चाय के लिये भी ऐसा ही होना चाहिये । फैक्टरी से बाहर काली चाय के आते ही वह सरकारी सम्पत्ति बन जाये । मंत्री महोदय को विशेषज्ञों का एक दल बनाना चाहिये ? जो उन्हें विभिन्न चाय बागान उद्योगों के सम्बन्ध में परामर्श दे सके । तभी प्रगति की जा सकती है ।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : यह विधेयक केन्द्रीय सरकार को ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करने का अधिकार देता है जिनका वेतन 1700 रुपये से अधिक है । इसके उपाध्यक्ष के पद को कानूनी रूप देने की व्यवस्था करता है, जो कि पहले से ही चाय बोर्ड में है ।

सरकार द्वारा चाय बोर्ड के कर्मचारी को दी जाने वाली राशि की कोई सीमा होनी चाहिए । दूसरे चाय बोर्ड में उपाध्यक्ष की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि इस बोर्ड में उच्चाधिकारियों की संख्या पहले ही बहुत अधिक है।

चाय बोर्ड के गठन में आमूल चूल परिवर्तन लाना होगा । इस समय उद्योग के प्रतिनिधियों की संख्या उपभोक्ताओं और श्रमिकों के प्रतिनिधियों की संख्या से कहीं ज्यादा हैं । गठन में परिवर्तन करके श्रमिकों और उपभोक्ताओं को अधिक प्रतिनिधित्व देना होगा ।

पूर्वी भारत के चाय उद्योग में दक्षिण भारत की तुलना में एकाधिकार गृहों द्वारा अधिक पूंजी निवेश किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप गत 4 या 5 वर्षों से पूर्वी भारत के चाय उद्योग में रुग्णता आती जा रही है और आये दिन एक न एक बागान रुग्ण हो जाता है । सरकार को सभी रुग्ण बागानों को अपने हाथ में लेना चाहिए तथा सम्पूर्ण चाय उद्योग को अपने हाथ में लेने की योजना बनानी चाहिए ।

चाय बोर्ड का एक मुख्य कार्य भारतीय चाय को विदेशों में लोकप्रिय बनाना है । भारतीय चाय का निर्यात श्रीलंका की चाय के निर्यात की तुलना में धीरे-धीरे कम होता जा रहा है और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी विपणन प्रणाली दोषपूर्ण है । भारतीय चाय बोर्ड भारतीय चाय को लोकप्रिय नहीं बना सका। यह बोर्ड एक ही प्रचार करता है । 'चाय पीओ' लोग इस ओर विशेष आकर्षित नहीं होते और भारत की चाय की तुलना में श्रीलंका की चाय पीते हैं । अतः भारतीय चाय पर जोर दिया जाना चाहिए । चाय बोर्ड को पैकिंग उद्योग को सहायता देनी चाहिए । अधिकांश पैकिंग उद्योग चाय बोर्ड द्वारा अपने हाथ में लिए जा सकते हैं ।

अधिकांश नीलामी घर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं । थोम्पसन एण्ड कम्पनी जैसी फर्में सभी विदेशी साम्य पूंजी नियंत्रण के अन्तर्गत आती है । अगर चाय उद्योग को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेना संभव नहीं है । तो चाय की नीलामी का काम सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। चाय नीलाम करने वाली विदेशी कम्पनियों को बिचौलिए के रूप में काम करने और करोड़ों रुपये बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।

Shri Durga Chand (Kangra): This Bill has been brought forward with a view to improving the functioning of the Tea Board. It is wrongly said by a Member that there is no need for the post of a Deputy Chairman of the Tea Board. This post is necessary for the proper functioning of the Tea Board. The hon. Minister has taken a right step in bringing forward this amendment Bill.

There are tea gardens in Kangra and Mandi Districts of Himachal Pradesh also. There are small growers in our State. Tea produced here is green and it has not progressed as the tea produced in Assam and Darjeeling. Our tea was used to be exported to Afghanistan, Tashkant and Turkistan but this industry has suffered a lot following the division of the country.

This tea has lost market because of fall in prices. The countries using this tea have either stopped its import or reduced the quantity of its import. The Tea Board has not helped the growth of tea industry in Himachal Pradesh. The machinery required for converting the green tea produced in our state to black tea is also not supplied. The Minister should instruct the Tea Board to help the growth of tea industry in Himachal Pradesh in all possible ways. More and more funds should be provided for its development. We can earn a lot of foreign exchange by exporting tea. Our country will suffer a great loss if we overlook this aspect.

I feel that Assam and Darjeeling have reached a stage where no further plantation is possible. Therefore, the conditions of tea plantation in Himachal Pradesh should be improved. The tea growers and small planters of Himachal Pradesh should be helped in all possible ways so that the tea industry of Kangra and Himachal Pradesh may flourish.

*श्री **अमर राय प्रधान** (कूच-बिहार) : वर्तमान विधेयक का उद्देश्य दो मुख्य परिवर्तन करना है। पहला यह कि चाय बोर्ड अब 1700 रुपये प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है और दूसरा अधिनियम की धारा 9 में संशोधन करके उपाध्यक्ष की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है । हमें आशा थी कि नई सरकार चाय अधिनियम को फिर से बनाएगी और एक नया व्यापक विधेयक सदन के समक्ष लाया जाएगा ताकि चाय बोर्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार को प्रभावी रूप से रोका जा सके ।

हमें इस बात पर विचार करना है कि चाय बोर्ड ने किस हद तक अपने दायित्वों और कर्तव्यों को निभाया है । चाय बोर्ड की स्थापना मुख्यतः चाय उद्योग में सुधार करने और उसकी प्रगति हेतु की गई थी लेकिन बोर्ड इन उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रहा है । उन्होंने वास्तव में चाय उद्योग का ह्रास ही किया है । चाय बोर्ड का मुख्य कार्य चाय उद्योग की सुरक्षा करना नहीं अपितु इस उद्योग से सम्बद्ध बड़े व्यापारियों के हितों की सुरक्षा करना है और इन व्यापारियों का उद्देश्य भारतीय चाय उद्योग में सुधार करना नहीं अपितु कम से कम समय में थोड़े पूंजी निवेश द्वारा अधिकतम मुनाफा कमाना है ।

उत्तर बंगाल और आसाम में ये लालची व्यापारी चाय बागानों के हर कतरे को निचोड़ रहे हैं । चाय बोर्ड के प्रबन्ध के अधीन ऐसी भ्रष्ट प्रक्रियाएं अपनाई जा रही है । ये सब व्यापारी केवल चाय का ही व्यापार नहीं करते । उनकी व्यापारिक गतिविधियां विभिन्न प्रकार की हैं ? और उनके मुख्यालय कलकत्ता में हैं । अब कई चाय की कम्पनियां अपने कार्यालय जलपाइगुड़ी, आसाम, सिलीगुड़ी इत्यादि स्थानों से हटाकर कलकत्ता में स्थापित कर रही हैं । अतः यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि अपने स्वार्थ के लिए कार्यालयों के स्थानान्तरण से कहीं चाय उद्योग को नुकसान तो नहीं होगा ।

*मूल बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

कुछ दिन पहले 'कमला चाय एस्टेट' के निदेशक की नियुक्ति की गई है । उसे 2500 रुपया प्रतिमाह वेतन मिलेगा । इसके अतिरिक्त उसे बोनस, 30,000 रुपये का उपदान, चिकित्सा सुविधाएं और मकान जिसका किराया उसे नहीं देना पड़ेगा तथा कम्पनी की ओर से कार तथा ड्राइवर भी मिलेगा। साथ ही उसके पूरे परिवार को भारत के किसी भी कोने में जाने के लिये हवाई यात्रा की सुविधाएं वे होंगी तथा दो क्लबों की फीस भी मिलेगी । इस चाय उद्योग की वित्तीय स्थिति कैसी है इस इस्टेट को चाय बोर्ड की सिफारिश पर 41 लाख रुपए का ऋण दिया गया था और इस ऋण का भुगतान वह नहीं कर पाए हैं । वे सिर तक कर्ज में डूबे हुए हैं । अब उक्त शर्तों पर निदेशक को नियुक्त करके कम्पनी को पूरी तरह से खोखला बनाया जा रहा है । चाय बोर्ड ऐसे कदाचारों को रोकने में समर्थ नहीं हुआ है ।

चाय बोर्ड ने भारतीय चाय की बिक्री को बढ़ावा देने हेतु लंदन, ब्रसेल्स, कैरो, कुवेत, सिडनी, न्यूयार्क इत्यादि में शाखा कार्यालय बनाए हैं । लेकिन यह सब शाखाएं केवल भ्रष्टाचार के अड्डे हैं ।

उत्तर बंगाल में एक चाय अनुसंधान केन्द्र बनाने का प्रस्ताव है । इस उद्देश्य हेतु करसियांग में 53.47 एकड़ भूमि स्प्रिंग साइड टी एस्टेट से 2 लाख और 63 हजार रुपये में खरीदी गई है । 4000 रुपये प्रति एकड़ का मुनाफा चाय बोर्ड और अन्य संबद्ध हितों द्वारा हड़पा गया है । चाय बोर्ड में ऐसे भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाना चाहिए ।

बहुत शीघ्र चाय बोर्ड का सुधार करने वाला एक व्यापक विधेयक पेश किया जाना चाहिए ताकि चाय के उत्पादन और विपणन में वास्तविक सुधार लाया जा सके । इससे चाय उद्योग के हितों के संवर्धन में वास्तव में सहायता मिलेगी ।

श्री के० बी० चेतरी (दार्जीलिंग) : सरकार थोड़ा-थोड़ा करके चाय अधिनियम, 1953 में संशोधन कर रही है। गत संशोधनकारी विधेयक में, जो कि सदन में पेश किया गया था, कई ऐसे दोष छोड़ दिये गये हैं जिससे प्रबन्धकों और बड़ी विदेशी कम्पनियों को लाभ हुआ। इसमें बंगाल श्रमिक अधिनियम के अन्तर्गत प्रबन्धकों के श्रमिकों के प्रति सांविधिक दायित्व पूरा करने की कोई व्यवस्था नहीं है। अधिनियम में श्रमिक की छंटनी रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है और साथ ही श्रमिकों की मजूरी में एकरूपता लाने के लिये प्रभावकारी कार्यवाही करने की कोई व्यवस्था नहीं है। कछार और दार्जीलिंग के मजदूरों को देश में सबसे कम मजूरी मिलती है।

दार्जीलिंग में अच्छे किस्म की चाय होती है। अच्छे किस्म की चाय पैदा करने के लिये कठिन मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन दुर्भाग्यवश इस जोन पर काफी उत्पाद शुल्क लगाया गया है। उत्पाद-शुल्क की युक्तिसंगतता पर शीघ्र विचार करना चाहिये। दार्जीलिंग चाय की बिक्री इसके उत्पादन से अधिक है। व्यापारी दार्जीलिंग चाय के नाम पर घटिया चाय बेचते हैं। मंत्री महोदय मामले की छानबीन करें और इसके उपचार पर विचार करें।

हाल में दो वर्षों में मजदूरों की दैनिक मजदूरी में दो रुपये की वृद्धि की गई है। चाय बागान श्रमिक को उतनी ही मजूरी मिलनी चाहिए जितनी पश्चिमी बंगाल सरकार के न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत मिलती है। सरकार को व्यापक विधेयक लाना चाहिये और पूरे चाय उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना चाहिये ।

चाय अधिनियम 1953, की धारा 9 में संशोधन करते हुए धारा 3 में भी संशोधन करना चाहिये। "बोर्ड में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष तथा ऐसा सदस्य अथवा अन्य सदस्य होंगे" आदि आदि। बोर्ड को ऊंचा वेतन पाने वाले तकनीकी व्यक्तियों को नियुक्त करने के अधिकार भी होने चाहिये ।

मूल अधिनियम की धारा 50 का संशोधन किया जाना चाहिये। नियम 36(1), 36(2) और 36(3) व्यय करने की शक्ति से सम्बन्धित है। एक नया नियम 36(4) अन्तःस्थापित किया जाना चाहिये। जब कोई विशेष योजना क्रियान्वित नहीं की जा सकती अथवा क्रियान्वयन के दौरान कस व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है तो बोर्ड को एक स्वीकृत विकास योजना से दूसरी योजना में एक निश्चित सीमा तक अर्थात् 50,000 रुपये तक धन हस्तान्तरित करने की शक्ति होनी चाहिये इस प्रकार बोर्ड न केवल फिजूलखर्ची में ही बच सकेगा बल्कि वह धन को अन्य अच्छे कामों में लगा सकेगा ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : चाय बोर्ड का गठन देश में चाय उद्योग की देखभाल हेतु किया गया था। लेकिन बोर्ड ने इस कार्य को पूरा नहीं किया है। हमारी अर्थ-व्यवस्था में चाय उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। इस उद्योग से 500 करोड़ रुपये की आय होती है और इसमें 20 लाख कर्मचारी लगे हुए हैं। इस उद्योग में 175 चाय बागान ऐसे हैं जिन्हें रुग्ण समझा जाता है। लेकिन यह सर्वविदित है कि यह बागान रुग्ण कैसे बने हैं। सरकार को इन रुग्ण चाय बागानों को अपने अधिकार में लेना चाहिए और विदेशी कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। उद्योग को संकट से बचाने का कोई अन्य तरीका नहीं है।

जहां तक चाय पर लगाए गए उत्पाद शुल्क का संबंध है, सरकार को अधिक उत्पाद-शुल्क लगाना चाहिए ताकि चाय के निर्यातकों को मुनाफा कम हो और स्वदेश में चाय के मूल्यों में कमी हो।

जहां तक चाय बागान मजदूरों का सबध है, उनका शोषण अभी तक जारी है। एक मजदूर की औसत आय 3 रुपये 85 पैसे हैं और यह न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत खेतीहर मजदूरों के लिए निर्धारित की गई मजूरी के 50 प्रतिशत से भी कम है। अतः चाय बोर्ड का यह प्रयास होना चाहिए कि जो श्रमिक वर्ग चाय उद्योग में लगा हुआ है तथा देश के राजकोष में योगदान दे रहा है, उसे उचित मजदूरी प्राप्त हो।

भविष्य निधि की काफी राशि बकाया पड़ी है और चाय बागानों के मालिक उस राशि को दबाए बैठे हैं। जो चाय बागान मालिक भविष्य निधि की राशि जमा नहीं कराते उनके विरुद्ध सरकार को कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए।

चाय बागान कर्मचारियों के आवास के सम्बन्ध में स्थिति बहुत दयनीय है। चाय बोर्ड को चाय बागान कर्मचारियों के आवास की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए थी।

जहां तक बोनस का संबंध है सरकार को चाय बागान कर्मचारियों के संबंध में अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिये।

भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी कम्पनियों को अपने साम्य अंशों के समामेलन के संबंध में प्रतिवेदन देने के लिए कहा है। 31 मार्च, तक किसी भी विदेशी कम्पनी ने भारतीय रिजर्व बैंक को उत्तर नहीं दिया। मंत्री महोदय को इस संबंध में कुछ कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री तरुण गोगोई (जोरहाट) : यह विधेयक मूल अधिनियम में मामूली परिवर्तन करने के संबंध में है। मंत्रालय ने चाय उद्योग की ओर उतना ध्यान नहीं दिया है जितना कि उसे देना चाहिए । चाय बागान कर्मचारियों के साथ उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है। अन्य उद्योगों की तुलना में इस उद्योग में काम करने वालों को कम मजूरी मिलती है और उन्हें कम सुविधाएं प्राप्त हैं। प्रत्येक कर्मचारी को उचित आवास सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। उनके लिए पेय जल की भी व्यवस्था नहीं है।

अधिकांश चाय बागानों में कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है। जहां तक शिक्षा सुविधाओं का संबंध है स्थिति बहुत खराब है।

कई चाय उद्योग कुप्रबन्ध के कारण रुग्ण हो गए हैं। सरकार को रुग्ण उद्योगों को अपने अधिकार में लेना चाहिए।

टुकलाई में एक बड़ा अनुसंधान संस्थान है जिसका प्रबन्ध गैर-सरकारी लोगों के हाथ में है सरकार को इसे अपने अधिकार में ले लेना चाहिए। कनिष्ठ वैज्ञानिकों में भी असंतोष है।

वर्ष 1974 के लिए बोनस 1975 में 8.33 प्रतिशत की दर से दिया गया। 4.33 प्रतिशत जो अधिक बोनस दिया गया था उसे बाद में काट लिया गया। 1975 में सभी चाय बागानों को भारी मुनाफा हुआ लेकिन कर्मचारियों को कोई बोनस नहीं दिया गया। कर्मचारियों के बीच बहुत असंतोष है और वे 8.33 प्रतिशत की दर से अथवा 200 रुपये जो भी अधिक हो, बोनस की मांग कर रहे है। जहां तक उत्पाद शुल्क का संबंध है यह समझ नहीं आता कि विभिन्न जोनों में इसकी दर अलग-अलग क्यों है। सारे देश में उत्पाद शुल्क की दर समान होनी चाहिए। सरकार को यह देखना चाहिए कि चाय बोर्ड इत्यादि के मुख्यालय को कलकत्ता से तुरन्त हटाया जाना चाहिये।

गोहाटी और सिलीगुड़ी में निलामी बाजार बन रहा है। इसे प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उस क्षेत्र में उत्पादित होने वाली चाय का उसी विशेष मण्डी में नीलामी द्वारा विक्रय हो।

आसाम सरकार ने चाय निगम की स्थापना की है। श्रमिकों ने भी एक निगम बनाया है जिसे आसाम कर्मचारी सहकारी लिमिटेड का नाम दिया गया है। दोनों निगम चाय बागानों को चला रहे हैं। जब कभी चाय की बिक्री का मामला आता है तो प्राधिकारी न तो निगम को और न ही कर्मचारियों के निगम को चाय बेचना चाहते हैं। वह हमेशा प्राइवेट पार्टियों को बागान बेचना अधिक पसन्द करते हैं। ऐसी नीति बनाई जानी चाहिए कि जब कभी चाय बागान को बेचने की आवश्यकता पड़े तो उसे श्रमिक सहकारी समितियों अथवा चाय निगमों को बेचा जाए।

श्री बी० के० नायर (मावेलिकरा) : चाय बागान मालिकों ने कर्मचारियों को अब तक बहुत ही बुरी हालत में रखा हुआ था। चाय अधिनियम (संशोधन) विधेयक में कर्मचारियों की दशा में सुधार करने और उनके कल्याण को सुरक्षित करने के लिये आवश्यक उपबन्ध किये जाने चाहियें। चाय बोर्ड इस संबंध में बुरी तरह असफल रहा है। चाय बागान कर्मचारियों की मजूरी न्यूनतम मजूरी से भी बहुत कम है कर्मचारियों की आवास, चिकित्सा, शिक्षा तथा पेय जल इत्यादि की व्यवस्था की भी जिम्मेदारी चाय बागान मालिकों पर है। इन कर्मचारियों के साथ दूसरी श्रेणी के नागरिकों के समान व्यवहार किया जाता है। चाय बोर्ड के रख-रखाव के लिये उपकर एकत्र किया जा रहा है। केन्द्र सरकार कर्मचारियों को समुचित सुविधायें प्रदान करने की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नही हो सकती। उपकर की दर बढ़ानी चाहिये ताकि चाय बोर्ड की बड़ी जिम्मेदारियों को निभाया जा सके ऐसा कोयला खान कल्याण निधि के अनुरूप किया जाना चाहिये। इस उद्देश्य हेतु उपकर की समुचित अभी दर पर एक केन्द्रीय निधि बनायी जानी चाहिये।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : चाय बोर्ड हमेशा बड़े उत्पादकों का पक्ष लेता है। बड़े चाय बागानों के मालिक विदेशी हैं और वही उसका नियंत्रण करते हैं। इसलिए इस अधिनियम में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है।

अधिनियम के अनुसार चाय बागानों में काम करने वाले कर्मचारी न्यूनतम मजूरी चिकित्सा सुविधाओं, स्कूल इत्यादि के लिए हकदार हैं। लेकिन चाय बोर्ड कर्मचारियों को यह सुविधाएं प्रदान करने में असफल रहा है। इसकी जांच की जानी चाहिये।

केरल के चाय बागानों में पुन. रोपण बिल्कुल नही किया जाता। सरकार पुनः रोपण के लिए अनुदान और राज सहायता दे रही हैं। चाय बागान मालिक पैसा ले लेते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं। यह चाय का पुनः रोपण बिल्कुल नहीं कर रहे । रुग्णता का यही मुख्य कारण है । हमें उद्योग के राष्ट्रीयकरण की दुहाई देने की बजाय पुनः रोपण पर बल देना चाहिये।

लन्दन में चाय गृह का कार्यकरण बहुत खराब है। इसकी जांच की जानी चाहिये तथा इसके कार्यकरण में सुधार किया जाना चाहिये।

बागान अधिनियम को सशस्त्र ढंग से क्रियान्वित किया जाना चाहिये और कर्मचारियों को बौनस अवश्य देना चाहिये । विभिन्न राज्यों में चाय बागान कर्मचारियों की न्यूनतम मजूर. भी अलग-अलग हैं। मंत्री महोदय को इसकी भी जांच करनी चाहिये।

श्री बेद व्रत बरूआ (कालियाबोर) : गत कुछ वर्षों से उपकर में वृद्धि किये जाने के तथा चाय बोर्ड को धन उपलब्ध किये जाने के बावजूद चाय बोर्ड चाय के संवर्द्धन में अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर पाया है। चाय बोर्ड में अब भी अंग्रेजियत की बू आती है। हम आशा करते हैं कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के पास किये जाने के बाद तथा उसके परिणाम स्वरुप सभी स्टर्लिंग कम्पनियों का भारतीय करण किये जाने के बाद ऐसी परिस्थितियां कायम होगी जिनमें यह बोर्ड वस्तुतः राष्ट्रीय चाय बोर्ड के रूप में काम कर सकें।

विदेशी विनिमय विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत विदेशी कम्पनियों को अपने 24 प्रतिशत शेयर हर हालत में भारतीयों को बेचने पड़ते हैं। आसाम चाय निगम और आसाम चाय सहकारी लिमिटेड दोनों ही इन शेयरों तथा चाय बागानों को खरीदना चाहती है। इस निगम और आसाम चाय कम्पनी लिमिटेड के पास समुचित धन है। केन्द्र सरकार संबद्ध विभागों को सरकारी क्षेत्र और कर्मचारियों के संगठन को शेयर खरीदने के मामले में सहायता करने के लिए कह सकती है।

आसाम की सभी कम्पनियों का पंजीकरण आसाम से बाहर हुआ है। इसके परिणामस्वरूप आसाम राज्य को राजस्व की हानि होती है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि पंजीकृत कार्यालय और इन कम्पनियों के मुख्यालय आसाम में स्थित किये जाने चाहिये।

सरकार ने निर्यात को कम करने की दृष्टि से निर्यात शुल्क लगाया है, चाय उद्योग के साथ न्याय नहीं किया गया है। इस पर विचार किया जाना चाहिए।

आधे घण्टे की चर्चा

Half-an-hour Discussion

कोरबा में स्थापित किया जाने वाला प्रस्तावित उर्वरक कारखाना

Dr. Laxmi Narain Pandeya (Mandsore) : Korba Fertilizer factory is located in the tribal region of Madhya Pradesh. The decision to establish a fertilizer factory in this region is almost 20 years old when in-depth study was made by the experts and the scheme was duly approved by the Planning Commission. Already the land for the factory has been procured, railway siding has been built, a power house of 100 MW has also been completed. To this date a sum of Rs. 24 crores have already been spent on this plant. Not only this, but imported machinery and spares proposed to be installed there have been lying in open. Besides, there is enough coal and water required for the fertilizer factory.

It is also not correct to say that this decision was taken due to the fact that this plant is coal-based. Coal based fertilizer plants have been working satisfactorily in Germany and in many other countries. Why then it can not work here ?

I therefore, feel that this decision of the Government to go slow with the work of Korba plant is a political decision. This decision will go against the interests of the tribal people of a backward region of Madhya Pradesh whose hopes and ambitions will remain unfulfilled on account of this decision. This will not only retard the progress of the state but it will also seriously affect the production of fertilizers in our country which are in short supply. I, would, therefore urge upon the hon. Minister to reconsider this decision and the work on Korba plant be revived with full speed.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : कल मंत्री जी ने कहा था कि हमें अपने तेल संसाधन समाप्त नहीं करने चाहिएं। कोरबा संयंत्र कोयला आधारित संयंत्र है। हमें अपने देश में तेल पर आधारित संयंत्रों के स्थान पर कोयले पर आधारित संयंत्र स्थापित करने चाहिऐं। यदि हमे तेल का आयात करना पड़ेगा तो हम बुरी तरह ऋण ग्रस्त हो जायेंगे। हमारे यहां कोयला प्रचूर मात्रा में है। हम इसका निर्यात भी कर सकते हैं। अतः उर्वरकों के उत्पादन के लिए हमें कोयले पर आधारित प्रौद्योगिकी को अपनाना चाहिए ।

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : I want to know from the hon. Minister whether it is a fact that rupees 24 crores have already been spent on Korba fertilizer factory and whether Government propose to shift this plant to some other place ? If not by what time this project will be completed and how much expenditure will be incurred thereon ?

श्री समरेन्द्र कुन्डु (बालासोर) : मध्य प्रदेश एक पिछड़ा हुआ राज्य है और वहां कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाना स्थापित करना नितांत आवश्यक है। वहां कोयला भी प्रचुर मात्रा में है। किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि इस बारे में अभी तक ठोस कदम नहीं उठाये गए हैं। भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने चुनावों के समय लोगों को खुश करने के लिए परादीप में उर्वरक कारखाने की स्थापना के लिए शिलान्यास किया था । उसका क्या हुआ । इस प्रकार लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए कई प्रकार के कारखानों की स्थापना के लिए शिलान्यास किए गए। किन्तु उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। हमारे देश में लगभग 20000 लाख टन कोयला भंडार है। अब सरकार की नीति यह है कि कारखाने तेल की बजाय कोयले पर आधारित हों। चूंकि हमारे देश में तेल की कमी तथा कोयले का बाहुल्य है, इसलिए ऐसे कार्यों के लिए हमें कोयला ही उपयोग में लाना चाहिए।

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : कोरबा परियोजना की परिकल्पना सर्वप्रथम सन् 1960 में की गयी थी । बड़ी अपेक्षा के बाद सन् 1972 में जाकर इसे स्वीकृति प्रदान की गयी तथा मंत्रिमण्डल की औपचारिक अनुमति मिली। यह भी सच है कि इस पर बहुत सा रुपया लगाया गया है और सारे प्रबन्ध कर लिये गये हैं। कोरबा में कोयले का बहुत बड़ा भंडार है तथा कोयला-आधारित संयंत्र की स्थापना के लिए यह स्थान बहुत उपयुक्त है। किन्तु 1968 का वर्ष कोरबा के लिए दुर्भाग्य साबित हुआ। नई विचार धारा के अन्तर्गत 1968 में एकाएक यह सुझाव दिया गया कि संयंत्र नाफ्था आधारित होना चाहिये और इस प्रकार कोरबा बेचारा पीछे पड़ता गया किन्तु अन्ततोगत्वा 1972 में यह फिर उठा। हुआ यह कि मंत्रालय में तरह तरह के तर्क दिये गये कि रामागुडम बेहतर स्थान होगा क्योंकि मध्य प्रदेश की अपेक्षा आंध्र में अच्छी खपत है, चूंकि मध्य प्रदेश में सिंचाई की सुविधा नहीं है इसलिए वहां अच्छी खपत नहीं हो सकती। इस तर्क को विकृत किया जाने लगा। जहां तक स्थान का प्रश्न है, मेरे लिए रामगुडम उतना ही प्रिय है जितना कि तालचेर परादीप अथवा कोई भी अन्य स्थान। अन्त में परिणाम यह हुआ कि रामगुडम और तालचेर चुन लिए गये ।

प्रारम्भ में, नेफ्था के कारण हमें कोयले से हटाना पड़ा बाद में 1973 में नेफ्था बहुत मंहगा हो गया तथा तेल संकट के कारण दाम बढ़ गये और हमें फिर वापस कोयले पर आना पड़ा। तब से कोरबा पर आम सहमति हो गयी तथा सरकारी आदेश जारी कर दिये गये।

मैं सदन को यही आश्वासन दे सकता हूं कि हमारा बराबर यही प्रयत्न होगा कि जहां तक भी हो सकेगा हम कोरबा को फिर से पटरी पर ले आयें। हम प्रयत्न करेंगे कि यह यथाशीघ्र पूरा हो जाये। हमें अब बताया गया है कि यह 1979 तक कार्य करने लगेगा। जहां तक संयंत्र की सुरक्षा का प्रश्न है, मैंने भारतीय उर्वरक निगम को सावधान कर दिया है कि संयंत्र मशीनरी तथा अन्य चीजें खुले में न छोड़ी जायें ताकि वे मौसमी प्रभाव से खराब न हो।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 27 जुलाई, 1977/5 श्रावण, 1899 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, the 27th July 1977/Sravana 5, 1899 (Saka)

MGIPRRND –Sec I-Day—9 LSS/77—1-12-77—200.